

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 96/5/79

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ੀ. 16] No. 16] नई दिल्ली, सोमबार, मार्च 15. 1999 /फाल्गुन 24, 1920 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 15, 1999/PHALGUNA 24, 1920

भारतीय दुरसंचार विनियामक प्राधिकरण

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1999

संख्या 301-4/99-टी आर-ए आई/इकोन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक कानून 1997 की अग 11 की उप धारा (2) द्वारा दिए गए अधिकार, कि भार और बाहरी देशों में उपलब्ध कराई जाने वाली दूरसंचार सेवाओं के शुल्क की जानकारी आधिकारिक प्रपन्न में एक आदेश के जरिए दी जा सकती है के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरमचार विनियामक प्राधिकरण एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करता है।

# दूरसंचार शुल्क आदेश 1999

भाग - एक शीर्षक, विस्तार और प्रारंभण

- 1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रांरभण :
- यह आदेश "दूरसचार शुल्क ओदश 1999" (दि टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ आर्डर 1999)
   के नाम से जाना जाएगा।
- (ii) इस आदेश के तहत संपूर्ण भारत में दूरसंचार सेवा शुल्क के साथ-साथ उन सेवाओं के शुल्क का भी विवरण रहेगा जो भारत की सीमा क्षेत्र से शुरू होकर अन्य देशों में समाप्त होती है।
- (iii) यह आदेश आधिकारिक प्रपत्र में पकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

### भाग - दो

### (परिभाषाएं)

### 2. इन ओदश में, जहां प्रासंगिक विवरण नहीं दिया गया है :

- (a) 'एक्ट का अर्थ है टेलीकाम रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया, 1997 (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997)
- (b) 'प्राधिकरण'-(अथॉरिटी) का मतलब है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण।
- (c) 'मूलभूत दूरसंचार सेवाओं' का तात्पर्य उन सेवाओं से है जो पबलिक' रिवचड टेलीफोन नेटवर्क (पी एस औ एन) से उत्पन्न हों।
- (d) सीलिंग (उच्चतम सीमा) का अर्थ है प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर दूरसंचार शुल्क की निश्चित की गई अधिकतम सीमा।
- (e) अधिक दूरी की अंतरदेशीय दूरसंचार सेवाओं का अर्थ उन सेवाओं से हैं जो एक लोक संचार नेटवर्क को भारतीय सीमा के अंदर दूसरे नेटवर्क से जोड़े जिससे विभिन्न भोगोलिक क्षेत्रों से वॉयस और गैर वॉयल सिगनल भेजे और प्राप्त किए जा सकें।
- (f) 'फ्लोर' (न्यूनतम सीमा) का अर्थ है दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण द्वारा समय—समय पर निश्चित की गई दूरसंचार शुल्क की न्यूनतम सीमा। प्राधिकरण इस न्यूनतम सीमा से कम दरों पर शुल्क नहीं वसूल सकता।
- (g) फोरबियरेंस (स्थगन) से तात्पर्य है कि प्राधिकरण ने फिलहाल किसी दूरसंचार सेवा के शुल्क निर्धारित नहीं किया है और सेवा उपलब्ध करनो वाला स्वयं ही शुल्क निर्धारण कर सकता है।
- (h) 'लम्बी दूरी की अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा' का मतलब है भारत के अंदर पबलिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के स्थानीय क्षेत्र को किसी अन्य देश के पबलिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ना ताकि वॉयस और गैर वॉयस सिंगनल का द्रांसिशन संभव हो सके।
- (i) 'अंतरराष्ट्रीय सब्क्राइबर डायलिंग' (आई एस डी) के मायने हैं भारत में एक उपभोक्ता को किसी अन्य देश के उपभोक्ता से सीधे डायलिंग द्वारा जोड़ने के लिए पबलिक नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा।
- (j) 'लीज्ड सर्किट' से तात्पर्य उन दूरसंचार सेवाओं से है जो उपभोक्ता या सेवा उपलब्ध कराने वालों को लीज पर मुहैया कराई जाए जो उन्हें नेटवर्क के दो बिंदुओं के बीच पारदर्शी तकनीक की प्रसार क्षमता उपलब्ध कराए। उपभोक्ता लीज्ड सर्किट

विनियमों के जिए इन बिंदुओं को नियंत्रित कर सकता है। इसमें लीज्ड सर्किट बैंडविड्थ के लचीले उपयोग के लिए प्रणाली भी शमिल है।

- (k) 'निष्पक्षता' का अर्थ हे कि सेवा प्रदाता एक श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच शुल्क में पक्षपात नहीं करेगा और उपभोक्ताओं का यह वर्गीकरण मनमाना नहीं होगा।
- (n) 'सूचना देने की आवश्यकता' का अर्थ है इस ओदश के अंतर्गत दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने वाले को शुल्क में किसी भी तरह बढ़ोत्तरी लागू करने की सूचना प्राधिकरण को कम से कम पाँच कार्य दिवस पहले देना होगा। सेवा शुल्क में किसी बदलाव की सूचना भी प्राधिकरण को इतने समय पूर्व ही दी जाए।
- (m) 'विशेष सेवाओं' से तात्पर्य उन सहायक और अनुषंगी सेवाओं से है, जैसे फीनोग्राम, डायरेक्टरी पूछताछ, ट्रंक सेवाएं, सहायता सेवा और पुलिस, अग्रिशमन ओर एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं जो सेवा प्रबंधक द्वारा पबलिक स्विचंड टेलीफोन नेटवर्क पर विशेष अंतरापृष्ठ द्वारा समय—समय पर निर्धारित किए गए शुल्क का एक मुश्तपैकेज जिसमें किराया, काल शुल्क, मुफ्त कालें, जमा राशि और अन्य प्रभार' शामिल हैं।
- (n) 'स्टैर्न्डड पैकेज' का मतलब है शुल्कों का पैकेज जिसमें किराया, काल चार्ज, फ्री काल, जमा राशि और अन्य शुल्क जो और जैसे प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट दूरसंचार सेवा के लिए समय समय पर निर्धारित किये जाये, शामिल हैं।
- (o) 'उपभोक्ता' से तात्पर्य दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करने वाला अंतिम उपयोगकर्ता है।
- (p) 'उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग' (एस टी डी) का अर्थ है पबलिक नेटवर्क के जरिए भारत में दो उपभोक्ताओं के बीच सीधा संबंधन।
- (q) 'पूरक सेवाएं' ऐसी सेवाएं हैं जो विशिष्ट रुप से उपमोक्ता के डायरेक्टरी नम्बर पर अ उपलब्ध कराई जाएं और जो केवल उपभोक्ता या सेवा उपलब्ध कराने वाले द्वारा नियंत्रित हो जैसे स्वचालित अलार्म काल सेवा, काल वेटिंग, काल अपर्वतन और अन्य ऐसी ही सेवाएं।
- (r) 'शुल्क' का अर्थ है ऐसी दरें और संबंधित स्थितियां जिन पर भारत और भारत के बाहर दूरसंघार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इनमें ऐसी दरें और स्थितियां शामिल हैं जिनसे किसी भी अन्य देश में संदेश पहुंचाया जाए, जमा राशि, प्रतिष्ठापन शुल्क, भाड़ा, मुफ्त कालें, प्रयोग कालें, प्रयोग प्रभार और अन्य तरह के संबंधित शुल्क और प्रभार शामिल हैं।

(s) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें इस आदेश में पारिभाषित नहीं किया गया है पर जिनकी परिभाषा एक्ट में दी गई है, उनका अर्थ एक्ट में दी गई परिभाषा के अनुसार ही है।

#### भाग - तीन

## दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क

### 3. शुल्क दरें

विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की शुल्क दरें और इन्हें लागू करने की तिथि वही है जैसी अनुसूची एक से नौ में तय की गई है।

#### 4. स्थगन

प्राधिकरण ने जहां किसी दूरसंचार सेवा या उसके किसी हिस्से का शुल्क फिलहाल निर्धारित नहीं किया है, वहा वह सेवा उपलब्ध कराने वाला दस दूरसंचार सेवा के लिए शुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

शर्त भिर्फ़ यह है कि ऐसी सेवा उपलब्ध कराने वाला इन शुल्क दरों के विषय में सूचना देने की आवश्यकता का पालन करे।

#### 5. जमा राशि

यदि अन्एथा विवरण नहीं है तो कोई भी सेवा उपलब्ध कराने वाला दूरसंचार सेवाओं के लिए किसी भी उपभोक्ता से निर्धारित एक वर्ष के किराए से अधिक जमा राशि की मांग नहीं कर सकता और न ही मानक पैकेज से अधिक राशि ले सकता है।

### लचीलापन और पैकेज

- () सेवा उपलब्ध कराने वाला सभी उपभोक्ताओं को मानक पैकेज मुहैया कराएगा।
- (ह) जहां शुल्क की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है, वहां उससे अधिक शुल्क नहीं तय किया जा सकता।
- (iii) जेंहां शुल्क की न्यूनतम सीमा निर्धारित है वहां उसके नीचे कोई भी शुल्क तय नहीं किया जायेगा।
- (iv) अन्य सभी स्थितियों में कोई भी सेवा प्रदाता मानक पैकेज के अतिरिक्त, जपभोकताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क का वैकल्पिक संयोजन बिना किसी भेदभाव के जपलब्ध करा सकता है।

## 7. सूचना देने की आवश्यकता

(i) इस आदेश के अंतर्गत सभी सेवा द्रदाताओं को पहली बार निर्धारित शुल्कों के विषय में सूचना देने की आवश्यकता वाले अधिनियम का पालन करना होगा।

- (ii) कोई भी सेवा उपलब्धकर्ता किसी भी दूरसंचार सेवा या उसके किसी भाग के लिए बिना सूचना अधिनियम का पालन किए हुए शुल्कों में फेरबदल नहीं कर सकता।
- (iii) यदि प्राधिकरण अनिवार्य नोटिस अवधि के पांच कार्यदिवसों के भीरत हस्तक्षेप नहीं करता तो सेवा उपलब्धकर्त्त प्रस्तावित शुल्क लागू कर सकता है।

### 8. शुल्कों की समीक्षा

- (i) प्राधिकरण समय-समय पर किसी भी दूरसंचार सेवा या उसके किसी भाग के शुल्क की समीक्षा और उसे परिवर्तित कर सकता है।
- (ii) प्राधिकरण किसी भी समय, प्रभावित पार्टी के संदर्भ में और उचित व पर्याप्त कारणों से किसी भी शुल्क दर का पुनरीक्षण व परिवर्तन कर सकता है।

#### भाग धार

### पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा

### 9. शुल्क दरों का प्रकाशन

- (i) सेवा उपलब्धकर्त्ताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं से लिए जाने वाले शुल्क और शर्तों के विषय में जानकारी प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्देशित तरीके से प्रकाशित कराई जाए।
- (ii) दूरसंचार सेवा उपभोक्ता को जो शुल्क पैकेज मुहैया कराना चाहता है, उसकी जानकारी के साथ-साथ उसे प्रत्येक पेकेज के वित्तीय पहलुओं की तुलना मानक पैकेज से करनी होगी।

#### 10. निष्पक्षता

कोई भी सेवा उपलब्धकर्ता किसी भी तरह से किसी एक श्रेमी के उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव नहीं करेगा और उपभोक्ताओं का यह विभाजन मनमाना नहीं होगा।

### 11. सेवाओं के नियम और शर्तें

सेवा उपलब्धकर्ता उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के नियम और शर्तों के विषय में पूरी जानकारी देंगे जो इस अदिश से किसी भी तरह भिन्न नहीं होगी। इन नियम और शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(a) नियम और शर्तें जिनके अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध, उपयोग और समाप्त की जा सकती है।

- (b) सैवाओं के उपयोग से संबंद्ध नियम और शर्तें, जैसे बिल, मरम्मत, खराबी ठीक करना आदि।
- (c) उपभोक्ताओं को उपलब्ध विभिन्न तरह के शुल्क पैकेज उन्हें घुनने और चुनाव बदलने की विधियां और उससे जुड़ी शर्तें।

#### भाग - पांच

#### 12. व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस आदेश के परिशिष्ट अ में दिए गए व्याख्यात्मक ज्ञापन से इस आदेश में दी गई शुल्क दरों को पूरी पारदर्शिता और स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है।

#### भाग-छह

### अवशिष्ट धाराएं

#### 13. प्रत्यादेश प्रभाव

इस आदेश द्वारा जारी धाराएं भारतीय टेलीग्राफ कानून 1885 के नियमों की जगह लागू होंगी। साथ ही ये धाराएं सेवा उपलब्धकर्ता के लाइसेंस के नियम और शर्तों और उनके द्वारा निर्धारित दूरसंचार सेवाओं के शुल्क और शर्तों की अनदेखी कर सकती हैं।

#### 14. व्याख्या

इस आदेश द्वारा जारी किए गए नियमों में विवद की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय की अंतिम् और बाध्यकारी होगा।

आदेशानुसार हर्ष वर्धन सिंह, आर्थिक सलाहकार [सं. विज्ञापन—3/4/असाधारण/142/99]

# अनुसुची - 1 बुनियादी सेवाएं (आईएसडीएन को छोड़कर)

विभय	रा ल्क
1. लागु करने की तिथि	1 अप्रैल 1999
2. पंजीकरण शुल्क	इस आदेश के लागु होने की तिथि तक मौजुदा प्रभार ही अधिकतम सीमा मानी जाएगी
3. इंस्टालेशन शुल्क	
3(a) फिक्स लाइन टैलीफोनी सेवा <b>वायर</b> लेस लोकल लूप तकनीक के अतिरिक्त	इस आदेश के लागु होने की तिथि तक मौजुदा प्रभार ही अधिकतम सीमा मानी जाएगी
3(b) फिक्स लाइन टेलीफोनी सेवाएं जिसमें वायरलेस लूप तकनीक का इस्तेमाल है।	स्थगन
4.(a) फिक्स लाइन टेलीफोनी सेवा यायरलेस लोकल लूप तकनीक के अतिरिक्त 4(b) फिक्स लाइन टेलोफोनी सेवा जिसमें वायरलेस लोकल लूप तकनीक का इस्तेमाल है	समय-समय पर निर्धारित बारह महीने के मौजुदा प्रभार अधिक नहीं।  स्थगन बशर्ते कि — उपरोक्त (a) में बताइ गई जमा राशि से अधिक राशि (लोकल लूप में वायरलेस के अलावा फिक्स लाइन टेलीफोनी से अधिक) की अधिकतम अवधि एक वर्ष है। वायरलेस इन लोकल लूप कनेक्शन प्राप्त करने के एक साल बाद उपरोक्त जमा राशि लौटा दी जाएगी या ऐसी अतिक्ति जमा राशि लौटा दी जाएगी या ऐसी अतिक्ति जमा राशि पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित सलाना व्याज दर से एक वर्ष का व्याज, दिया जायगा। उपभोक्ता चाहे तो वायरलेस इस लोकल लूप पर क्नेक्शन जारी रखने की मांग भी कर सकता है।

(5) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मासिक	एक्सचेंज की प्रणाली क्षमता	1अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक	से 31 मार्च	0 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 तक
किराया		2000 (14)	2001 (14)	नाय २००२ तक
5.(a) कम इस्तेमाल	लाइनों की संख्या	₹5.	₹5,	₹5,
करने वाले ग्रामीण	999- तक	70	70	70
उपभोक्ता	1000 से 29999	120	120	120
	30,000 से 99,999	180	180	180
	1 लाख और उससे अधिक	250	250	250
5.(b) सामान्य	एक्सचेंज की	1 अप्रैल 1999	1 अप्रैल 200	0 1 अप्रैल
ग्रामीण उपभोक्ता	प्रणाली क्षमता	से 31 मार्च	स 31 मार्च	2000 से 31
		2000 तक	2001 तक	मार्च 2002 तक
	999 तक	70	95	120
	1000 से 29,999	120	140	160
	30,000 से 99,999	180	200	220
<u> </u>	1 लाख और उससे अधिक	250	280	310
5.(c) व्यावसायिक	एक्सचेंज की	1 अप्रैल 1999	1 अप्रैल 200	0 1 अप्रैल
ग्रामीण उपभोक्ता	प्रणाली क्षमता	से 31 मार्च	से 31 मार्च	2000 से 31
		2000 तक	2001 तक	मार्च 2002 तक
	999 तक	120	120	120
	1000 से 29,999	160	160	160
	30,000 से 99,999	220	220	220
,	1 लाख और उससे अधिक नोटः	310	310	310
,	1. ग्रामीण उपभोक्ता का तात्पर्य उन लोगों से हैं, तो गांवों में रहते हैं। इस के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा वही रहेगी जैसा कि भारतीय जनगणना व निर्धारित की गई हैं।			। हैं। इस अनसवी
				- "

- 2. निम्न उपयोग करने वाले उपभोक्ता वे हैं जो बिलिंग चक के प्रति माह 500 से अधिक मीटर्ड कालें ने करें।
- 3 सामान्य श्रेणी के उपभोक्ता वे हैं जो निम्न उपयोगी या व्यावसयिक उपभोक्ता श्रेणी में नहीं आते।
- 4. उपयोग के आधार पर एक श्रेणी के उपभोक्ताओं का दूसरी श्रेणी में स्थानांतरण की प्रक्रिया (जैसे कि, निम्न उपयोग वाले उपभोक्ता का सामान्य श्रेणी में आ जाना, या सामान्य उपयोग उपभोक्ता का निम्न श्रेणी में जाना) के विषय में 30, सितम्बर, 1999 से पहले सूचना दी जाएगी, क्योंकि या मामला 1 अप्रैल, 2000 से ही लागू होगा।
- 5. प्राधिकरण गहन विचार-विमर्श के बाद ही उपभोक्ताओं का व्यावसायिक उपयोग उपभोक्ता श्रेणी में विभाजन करने के लिए नियम निर्धारित करेगा। अंतरिम रूप से व्यवसायिक उपयोग करने वाले उपभोक्ता उन्हें माना गया है जो किराए के लिए 'व्यवसायिक उपयोग उपभोक्ता' श्रेणी का चुनाव करें। व्यवसायिक उपभोक्ताओं के वर्गीकरण को प्रक्रिया चुनाव तिथि के बाद वाले बिलिंग चक्र की शुरूआत से लागु होगी।
- 6. एक्सचेंज सिस्टम की क्षमता का अर्थ एक स्थानिय क्षेत्र की सभी एक्चेंजों की क्षमता का कुल जोड़ होगा। इसके अलावा, ग्रामीण उपभोक्ताओं की लिए संबंधित एक्सचेंज कर दोने जैसा कि 15 अगस्त, 1998 से पहले थे, यानि कि स्थानिय कॉल क्षेत्र के लप्तु कुण चुन्क क्षेत्र (एसडीसीए) से को—टर्मिनल्स होने से पूर्व। इस आदेश के लागू होने के बाद एकसचन्ज क्षमता में हुई वृद्धि पर शुल्क निर्धारण के लिए पुनः वर्गीकरण की प्रक्रिया के समय विचार किया जाएगा।
- 7. छोटी दूरी के चार्जिंग क्षेत्र, कुछ उपवादों को छोड़कर, वे क्षेत्र है जो राजस्व तहसील या तालुक से में खाएं।

शहरी उपभोक्ताओं के लिए मासिक किराया				
6.(a) कम काल करने वाले शहरी उपभोक्ता	एक्सचेंज की प्रणाली क्षमता लाइनों की संख्या 29,999 तक 30,000 से 99,999 1 लाख और उससे अधिक	1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 सक रू. 120 180	1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक रू. 120 180	1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 तक रू. 120 180
6.(b) सामान्य काल करने वाले शहरी उपभोक्ता	एक्सचेंज की प्रणाली क्षमता लाइनों की संख्या 29,999 तक 30,000 से 99,999 1 लाख और उससे अधिक	1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक रू. 120 180	1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक रू. 140 200	1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 तक रू. 160 220
6.(c)व्यवसायिक इस्तेमाल करने वाले शहरी उपभोक्ता	एक्सचेंज की प्रणाली क्षमता लाइनों की संख्या 29,999 तक 30,000 से 99,999 1 लाख और उससे अधिक नोटः 1. शहरी उपभोक्ता का ता लिए शहरी क्षेत्रों की परिभ			• "

	2. कम काल करने वाले उपभोक्ता वे हे जो प्रति महीने बिलिंग चक्र में 500 से कम कॉल हैं।  3. सामान्य उपयोग वाले उपभोक्ता वे हैं जो निम्न उपयोग और व्यवसायिक श्रेणी में नहीं दें उपयोग के आधार पर एक श्रेणी के उपभोक्ताओं का दूसरी श्रेणी में स्थानांतरण (जैसे निम्न उपयोग वाले उपभोक्ताओं का निम्न श्रेणी में जाना) के विषय में 30 सितम्बर, 199 पहले सूचना दी जाएगी, क्योंकि यह मामला 1 अप्रैल, 2000 से ही लागू होगा।  5. प्राधिकरण गहन विचार-विमर्श के बाद ही उपभोक्ताओं का व्यवसायिक उपयोग उपभोक्ताओं की श्रेणी में वर्गीकरण के लिए नियम निर्धारित करेगा। अंतरिम रूप से व्यवसाय उपयोग वाले उपभोक्ता उन्हें माना गया है जो किराए के लिए व्यवसायिक उपयोग उपभेश्रेणी का चुनाव करें। व्यवसायिक उपभोक्ताओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया उनके चुनाव कर बाद वाले बिलिंग चक्र की शुरूआत से तय होगी।  6. एक्सचैन्ज सिस्टम क्षमता उस स्थानिय क्षेत्र क़ी सभी एक्सचैन्जों कुल क्षमता के बराबर			
7 ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रति मीटर्ड काल शुल्क	प्रथम 500 मीटर्ड काल्स प्रति माह बिलिंग चक्र में (मुफत काल को छोडकर)	प्रथम 500 मीटर्ड काल्स प्रति माह बिलिंग चक्र से		
8. ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त काल (शुल्क सहित)	75 मीटर्ड काल्स प्रति माह बि	लिंग चक्र में		
9. शहरी उपभोक्ताओं के लिए प्रति काल शुल्क	प्रथम 500 मीटर्ड काल्स प्रति माह बिलिंग चक्र में (मुफत काल को छोडकर) रू	प्रति माह बिलिंग चक्र से		
10. मुफ्त काल या शुल्क रहित काल शहरी उपभोक्ताओं के लिए	60 मीटर्ड काल प्रति माह बिदि	नेंग चक्र में		
11. स्थानीय काल के लिए पल्स रेट	180 सेकेंड			

11.(a) ऐसे एक्सवेंज जहां पत्स प्यानीय कात्स में लागू होते हैं।  11.(b) एक्सवेंज जहां पत्स नोट : (1) स्थानीय क्षेत्रों में विस्तृत कम दूरी के प्रभारी क्षेत्र (एसडीसीए) शामिल हैं। नहीं हो सकते। (2) एसडीसीए कुछ अपवाद समेत हैं, इनमें राजस्व तहसील/तालुक भी हैं।				
12. अति व्यस्त घंटों मे पल्स रेट तक	दो एक्सचेंजों में बहुप्रकोष्ठित दूरी या	1 अप्रैल 1999 से		1
	कोई दो चार्जिंग सेंटर 50 किमी. तक 50 किमी. से उपर और 200 किमी. तक	सेकेंड	सेकेंड	सेकेंड
,	200 किमी. से उपर और 500 किमी. तक			
	500 किमी. से उपर और 1000 किमी. तक 1000 किमी. से उपर			
इन पल्स दरों से अभिप्राय निम्नलिखित व्यस्त अवधि पर शुल्क से हैं		कॉल के लिए		
12. a. रू 0-80 प्रति मीटर्ड कॉल के पल्स प्रभार पर	किन्हीं दो एक्सचेंजों या दो चार्जिंग केन्द्रों के बीच की दूरी		1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 रू0	_

	50 किमी. तक	0.80	0.80	0.80
	50 किमी. से अधिक	4.00	4.00	3.20
	और 200 किमी. से कम			
	200 किमी. से अधिक	10.40	8.00	7.20
	और 500 किमी, से कम			
	500 किमी से अधिक	14.40	12.00	11.20
	और 1000किमी, से कम			
	1000 किमी, से अधिक	20.00	16.80	14.40
	•			
12.37.2.	6-a-2			
i i	किन्हीं दो एक्सचेंजों			
काल के पल्स प्रभार पर		31 मार्च 2000		
	के बीच की दूरी	रन	₹	₹
	50 किमी, तक	1 00	1.00	1.00
	50 किमी. से अधिक		5.00	4.00
	और 200 किमी. से कम	0.00	0.00	7.00
	200 किमी, से अधिक	13.00	10.00	9.20
1	और 500 किमी. से कम	. 0.00	, 5.50	0.20
	500 किमी. से अधिक	18.00	15.00	14.20
ŀ	और 1000किमी, से कम			
}	1000 किमी. से अधिक	25.00	21.00	18.00
	नोट : (1) चार्जिंग केन्द्रों को लंबी दूरी के चार्जिंग केन्द्र (एलडीसीसी) और कम दूरी के चार्जिंग केन्द्रों (एसडीसीसी) में विभाजित किया गया है। (2) वर्तमान परिभाषा के अनुसार लंबी दूरी के चार्जिंग केन्द्र एक लंबी दूरी चार्जिंग क्षेत्र की एक विशेष ट्रंक एक्सचैंज है जिससे ट्रंक कॉलों के शुल्क वसूलने में आसानी रहती है। सैकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र के मुख्यालय सामान्यतः एलडीसीसी होते हैं। (3) कम दूरी के चार्जिंग केन्द्र को कम दूरी चार्जिंग क्षेत्र की एक विशेष एक्सचैंज के रूप में परिभाषित किया गया है। जिससे ट्रंक कॉल शुल्क वसूलने में आसानी रहती है। कम दूरी			

	चार्जिंग क्षेत्र के मुख्यालय (4) सैकेन्डरी स्विचिंग क्षे.ा जिला की सीमाओं से मेल र हैं।	(एसएसए) के क्षेत्र हैं जि	ानकी सीमांए सामान्यतः	
12.(b) आईएसडी (अंतर्राष्ट्रीय सब्सक्राइबर डायल्ड कॉलें)	राष्ट्र श्रेणी — सार्क और अन्य पड़ोसी देश	1 अप्रैल 1999 से <sup>-</sup> 31 मार्च 2000 तक  2.5	1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक - 2.8	—
	अफ्रीकी देश, यूरोप, खाड़ी देश, एशिया और ओशियाना	1.5	1.8	2.3
ये पल्स दरें व्यस्त घंटो के आईएसडी काल्स पर एक मिनट के लिए लागू होती हैं	अमरीकी महाद्वीप के देश और पश्चिम हैमिस्फियर के अन्य स्थान		1.5	1.8
12.(bi) प्रति एक मीटर्ड काल पर 80 पैसे की पल्स	कॉल किए गए  सार्क और अन्य पड़ोसी देश	1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक — 20.00		1
	अफ्रीकी देश, यूरोप, खाड़ी देश, एशिया और ओशियाना	32.80	27.20	21.60

	अमरीकी महाद्वीप के देश और पश्चिम हैमिस्फियर के अन्य स्थान		32.80	24.20
12.(bii) 1 रू प्रति एक मीटर्ड काल की पल्स दर पर तक	कॉल किए गए  सार्क और अन्य पड़ोसी देश	31 मार्च 2000 तक  25.00	1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक — 21.00	31 मार्च 2002  18.00
	अफ्रीकी देश, यूरोप, खाड़ी देश, एशिया और ओशियाना अमरीकी महाद्वीप के देश और पश्चिम हैमिस्फियर के अन्य स्थान	51.00	<b>34.00 41.00</b>	27.00 34.00
12 (biii) 1.20 पैसे प्रति मीटर्ड काल की पल्स दर पर तक	कॉल किए गए	1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2000 तक	1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001 तक	
	सार्क और अन्य पड़ोसी देश	30.00	25.20	21.60
	अफ्रीकी देश, यूरोप, खाड़ी देश, एशिया और ओशियाना	49,20	40.80	32.40
	अमरीकी महाद्वीप के देश और पश्चिम	61.20	49.20	40.80

	Ţ <del></del>
	हैमिस्फियर के अन्य स्थान
·	नोट : दूर संचार विभाग के मौजूदा वर्गीकरण के मुताबिक देशों की श्रेणियां तय की गई हैं।
13) अतिव्यस्त अवधि में शुल्क दर	
13.a हस्तचलित ट्रंक कॉलों के लिए	
13.ai. स्थान जहां एसटीडी सुविधा है।	(1) रू 5 प्रति काल साथ में (2) एसटीडी देशीय लंबी दूरी की कॉलों की शुल्क दर, जैसी लागू है। बशर्ते कि इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम शुल्क एक मिनट की देशीय लंबी दूरी की एसटीडी कॉल की राशि के बराबर हो सकता है। उपरोक्त शुल्क अधिकतम सीमा है।
13.aii स्थान जहां एसटीडी सुविधा नहीं हैं।	शुल्क दरे उपरोक्त (1) के समान हैं, यह मानते हुए कि इन स्थानों में एसटीडी सुविधा है।
13.b) कई विशेषताओं जैसे डिमांड कॉल पर्सन—दू—पर्सन कॉल वाली ट्रंक कॉलों के लिए	स्थगन
· 13.cआपरेटर द्वारा संघालित अंतर्राष्ट्रीय काल्स	
13.ci. वह स्थान जहां आईएसडी सुविधा है।	(1) 5 रूपये प्रति काल साथ में (2) आईएसडी देशीय लंबी दूरी की कॉलों की शुल्क दर, जैसी लागू है। बशर्ते कि इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम शुल्क एक मिनट की देशीय लंबी दूरी की आईएसडी

13.aii स्थान जहां आईएसडी सुविधा नहीं है।	कॉल की राशि के बराबर हो सकता है। उपरोक्त शुल्क अधिकतम सीमा है। शुल्क दरे उपरोक्त (1) कें समान हैं, यह मानते हुए कि इन स्थानों में आईएसडी सुविधा है।
13.b कई विशेषताओं जैसे डिमांड कॉल पर्सन- दू-पर्सन कॉल लाइटनिंग आदि के लिए	स्थगन
अति व्यस्त अवधि 14 a देशीय लंबी दूरीं की कॉलें	(1) 50 किमी. तक की दूरी के लिए अति व्यस्त और सामान्य समय का कोई विभाजन नहीं (2) अन्य सभी दूरी स्लैबों के लिए, अति व्यस्त अवधि एक कैलेण्डर दिन में 11 घंण्टों से अधिक नहीं हो संकती। इस अनुसूची में निर्धारित व्यस्त अवधि शुल्क किसी भी दिन 50 किमी. से अधिक दूरी के लए 11 घण्टों से अधिक नहीं लगाया जा सकता। (3) अति व्यस्त घण्टे निर्धारित करने के लिए चुनाव फिलहाल स्थगित।
14 b अंतर्राष्ट्रीय कॉलों अनुसार	(1) अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए निर्धारित व्यस्त घण्टों की पलस दरें दर्शाने वाली सारणी के के लिए राष्ट्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए, अति व्यस्त अवधि 11 घण्टों से अधिक नहीं हो सकती। इस अनुसूधी में अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए निर्धारित व्यस्त अवधि शुल्क किन्हीं न श्रेणी के देशों के लिए 11 घओं से अधिक नहीं लगाया जा सकता।  (2) राष्ट्रों की तीनों श्रेणियों के लिए अति व्यस्त घण्टे निर्धारित करने का चुनाव फिलहाल स्थिगत।
15.) 15.a देशीय लंबी दूरी से कम	(1) 50 किमी. तक की दूरी के अलावा, किसी भी कैलेण्डर दिवस में गैर व्यस्त अवधि 13 घण्टों की कॉलों के लिए नहीं हो सकती। (2) रविवार और राष्ट्रीय दिवस (जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूब्र) कैलेण्डर दिन के 24 घण्टों गैर व्यस्त अवधि माने जाएंगे।

		(3) गैर व्यस्त घण्टे निर्धारित करने के लिए चुनाव फिलहाल स्थगित।
		(4) गैर व्यस्त अवधि के लिए शुल्क निर्धारण स्थिगित बशर्ते कि यह शुल्क इस अनुसूची में तय किए गए अति व्यस्त अवधि शुल्क से कम हो।
	15. b अंतराष्ट्रीय	(1) अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए निर्धारित व्यस्त घण्टों की पलस दरें दर्शाने वाली सारणी के अनुसार कॉलों के लिए के लिए राष्ट्रों की तीन श्रेणी के लिए गैर व्यस्त घण्टों की अवधि एक कैलेण्डर दिन में 13 घण्टों से कम नहीं हो सकती।
	•	(2) रविवार और राष्ट्रीय दिवस (जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर) कैलेण्डर दिन के 24 घण्टों गैर व्यस्त अवधि माने जाएंगे।
		(3) राष्ट्रों की तीनों श्रेणियों के लिए एक दिन में गैर व्यस्त घण्टे निर्धारित करने के लिए चुनाव फिलहाल स्थगित।
		(4) गैर व्यस्त अवधि के लिए शुल्क निर्धारण स्थगित, बशर्ते कि यह शुल्क इस अनुसूची में तय किए गए अति व्यस्त अवधि शुल्क से कम हो।
16) फ्रैन्चाइज ग्रुप पीबीएक्स, या पीएबीएक्स		
	और डीआईडी सुविधा सहित ईपीएबीएक्स	
	(बहुमंजिली इमारतों,	
	अन्य इमारतों और सहकारी आवास	·
	समितियों के लिए)	
	16) फ्रैन्चाइज के लिए	
	16.a पंजीकरण	इस आदेश की तिथि को चालू प्रभार अधिकतम सीमा माने जाएँ।
	और प्रस्थापन प्रभार	
	,	•

### 16.अ.ii) प्रति जंक्शन लाइन के लिए किराया

16.a.ii.1 और दोतरफा जंकशनों के लिए

एक्सचैंज प्रणाली क्षमता (लाइनों की संख्या)	ग्रामीण फ्रैन्चाइजी (अधिकतम सीमा रूपयों में)	शहरी फ्रैन्चाइजी (अधिकतम सीमा रूपयों में)	
  999 लाइनों तक	120	160	
1000 से 29999 लाइनें	160	160	
30000 से 99999 लाइन	Ť	220	220
1 लाख से अधिक लाइनें	310	310	

16.a.ii.2 आने वाली कॉलों के जंक्शनों के लिए 16.a.ii.3 शुल्क से संबंधित अन्य मामले 16.b एक्सटेन्शन उपयोग करने वालों के लिए 16.bi पंजीकरण और प्रस्थापन प्रभार 16.bii मासिक किराया 16.biii सुरक्षा जमाराशि 16.biv कॉल प्रभार 16.bv मुफ्त कॉलें या निशुल्क कॉलें 16.vi शुल्क से संबंधित अन्य मामले

आउटगोंइंग और दोतरफा जंक्शनों के लिए किराए में 50 रूपयें प्रतिमाह की न्यूनतम छूट

स्थगन

इस आदेश की तिथि को लागू प्रभार ही शुल्क की अधिकतम सीमा होंगे।

125 रूपये प्रति माह

एक्सटैन्शन प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं से 12 महीने के किराए की अधिकतम सीमा। रू0 1.20 प्रति मीटर्ड काल

कुछ नहीं

स्थगन

नोट : फ्रैन्चाइजी वैकल्पिक शुल्क पैकेज प्रस्तुत कर सकते हैं। वैकल्पिक शुल्क पैकेज की व्याख्याके लिए इस अनुसूची के अंत में दिए गए व्याख्यात्मक नोट देखें।

18 a से e तक

20	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART III—Sec. 4]
17.) उपभोक्ता के निजी ग्रुप पीएीएक्स, पीएबीएक्स, ईपीएबीएक्स कार्यालयों इमारतों, होटलों और अन्य पार्टियों के लिए	
17.a पंजीकरण और प्रस्थापन प्रभार	इस आदेश की तिथि को लागू प्रभार ही अधिकतम सीमा माने जाएंगे।
17.b प्रति जंक्शन लाइन मासिक किराया	- -
17.b.i की जाने वाली कॉलों और दोतरफा जंक्शन लाइन	रू0 620 प्रति माह की अधिकतभ सीमा
17.b.ii आने वाली कालों के लिए जंक्शन लाइन	रू0 प्रति माह की अधिकतम सीमा में रू0 50 की न्यूनतम छूट
17.c कॉल प्रभार 17.d मुफ्त कॉलें या निशुल्क कॉलें	रू0 1.20 प्रति मीटर्ड कॉल कुछ नहीं
17.e शुल्क से संबंधित अन्य मामले 18) उपलब्धकर्ता के	स्थगन
निजी ग्रुप पीबीएक्स, पीएबीएक्स, ईपीएबीएक्स (ऑफिस इमारतों, होटलों और अन्य पार्टियों के लिए)	
7	l \ r \ - o \ x

17 असे ई को कापी करें।

19. पीसीओ ⁄ वीपीटी	
19.a) सिक्के वाले बक्से	
सीसीबी	
19.a.i) ग्रामीण क्षेत्रों में	रू 1.00 प्रति मीटर्ड कॉल
शुल्क	
19.a.ii) शहरी क्षेत्रों में	रू 1.00 प्रति मीटर्ड कॉल
शुल्क	
19.b) पीसीओ/वीपीटी	
द्वारा (एसटीडी/आईएसडी	
पीसीओ/यीपीटी के अलावा	
19.b.i) ग्रामीण क्षेत्रों में	रू 1.00 प्रति मीटर्ड कॉल
19.b.ii) शहरी क्षेत्रों में	रू 1.00 प्रति मीटर्ड कॉल
19.c) एसटीडी/आईएसडी	
पीसीओ/वीपीटी से	
एसटीडी/आईएसडी	
कालों के लिए शुल्क	
19.c.i) ग्रामीण क्षेत्रों में	क्त 1.20 प्रति मीटर्ड कॉल की अधिकतम सीमा
	जमा
	प्रत्येक एसटीडी/आईएसडी कॉल (अवधि का फर्क किए बिना) पर रू0 2 की अधिकतम सीमा
19.c.ii) शहरी क्षेत्रों में	राना रू 1.20 प्रति मीटर्ड कॉल की अधिकतम सीमा
। १५.८.॥) राहरा वात्रा न	जमा
	प्रत्येक एसटीडी/आईएसडी कॉल (अवधि का फर्क किए बिना) पर रू0 2 की अधिकतम
	सीमा
19.c.iii) लंबी दूरी के	रथगन
पब्लिक टेलीफोन	
पर फ्लैट रेट	,

20) फैक्स	स्थगन
21) शुल्क से संबंधित	रथगन
अन्य मामले (बिलिंग चक्र,	
और विशेष तथा पूरक	
सेवाओं सहित जिनका	
उल्लेख पहले नहीं	
किया गया है।	
व्याख्यात्मक नोट :	
a) कम उपयोग	वे उपभोक्ता जो प्रत्येक बिलिंग चक्र में 500 से अधिक कॉलें प्रति माह न करें।
करने वाले उपभोक्ता	
b)सामान्य उपयोग	वे उपभोक्ता जो कम उपयोग और व्यावसायिक उपयोग करने वाले उपभोक्ता की श्रेणी में
नहीं करने वाले उपभोक्ता	आते। प्रयोग के आधार पर उपभोक्ताओं का एक श्रेणी से दूसरी में स्थानांतरण की प्रक्रिया
	जैसे निम्न उपयोग वाले उपभोक्ताका सामान्य उपयोग की श्रेणी में आना या सामान्य श्रेणी
	के उपभोक्ता का निम्न उपयोग श्रेणी में जाना। की सूचना 30 सितम्बर 1999 से पहले
दी	जाएगी, क्योंकि यह मामला 1 अप्रैल 2000 से लागू होगा।
c) व्यवसायिक उपयोग	प्राधिकरण गहन विचार विमर्श के बाद ही उपभोक्ताओं का व्यावसायिक श्रेणी में वर्गीकरण के
	लिए करने वाले उपभोक्ता नियम निर्धारित करेगा। अंतरिम रूप से व्यावसायिक उपयोग वाले
	उपभोक्ता वे माने जाएंगे जो किराए के लिए व्यावसायिक उपयोग वाले उपभोक्ता श्रेणी का
	चुनाव करें। व्यावसायिक उपभोक्ताओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया उनके चुनाव करने के बाद
n., 6 \-	वाले बिलिंग चक्र की शुरूआत से तय होगी।
d)ग्रामीण उपभोक्ता	वे उपभोक्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस अनुसूची के लिए ग्रामीण उपभोक्ताओं की
परिभाषा यही	रहेगी जैसा कि भारत की जनगणना में बताई गई है।
e) शहरी उपभोक्ता	वे उपभोक्ता जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इस अनुसूची के लिए शहरी उपभोक्ताओं की परिभाषा
वही	रहेगी जो भारत की जनगणना करने के लिए प्रयोग में लाई गई।
f)मानक शुल्क पैकेज	मानक शुल्क पैकेज में बुनियादी सेवाओं के लिए इस अनुसूची में निर्धारित शुल्क उपलब्ध हैं।
	इनमें निशुल्क कॉलों की निर्धारित संख्या भी शामिल है। उपभोक्ताओं की उपरोक्त तीन श्रेणी
	असे सके आधार पर इस अनुसूची में विभिन्न शुल्क पैकेज दिए गए हैं।
g) वैकल्पिक शुल्क	मानक शुल्क पैकेज के अतिरिक्त उपलब्धकर्ताओं के लिए दरें और निशुल्क कॉल भत्ता। इन
	वैकल्पिक पैकेज शुल्क पैकेजों में जिन विषयों को अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित किया
	` j

- h) मानक पैकेज के अनिवार्य विषय आईएसडीएन
- i) एक्सचैन्ज

प्रणाली की क्षमता वही मानी चार्जिंग क्षेत्र (एसडीसीए) में किसी

- j) कम दूरी चार्जिंग मेल क्षेत्र (एसडीसीए)
- k) चार्जिंग केन्द्र
- लंबी दूरी के एक्सचैन्ज चार्जिंग केन्द्र मुख्यालय (एलडीसीसी)
- m) कम दूरी के एक विशेष चार्जिंग केन्द्र के
- n) सैकेन्डरी स्विचिंग क्षेत्र (एसएसए)

गया है, वे इसी सीमा के दायरे में रहेंगे। जिन विषयों (जैसे, किराया और कॉल प्रभार) के लिए इस अनुसूची में एक निश्चित राशि तय की गई है, वैकल्पिक शुल्क पैकेज में उनके लिए वैकल्पिक शुल्क तय करने की सुविधा है। इसी तरह वैकल्पिक शुल्क पैकेज में वैकल्पिक निशुल्क कॉल भत्ता भी उपलब्ध कराया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को इस अनुसूची में निर्धारित शुल्कों को निशुल्क कॉल भत्तों पर भी मूल सुविधाएं के अलाया उपलब्ध होनी चाहिएं। इसके अतिरिक्त, उपलब्धकर्ता उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक शुल्क पैकेज प्रस्तुत कर सकता है। उपभोक्ता इन विभिन्न शुल्क दरों और निशुल्क कॉल विकल्पों में से चुनाय करने के लिए स्यतंत्र है।

गप्रमीण उपभोक्ताओं के लिए शुल्क दरें लागू करने के अतिरिक्त उद्देश्य से (किराए सहित), किसी प्रणाली की क्षमता स्थानीय क्षेत्र की सभी एक्सचैन्जों की कुल क्षमता। एक्सचैन्ज जाएगी जैसा कि 15 अगस्त 1998 से पहले लागू थी, यानि स्थानीय कॉल क्षेत्र के कम दूरी के साथ को—टर्मिनस होने से पूर्व। इस आदेश के लागू होने की तिथि के बाद एक्सचैंज क्षमता भी वृद्धि पर शुल्क के लिए वर्गीकरण करने के समय विचार किया जाएगा।

कम दूरी के चार्जिंग क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो कुछ अपवादों को छोड़कर, राजस्य तहसील/तालुक से खाते हैं। शुल्क के लिए स्थानीय क्षेत्र एक एसडीसीए से को—टर्मिनस माना गया है। चार्जिंग केन्द्रों को लंबी दूरी के चार्जिंग केन्द्र और कम दूरी के चार्जिंग केन्द्रों में विभाजित किया गया है।

लंबी दूरी के चार्जिंग केन्द्र वर्तमान परिभाषा के अनुसार लंबी दूरी चार्जिंग क्षेत्र में एक ट्रंक को कहते हैं। इसका उद्देश्य ट्रंक काल शुल्क वसूलना है। सैकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्र के साभान्यतः एलडीसीसी होते हैं।

कम दूरी के चार्जिंग केन्द्र से अभिप्राय वर्तमान परिभाषा के अनुसार कम दूरी चार्जिंग क्षेत्र की एक्सचैन्ज से है जिसका उद्देश्य ट्रंक कालों का शुल्क वसूलना है। कम दूरी के चार्जिंग क्षेत्रों (एसडीसीसी) मुख्यालय सामान्यतः एसडीसीसी हैं।

सैकेन्डरी स्थिचिंग क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनकी सीमाएं, को-टर्मिनस हैं और जहां एक सैकेण्डरी ट्रंक स्थिता एक्सचैन्ज स्थित है।

# अनुसूची ॥ सेल्यूलर मोबाइल सर्विस (सी एम टी एस)

#### विषय

#### शुल्क दर

(1) लागू करने की तिथि	01 अप्रैल, 1999
(2) एक कैलेंडर दिवस में घंटों का वर्गीकरण	सामान्य घंटे और रियायती घंटे K
(3) सामान्य घंटों और रियायती घंटों का समय	सामान्य घंटे एक कैलेंडर दिवस में 11 घंटे से अधिक नहीं होगा, अगर विशेष रूप से दिए गए हों तो उन्हें छोड़ कर बाकी सभी घंटे रियायती होंगे।
(4) सामान्य घंटों और रियायती घंटों का समय	स्थगन
(5) कॉलन के लिए पल्स रेट	20 सेकेंड
(6) जमा	सीलिंग लाइसेंस में बताई गई लागू 💙
(7) लगने का शुल्क	सीलिंग लाइसेंस में बताई गई लागू दर

- यह शुल्क 1 अप्रैल 1999 से 31 जुलाई 1999 तक लागू रहेगा। कालिंग पार्टी पेज (सी पी पी) के
   1 अगस्त 1999 से अलग अधिसूचित होने तक यह शुल्क लागू रहेगा।
- भ सामान्य घंटे और रियायती घंटे का तात्पर्य व्यस्त घंटे और कम व्यस्त घंटे से होगा जिसकी अलग से अनुसूची । की सामान्य सेवाओं में (आई एस डी एन के अलवा) चर्चा की गई है।

विषय

शुल्फ

(8) किराया	600 रूपए प्रतिमाष्ट
(9) एअर टाइम चार्ज	
9(ए) सामान्य घंटे	6 रूपए प्रति मिनट
9(बी)रियायती घटे	स्थगन;
	रविवार और तीन राष्ट्रीय छुट्टियों (26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर) को रियायती घंटे लागू होंगे।
विभिन्न श्रेणियों की कालों के लिए विशेष शुक्क	
(10) पी एस टी एन फोन से मोबाइल पर कालें	जिसे फोन किया गया है वह पार्टी एअर टाइम का शुल्क देगी।
(11) मोबाइल से पी एस टी एन पर कालें	समाविष्ट शुल्क
	(i) ए आर टाइम; साथ में
	(ii) पी एस टी एन चार्ज स्थानीय या लम्बी दूरी की कालों के लिए, जो समय—समय पर जिस तरह से लागू हो
(12) मोबाइल से मोबाइल पर कालें	दोनों पक्षों को एअरटाइम का भुगतान करना पड़ेगा।
- मेट्रो लाइसेंसे सर्बिस एरिया में	
(13) मोबाइल से मोबाइल पर कालों जिसे	शुल्क में एअरटाइम के साथ लम्बी दूरी के चार्ज,
ऊपर (12) के सामिल नहीं किया गया है।	जो दूरी के हिसाब से तय होंगे समाविष्ट रहेगें। सेवा मुहैया कराने वाले को काल करने वाली पार्टी को पूरा चार्ज के भुगतान के बारे में पहले ही बताना पड़ेगा।

## अनुसूची ॥

## रेडियो पेजिंग सेवा

विषय	. शुल्क दर
(1) लागू करने की तिथि	01 अਪ੍ਰੈਕ, 1999
(2) जमाराशि	लाइसेन्स में निर्धारित वर्तमान शुल्क को अधिकतम सीमा माना जाए।
(3) पंजीकरण शुल्क सीमा माना जाए।	लाइसेन्स में निर्धारित वर्तमान शुल्क को अधिकतम
(4) किराया (अ) अल्फान्यूमरिक सेवा (ब) न्यूमरिक सेवा	300 रु. प्रति माहं उच्चतम सीमा 175 ऊपर प्रति महा उच्चतम सीमा
(5) शुल्क से सम्बन्धित अन्य मामले, जैसे पूरक सेवाएँ, उपयोग सेवाएँ, उपयोगी सेवाएँ, बिलिंग चक्र	स्थगन

विषय	शुत्क
(14) अतिरिक्त सूची	
14(ए) रोमिंग	स्थगन
14(वी) दूसरी सहायक सेवाएँ	स्थगन
14(सी)बैल्यू एडेड सर्विस	स्थगन
14(डी) बाकी चीजें जो शुल्क और बिलिंग चक्र से जुड़ी हों	स्थगन
ध्याख्यात्मक नोट	
(ए) सामान्य शुल्क पैकेज	अनुसूची में बताए गए शुल्क के साथ सामान्य पैकेज सेल्यूलर सेवाएँ मुहैया कराती हैं।
(बी) वेकल्पिक शुल्क पैकेज	सामान्य पैकेज के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को शुल्क बताया गया है।
	इस अतिरिक्त शुल्क पैकेज में तय सीलिंग से ज्यादा शुल्क नहीं होगा। बैकल्पिक शुल्क पैकेज में रेंटल और एअरटाइम शुल्क में फर्क हो सकता है।

# अनुसूची IV लीज़्ड सर्किट

लाउँ वाकट			
आइटम	शुल्क		
1. लागू होने की तारीख	01 अप्रैल 1999		
2. कवरेज	(a) अधिकतम सीमा के रुप में विनिर्दिष्ट सभी शुल्क		
	(b) अतिरिक्त क्षमता, जब उपलब्ध हो तो, के इस्तेमाल के आधार पर प्रदत्त कराए जाने वाले जीजड सर्किट के लिए यह आवश्यक है और जब अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध न हो तो किराए । और गारंटी शतों के आधार पर		
	(c) लीज्ड रार्किट का शुल्क गणना इस प्रकार होगी		
	<ul> <li>(i) रेडी रेकनर हैरिफ के तहत दिए गए शुल्क के युग्मक के रुप में और अन्य अतिरिक्त लागत जो लागू हो, के तहत दिए गए शुल्कों के रुप में</li> </ul>		
	या		
	(ii) किराए और गारंटी शतों के रुप में		
3. स्पीड के लीज्ड			
सर्किट के लिए			
रेडी रेकनर टैरिफ			
3(a) 64 के बी पी एस	इस सूची के अनुलग्नक 1 में दर्शाए अनुसार		
3(b) 2 एम बी पी एस	इस सूची के अनुलग्नक 2 में दर्शाए अनुसार		
3(c) 64 के बी पी एस से नीचे	स्थगन		

3(d) एन टाइम्स 64 केबीपीएस	128 केबीवीसी से 960 केबीपीएस के बीच की क्षमता के अधिकतम शुल्क 64 केबीपीम के लीज्ड सर्किट के अधिकतम शुल्क नीचे दर्शाए गए गणकों के गुणन के जरिए निर्धारित किए जाएंगे। क्षमता (केबीपीएस) गणक		
	960	7.6	
	768	6.4	
	512	4.8	
	384	4.0	
	320	3.6	
	256	3.1	
	192	2.5	
	128	1.8	
3(e) एन टाइम्स 2 एमबीपीएस	एन टाइम्स 2 एमबीवीस के लीज़्ड सर्किट का अधिकतम शुल्क दो एमबीपीस के लीज्ड सर्किट के अधिकतम शुल्क का एन गुना होगा, अधिकतम शुल्क की गणना को छोड़कर।		
	(i) N = 34 एमबीपीस के लिए 16 और		
	(ii) N = 140 एमबीवीएस के लिए	64	
4. अन्य अतिरिक्त लागत	अगर इन अतिरिक्त आइटमों पर	चार्ज वसूला जाता है, तो	
जो आगू हो	बिल में इनको अलग से दर्शाया	जाना चाहिए।	
4 (a) स्थानीय लीड या अंतिम संपर्क	स्थानीय लोड (या अंतिम संपर्क) के लिए शुल्क इस प्रकार लिया जाएगा।		
	<ul><li>(i) इन स्थानीय लीडों के लीज</li></ul>	का शुल्क या	
	(ii) अगर इस तरह की ली संभ	व न हो तो	
	(1) किराए या गारंटी के आधार पर, या वैकल्पिक रूप (2) योगदान के आधार पर।		
4 (b) वे के अकािर के लिए	सेवा प्रदाता अगर कोई राशि दी	गई है तो उस पर भी	
भुगतान/वे लीव चार्ज	चार्ज वसूल सकता है।		

	····
<ul><li>कराए या गारंटी की शतों पर दिए गए लीजड सर्किटों</li></ul>	(a) पूरी तरह लागत पर ही आधारित होंगे। (b) भावी लीज्ड सर्किटों पर इस अनुसूची के अतंर्गत
के लिए शुलक	किराए और गारंटी शुल्क लागू होंगे।
<ul><li>ह. लघु अवधि के लिए लीज पर</li><li>दिए गए सिर्कटों के लिए शुल्क</li></ul>	
B(a) तीन माह की अवधि हेतु	रेडी रेकनर टैरिफ वर्ग के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रो-राटा रेंटल का दुगना।
8(b) तीन माह से अधिक पर एक 6(c) लोक लीड या अंतिम संपर्क के लिए चार्ज	रेडी रेकनर टैरिफ वर्ग में विनिर्दिष्ट वर्ष भर का किराया मैजूदा लोकल लीड और लम्बी दूरी माध्यम में अति— रिक्त रुप से खर्च अतिरिक्त लगान सहित, को ऊपर के आइटम (a) और (b) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लघु अवधि के रेंटल में जोड़ा जा सकता है।
<ol> <li>ग्रंब लीज्ड सिर्कटों को उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त क्षमता की जरूरत हो तो शुल्क</li> <li>लीज्ड सिर्कटों के शुल्क</li> </ol>	विपक्षीय बातचीत के आधार पर लागत में हिस्सेदारी के अनुसार सर्किट किराए पर देने और उपलब्ध कराने वाली पार्टियां। स्थगन
से संबंधित अन्य मामले	

## (अनुसूची IV का अनुलग्नक 1)

140 एमबीपीएस सिस्टम पर आधारित 64 केबीपीएस के लिज़्ड सर्किटों के अधिकतम शुल्क का रेडी रेकनर

दूरी(किमी)	कुल (रु.)	दूरी किमी	कुल (रु.)	दूरी किमी	कुल (रु.)
5	24,558	205	55,091	405	82,623
10	25,632	210	55,770	410	83,302
15	26,707	215	56,449	415	83,981
20	27,781	220	57,129	420	84,661
25	28,856	225	57,808	425	85,340
30	29,930	230	58,487	430	86,019
35	31,005	235	59,167	435	86,699
40	32,079	240	59,846	440	87,378
45	33,154	245	60,525	445	88,057
50	34,319	250	61,295	450	88,827
55	34,442	255	61,974	455	89,506
60	35,121	260	62,653	460	90,185
65	35,800	265	63,332	465	90,864
70	36,480	270	64,012	470	91,544
75	37,159	275	64,691	475	92,223
80	37,838	280	65,370	480	92,902
85	38,518	285	66,050	485	93,582
90	39,197	290	66,729	490	£4,261
95	39,876	295	67,408	495	94,940
100	40,646	300	68,178	200	95,710
105	41,325	305	68,857	पांच सौ कि	
110	42,004	310	69,536	अधिक की द्	र्री के लिए
115	42,683	315	70,215	समानरुप से	े8, <b>00</b> 0रुपये
120	43,363	320	70,895		
125	44,042	325	71,574		
130	44,721	330	72,253		
135	45,401	335	72,933		
140	46,080	340	73,612		
145	46,759	345	74,291		
150	47,529	350	61,475		
155	48,208	355	75,740		
160	48,887	360	76,419		
165	49,566	365	77,089		
170	50,246	370	77,778		
175	50,925	375	78,457		
180	51,604	380	79,136		
185	52,284	385	79,816		
190	52,963	390	<b>80,49</b> 5		
195	53,642	395	81,174		
200	54,412	400	81,944		

# (अनुसूची IV अनुलग्नक 2)

140 एमबीपीएम सिस्टम पर दो एमबीपीएस के लिज़्ड सर्किटों के अधिकतम शुल्क के लिए रेडी रेकनर

दूरी(किमी)	কুল (रु.)	दूरी किमी	कुल (रु.)	दूरी किमी	कुल (रु.)
5	55,820	205	971,810	405	1,797,763
10	88,056	210	992,189	410	1,818,141
15	120,291	215	1,012,567	415	1,838,520
20	152,527	220	1,032,946	420	1,858,899
25	184,763	225	1,053,325	425	1,879,278
30	216,999	230	1,073,704	430	1,899,657
35	249,235	235	1,094,083	435	1,920,035
40	281,471	240	1,114,461	440	1,940,414
45	313,706	245	1,134,840	445	1,960,793
50	348,642	250	1,157,919	450	1,983,872
55	352,345	255	1,178,298	455	2,004,251
60	372,724	260	1,198,677	460	2,024,630
65	393,103	265	1,219,056	465	2,045,008
70	413,482	270	1,239,434	470	2,065,387
75	433,860	275	1,259,813	475	2,085,766
80	454,239	280	1,280,192	480	2,106,145
85	474,618	285	1,300,571	485	2,126,524
90	494,997	290	1,320,950	490	2,146,902
95	515,376	295	1,341,328	495	2,167,281
100	538,454	300	1,364,407	500	2,190,360
105	558,833	305	1,284,786		लोमीटर से
110	579,212	310	1,405,165	अधिक की व	
115	599,591	315	1,425,544		र्मे 22 लाख
120	619,970	320	1,445,923	रुपए	
125	640,349	325	1,466,301	•	
130	660,727	330	1,486,680		
135	681,106	335	1,507,059		
140	701,485	340	1,527,438		
145	721,864	345	1,547,817		
150	744,943	350	1,163,319		
155	765,321	<b>3</b> 55	1,591,274		
160	785,700	360	1,611,653		
165	806,079	365	1,632,032		
170	826,458	370	1,652,411		
175	846,837	375	1,672,790		
180	867,216	380	1,693,168		
185 .	887,594	385	1,713,547		
190	907,973	390	1,733,926		
195	928,352	395	1,754,305		
200	951,431	400	1,777,384		

# अनुसूची V

# आईएसडीएन सेवाएं

विषय	शुल्क दर
(1) लागू करने की तिथि	01 अप्रैल, 1999
(2) प्रारंभिक जमाराशि और पंजीकरण	सभी जमाराशि का कुल जोड़ (उपकरणों के लिए सुरक्षा राशि के अलावा) एक वर्ष के किराए से अधिक नहीं हो सकता। पंजीकरण राशि को प्रारंभिक जमाराशि में विलय करना चाहिए ताकि जमाराशि की अधिकतम सीमा से तुलना की जा सके।
(3) प्रस्थापन और परीक्षण प्रभार	
3 (a)प्राइमरी रेट एक्सेस (पीआरए)के लिए	अधिकतम सीमा ४,००० रुपए
नेटवर्क टर्मिनल (एनटी) तक वायरिंग	
प्रभार	
3(b) बेसिक रेट एक्सेस (बीआरए)	अधिकतम सीमा 600 रुपए
के लिए एनटी 1 तक वायरिंग प्रभार	
3 (c)उपभोक्ता इंटरफेस बेस	अधिकतम सीमा 500 रुपए
3(d) आईएसडीएन टर्मिनल के लिए	
3 (d)(i) साधारण आइ एस डी एन फोन	अधिकतम सीमा 275 रुपए
(ii) आईएसडीएन पीसी कार्ड	अधिकतम सीमा 400 रुपए
(iii) आईएसडीएन फीचर फोन	अधिकतम सीमा 550 रुपए
(iv) टर्मिनल एडॉप्टर	अधिकतम सीमा 475 रुपए
(v) आईएसडीएन पीबीएक्स प्रति पोर्ट	अधिकतम सीमा 800 रुपए
(vi) जी 4 फैक्स टर्मिनल	अधिकतम सीमा 6,000 रुपए
(vii) वीडियोफोन	अधिकतम सीमा 1,350 रुपए
(4) आईएसडीएन उपकरणों के लिए	अलग—अलग आईएसडीएन उपकरणों पर मासिक
मासिक किराया (वैकल्पिक)	किराया तभी लगेगा जब ये उपकरण सेवा उपलब्धकर्त्ता से किराए पर लिए जाएँ।

4	() साधारण	। आईएसडीएन	- फोन
7	(1) 111-111	1 2116 / 1121/	

- (ii) आईएसडीएन पीसी कार्ड
- (iii) आईएसडीएन फीचर फोन
- (iv) टर्मिनल अडोप्टर
- (v) आईएसडीएन पीबीएक्स प्रति पोर्ट
- (vi) जी 4 फैक्स टर्मिनल
- (vii) वीडियोफोन
- 5. एक्सेस के लिए मासिक किराया
- 5 (a) पीआरए के लिए
  - (b) बीआरए के लिए
- (6) उपयोग प्रभारप्रत्येक बी चैनल के लिए
- (7) पूरक सेवाओं के लिए किराया
- 7(a) डायरेक्ट डायलिंग इन
- 7(b) कालिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन प्रेजेन्टेशन (सीएलआईपी)
- 7(c) लाईन हंटिंग
- 7(d) क्लोज़्ड यूजर ग्रुप (सी यू जी)
- 7(f) प्रभार का परामर्श
- 7(g) उपभोक्ता से उपभोक्ता सिग्नलिंग
- अस्थाई आईएसडीएन कनैक्शनको किराए पर लेने की न्यूनतम अविध
- 9. अस्थाई आईएसडीएन कनैक्शर्नों का किराया

अधिकतम सीमा 550 रुपए

अधिकतम सीमा 800 रुपए

अधिकतम सीमा 1,100 रुपए

अधिकतम सीमा 950 रुपए

अधिकतम सीमा 1,600 रुपए

अधिकतम सीमा 12,000 रुपए

अधिकतम सीमा 2,700

3 कि.मी. तक के लिए रु. 5000 की अधिकतम सीमा और उसके बाद रु. 2,000 प्रति कि.मी. या उसका अंश

अधिकतम सीमा रु. 1,000

पी एस टी एन की दरें अधिकतम सीमा होगी न्यूनतम उपयोग प्रभार निर्घारित नहीं हैं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

नहीं

एक माह

Ŧ		<del></del>
9 (a)	पीआरए के लिए	3 कि.मी. तक के लिए रु 10,000 प्रति माह और प्रत्येक
9 (b)	बीआरए के लिए	अतिरिक्त कि.मी.के लिए रु. 4,000 की अधिकतम सीमा रु. 2,000 प्रति माह की अधिकतम सीमा
10.	उपलब्धि से पूर्व समर्पण	सभी किए गए खर्च लिए जाएँगे
11.	बुनियादी सेवा उपलब्धकर्ता से	यह राशि उस उपकरण के उस समय के बाजार मूल्य
1	उपकरण किराए पर लेने के लिए	से अधिक नहीं हो सकती
12.	शुल्क से सम्बन्धित अन्य सभी मामले,	स्थगन
	बिलिंग चक्र सिंहत	
i_		

# अनुसूची VI

# इंटरनेट

विषय	शुल्क दर	
(1) लागू करने की तिथि	01 अप्रैल, 1999	
(2) सभी इंटरनेट सेयाओं पर शुल्क, इंटरनेट लीज़्ड लाइन के अलावा	स्थगन	
(3) इंटरनेट लीज़्ड लाइन पर प्रभार	गति शुल्क की अधिकतम सीमा	
	(लाख रु. प्रति यर्ष)	
	2.4 केबीपीएस 0.7	
	9.6 केबीपीएस 2.5	
,	64 केबीपीएस 5	
	128 केबीपीएस 7.6	
	256 केबीपीएस 10.5	
	512 केबीपीएस 15.1	
	1 एमबीपीएस 25.1	
	2 एमबीपीएस 41.8	
(4) इंटरनेट शुल्क से सम्बन्धित अन्य सभी मामले, बिलिंग चक्र सहित	स्थगन	

### अनुसूची 💵

विषय	शुल्क दर
(1) लागू करने की तिथि	01 अप्रैल, 1999
(2) वैल्यू-एडेड सेवाएँ	इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है :
	(i) इलेक्ट्रॉनिक मेल
	(ii) वॉयस मेल
	(iii) इनसैट उपग्रह सिस्टम के जरिए क्लोडड यूज़र्स ग्रुप डोमेस्टिक 64 के पी बी एस डाटा
	(vi) वीडियोटेक्स्ट सेवा
	(v) वीडियो कांन्फ्रेंसिंग
(3) शुल्क से जुड़े सभी मामले,	
बिलिंग चक्र सहित	

# अनुसूची VIII

### टेलेक्स और टेलीग्राफ सेवाएँ

विषय	शुल्क दर
(1) लागू करने की तिथि	01 अप्रैल, 1999
(2) शुल्क से सम्बन्धित सभी मामले	स्थगन

### अनुसूची - IX

## उपग्रह द्वारा अंतराष्ट्रीय मोबाइल पर्सनल संचार

### (जी एम पी सी एस)

विषय	शुल्क
(1) लागू करने की तिथि	01 अप्रैल, 199
(2) शुल्क से सम्बन्धित सभी मामले, बिलिंग चक्र सहित	स्थगन

#### परिशिष्ट A

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

#### A. प्रस्तावना

- 1. यह आदेश एक ऐसी गहन और विस्तृत प्रक्रिया की पराकाष्ठा है जिसमें दो परामर्श पत्र (एक परिकल्पना, नियमों और प्रक्रिया पर, और दूसरा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की प्रस्तावित शुल्क दरों पर) के अलावा इन पत्रों पर लिखित और मौखिक समीक्षा और देश के विभिन्न हिस्सों में हुई 'ओपन हाऊस' बैठकों में चर्चा शामिल हैं। प्राधिकरण ने इस विषय पर इस क्षेत्र के सभी संबंधित लोगों से विचार—विमर्श किया। इनमें सेवा उपलब्धकर्त्त, उपभोक्ता, संभावित निवेशक, संचार मंत्रालय और संसद सदस्य शामिल हैं। कई विषयों पर अन्य दूरसंचार विनियामक समितियों और अंतरराष्ट्रीय विषेषज्ञों की भी राय ली गई। इस आदेश द्वारा जारी निर्णयों को अंतिम रूप देते समय सभी टिप्पणियों पर खास ध्यान दिया गया, जिनमें प्राधिकरण की प्रस्तावित शुल्क दरों पर लोक सभा की स्थायी संचार समिति की रिपोर्ट (इसके बाद इसे स्थायी समिति कहा गया है) भी शामिल है।
- 2. इस व्याख्यात्मक ज्ञापन का उद्देश्य इस आदेश को स्पष्टता और पारदर्शिता तथा शुल्क के मामले में लिए गए निर्णयों की वजहें बताना है। प्राधिकरण जोर देकर कहना चाहता है कि ये दरें शुल्कों में संशोधन की प्रक्रिया में प्रथम कदम है और यह संशोधन प्रतिस्पर्धा की तैयारी और नई सेवाएं शुरू करने के लिए आवश्यक हैं। शुल्क में इस तरह के सुधार के बिना दूरसंचार सेवाओं खासकर बुनियादी सेवाओं का विकास समव नहीं है। संशोधित शुल्कों से न सिर्फ बुनियादी सेवा मुहैया कराने वाला दूरसंचार विभाग (डॉट) प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा बल्कि इससे डॉटको अपने नेटवर्क के विस्तार के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध होगा। इन शुल्कों से भिन्न सेवा क्षेत्रों में आने वाली नई कंपनियों की व्यवहार्यता का भी ध्यान रखा जा सकेगा।
- इस आदेश के जिए, प्राधिकरण इस क्षेत्र के निवेशकों को भी दूरसंचार क्षेत्र में मूल्य संशोधन की दिशा के विषय में एक संकेत पहुंचाना चाहता है। इसके प्रमुख तत्व हैं:
  - शुल्क दरों को मूल्यों की तुलना में और अधिक संशोधित किया जाएगा। साथ ही इसके सामाजिक उद्देश्य पर भी जोर दिया जाएगा ताकि दूरसंचार का कम इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को इस प्रणाली का और अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
  - सेवा उपलब्धकर्त्त और उनके जिए उपभोक्ताओं को अधिकाधिक सुविधाएं दी जाएंगी ताकि मूल्यनिर्धारण में लचीलापन हो और ग्राहकों वैकल्पिक शुल्क पैकेज दिया जा सके।

- 4. यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लेंगेशन (यू एस ओ) पर अलग से विचार किया जाएगा। प्राधिकरण यू एस ओ मूल्य आकलन करने के साथ—साथ ऐसे तरीके भी तलाशने में लगा है जिनसे इसे पूरा किया जा सके। इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में प्राधिकरण इस विषय पर एक परामर्श पत्र जारी करेगा ताकि यू एस ओ पर अधिक जानकारी दी जा सके।
- 5. प्राधिकरण द्वारा आयोजित विभिन्न सलाह मिशवरों के दौरान हुई विभिन्न टिप्पणियों से यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि विभिन्न संबंधित लोग अलग—अलग तरह के और कई बार परस्पर विरोधी, विषयों पर जोर दे रहे हैं उदाहरण स्वरूप, कई उपभोक्ता समूहों का मानना था कि 1997-98 में दूरसंचार विभाग (डॉट) का 7,000 करोड़ रुपये का आधिक्य काफी ज्यादा है और इसे कम करना चाहिए तािक कीमतों में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता खत्म की जा सके। दूसरी ओर डॉट और यहां तक कि लोक सभा की स्थायी सिमित भी इस आधिक्य को कम करने के पक्ष में नहीं थी। उनका मानना था कि दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए यह आवश्यक है। प्राधिकरण ने इस सभी विरोधाभासी टिप्पणियों के मद्देनजर एक संतुलित शुल्क पैकेज तैयार किया है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण के इसके मुख्य लक्ष्य का ध्यान रखने के साथ—साथ नेटवर्क प्रसार और उद्योग व्यवहार्यता का भी उचित प्रबंध है।
- 6. प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं से संबद्ध सभी मामलों का ध्यान रखा है, विशेष रूप से ग्रमीण उपभोक्ताओं के। इसका लक्ष्य था प्राधिकरण के 9 सितंबर 1998 में शामिल प्रस्तावों (परामर्श पत्र संख्या 98/3; इसके बाद 'द्वितीय परामर्श पत्र' कहा गया है) की तुलना में बुनियादी सेवाओं का उपयोग करने वाले निचले उपभोक्ताओं पर बोझा कम करना। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने साझी सुलभता पर भी जोर दिया है, जैसे कि फ्रेन्चाइज ई पी ए बी एक्स, जिसमें अधिकतर मामलों में डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन से भी कम किराया लगेगा। इसके अलावा दूरसंचार सेवा उपलब्धकर्ताओं को काफी लचीलापन मुहैया कराया गया है तािक वे प्राधिकरण द्वारा बताई गई चीजों के साथ—साथ वैकल्पिक किराया, कॉल प्रभार है / या मुफ्त कॉल भत्ता की सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। सुविधाओं में यह लचीलापन उपभोक्ताओं और प्रदाताओं दोनों के लिए लाभदायक है।
- गुल्कों में पुनर्संतुलन की प्रक्रिया को निम्नलिखित संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए :
  - 1993 की शुरुआत से ही शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है हालांकि उपभोक्ताओं
     की आमदनी और मूल्यों में इस बीच काफी वृद्धि हुई है।
  - सामर्थ्य से तात्पर्य सिर्फ किराए और स्थानीय कॉलों के शुल्क से नहीं बिल्क लम्बी दूरी की कॉलों से भी है।
  - लम्बी दूरी की कॉलों की शुल्क दर में तीन कारणों से कमी आएगी (15 अगस्त 1998 को लागू किए गए डॉट के आदेश के अनुसार स्थानीय क्षेत्र को विस्तृत कर निकटवर्ती कम दूरी के प्रभारी क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाएगा, आदेश के

अनुसार इन क्षेत्रों की कॉलों को स्थानीय कॉल का दर्जा दिया जाएगा, और 20 किमी से अधिक और 50 किमी से कम दूरी के क्षेत्रों में कॉलों के लिए शुल्क स्थानीय कॉलों की दर से लिया जाएगा।)

- लम्बी दूरी की कॉलों का शुल्क कम करने का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण उपभोक्ताओं को होगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से की गई कॉलों का एक बड़ा हिस्सा लम्बी दूरी की कॉलों का है।
- लम्बी दूरी की कॉलों का प्रभार शुल्क कम करने का फायदा एस टी डी पी सी ओ या बी पी टी उपयोग करने वालों को भी मिलेगा। ये दूरसंचार सेवा के वैसे उपभोक्ता हैं जो समाज के उच्च वर्ग से नहीं हैं उल्लेखनीय है कि एस टी डी शुल्क का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा पी सी ओ/वी पी टी से आता है।
- 8. प्राधिकरण का मानना है कि शुल्क सेवा मुहैया कराने वालों के लिए भी वाजिब है। और इससे उनकी व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी। यह सही है कि दूरसंचार विभाग के सरप्लस काफी हैं पर प्राधिकरण का मानना है कि भारत में दूरसंचार के विकास के मौजूदा चरण में दूरसंचार विभाग के पास पर्याप्त सरप्लस होना जरूरी है ताकि वह अपने नेटवर्क का विस्तार कर सके और अन्य सामाजिक जिम्मेदायों का निर्वाह कर सके।
- मौजूदा प्रक्रिया अपर्याप्त सूचना पर आधारित है। इससे कईचीजों का विस्तृत आंकलन नहीं किया जा सका। भविष्य में इस प्रक्रिया और सूचना को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, खासतौर पर मूल्य आधारित अभिगमन या इंटरकनेक्शन प्रभार निर्धारित करने के विषय में। इन शुल्कों के बारे में निर्णय में इंटरकनेक्शन के मामले में ज्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट किए जाने के लिए आवश्यक है और यह लंबी दूरी के क्षेत्र में किसी भी तरह के उदारीकरण के लिए महत्वपूर्ण घटक होगा।
- 10. प्राधिकरण ने इन प्रभार शुल्कों का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है। इसमें सेवा प्रदाताओं के लिए अलग अकाउंट की व्यवस्था भी शामिल है जिससे विस्तृत मूल्य आधार तैयार करने के साथ—साथ विभिन्न प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता उपलब्ध कराई जा सके, विषेष रुप से क्रास—सब्सिडाइजेशन के मामले में। आगे चलकर इस प्रक्रिया के फलस्वरूप मूल्यों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- 11. प्राधिकरण और डॉट के बची इस आदेश में शामिल बुनियादी सेवाओं के लिए क्षाइ एस डी एन के अलावा शुल्क दरों से मिलने वाले राजस्व को लेकर काफी मतभेद है। डॉट का मानना है कि लंबी दूरी की देसी और अंतरदेशीय कॉलों के मूल्यों में कमी के कारण इन कॉलों में वृद्धि होने की गुंजाइश कम है, जबकि प्राधिकरण को आशा है कि मूल्यों में कमी की वजह से इनकी संख्या में काफी वृद्धि होगी। इस विषय पर और अधिक जानकारी नीचे दी गई है।

- 12. नए शुल्क लागू करने से राजस्व स्थिति में आए बदलाव पर प्राधिकरण निगरानी रखेगा। खासतौर पर वह बुनियादी सेवाओं की स्थिति का जायजा लेगा और मिलने वाले राजस्व की तुलना डॉट के लिए तैयार राजस्व आशय से की जाएगी। यदि यह स्थित प्राधिकरण की आशाओं से काफी अलग हुई तो प्राधिकरण शुल्क संशोधन का एक वर्ष बाद पुनर्विचार करेगा।
- 13. इस ज्ञापन के खंड ब में कई सामान्य पहलुओं के विषय में जानकारी है जो सेवाओं की एक से अधिक श्रेणियों पर लागू होते हैं। खंड स में इस आदेश में निहित विभिन्न शिडयूलों में सम्मिलित विषयों पर जानकारी है। इसमें शिडयूल पर विचार—विमर्श के साथ कई मूलभूत सेवाओं (आई एस डी एन के अलावा) के बारे जानकारी है जैसे सेल्यूलर मोबाइल दूरसंचार सेवा, रेडियो पेजिंग सेवा, लीज्ड सर्किट, आई एस डी एन सेवा, इंटरनेट, टेलेक्स और टेलीग्राफ सेवा, वैल्यू एडेड सेवा और उपग्रह द्वारा अंतराष्ट्रीय मोबाइल पर्सनल संचार।

### B. सामान्य मुद्वे

14. इस आदेश में सम्मिलित कई मुद्दे एक से अधिक सेवा के विषय में हैं, उदाहरणार्थ शुल्क की परिभाषा सूचना देने की आवश्यकता, पारदर्शिता और उपमोक्ता संरक्षण, जमाराशि, पंजीकरण और स्थापन शुल्क, सेवा उपलब्धकर्त्ताओं को शुल्क वसूलने में लचीलापन और अति व्यस्त और कम व्यस्त अविध।

#### 'शुल्क दर' की व्याख्या

15. यहां यह उल्लेखनीय है कि 'शुल्क दर' की परिभाषा इस आदेश में भी है और इसमें प्रभार और सम्बन्धित शर्ते तथा मुफ्त कॉल की गुंजाइश शामिल है।

# विभिन्न प्रकार के शुल्क विनिर्देशन

- 16. इस ओदश में मोटेतौर पर तीन तरह के शुल्कों का उल्लेख है:
  - कुछ शुल्क दरों के लिए एक राशि या स्तर तय की गई है (उदाहरण स्वरुप किराया, कॉल प्रभार शुल्क और मुफ्त कॉल की गुंजाइश);
  - कुछ श्रेणियों के लिए शुल्क सीमा तय की गई है, जैसे कि जमा राशि या पंजीकरण शुल्क
  - अन्य सभी के लिए शुल्क स्थगन यानी फिलहाल सेवा उपलब्धकर्ता किसी सुविधा के लिए शुल्क निश्चित करने के लिए स्वतंत्र है।

# शुल्क में लचीलापन, मानक शुल्क पैकेज और वैकल्पिक शुल्क पैकेज

- 17. उपभोक्ताओं को उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में शिडयूलों में दिए गए शुल्क पैकेज को शामिल करना अनिवार्य है : इन शुल्क पैकेजों को मानक शुल्क पैकेज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सेवा उपलब्धकर्त वैकल्पिक शुल्क पेकेज प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र है जिनमें :
  - ऐसा कोई भी शुल्क पैकेज स्वीकार्य है जिसके लिए प्राधिकरण ने शुल्क की राशि या स्तर निश्चित किया है।
  - ऐसे विषय जिनके लिए शुल्क सीमा तय है, वैकल्पिक पैकेज में भी निर्धारित सीमा मानने के लिए बाध्य हैं।
  - ऐसे विषय जिन पर शुल्क स्थगन लागू है, उन पर सेवा उपलब्धकर्ता कोई भी शुल्क तय करने के लिए स्वतंत्र है।
  - उपभोक्ता विभिन्न वैकल्पिक शुल्क पैकेजों, मानक शुल्क पैकेज सहित किसी में से कोई भी पैकेज चुनने के लिए स्वतंत्र है।
- 18 सामान्य तौर से स्थगन निम्नलिखित किरम के शुल्कों पर लागू किया गया है :
  - वैल्यू-एडेड सेवाएं और प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्र में अन्य सेवाएं
  - नई और उभरती सेवाएं, तथा
- ऐसी सेवाएं जिन पर शुल्क नियंत्रण तय करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है।
   सूचना देने की आवश्यकता और प्राधिकरण द्वारा हस्तक्षेप
- 19. ओदश में सेवा उपलब्धकर्त्तओं को शुल्क में जो नम्यता दी गई है वह दो तरह के सुरक्षा कवचों में है
  - सभी तरह के शुल्क (चाहे वे वैकित्पिक पैकेज में हों या उन पर स्थगन की स्थिति लागू हो) और उनमें किसी संशोधन को लागू करने से पांच कार्यकारी दिनों के भीतर प्राधिकरण को इसकी जानकारी देना आवश्यक है।
  - प्राधिकरण को अधिकार है कि वह हस्तक्षेप कर किसी शुल्क दर में बदलाव ला सकता है। किसी भी प्रभावित पार्टी के उल्लेख पर वह इस अधिकार का इस्तेमाल कर शुल्क की यथास्थिति तय कर सकता है।

### ग्राहकों के लिए पारदर्शिता

- 20. इस आदेश में यह प्रावधान भी है कि सभी उपभोक्ताओं (भावी उपभोक्ता सहित) को शुल्क दरों के विषय में (नियम और शर्तों सहित) सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए इन शुल्कों का एक निर्धारित फार्मेंट में प्रकाशन आवश्यक है। इस प्रकाशन में मानक और वैकल्पिक शुल्क पैकेजों का तुलनात्मक ब्यौरा भी जरूरी है।
- 21. इस सिलिसिले में इस आदेश में एक आवश्यक शर्त यह तय की गई है कि सेवा उपलब्धकर्त्ता किस एक श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच भेदभाव नहीं करेंगे।

# पंजीकरण शुल्क, प्रस्थापन शुल्क और जमाराशि

- 22. यह आवश्यक है कि नेटवर्क का प्रयोग करने की शर्ते उपभोक्ताओं को नेटवर्क से जुड़ने से न रोकें, खासतौर पर उन नेटवर्क पर जहां राजस्व दरें कम हैं। बाजार में श्रेणीकरण की संभावना देखते हुए वर्तमान पंजीकरण और प्रस्थापन शुल्क को ही अधिकतम सीमा मान लिया गया है।
- 23. इसी तरह की चिन्ता के कारण प्राधिकरण ने तय किया है कि जमाराशि बारह महीने के किराए से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे परामर्श पत्र में प्राधिकरण ने इस जमा राशि पर ब्याज देने का प्रस्ताव रखा था। इस आदेश में प्राधिकरण दो कारणों से ऐसा नहीं कर पाया। एक, उपभोक्ताओं की एक बड़ी श्रेणी के लिए जो दो महीनों में 1,000 से ज्यादा मीटर्ड कालें करते हैं जो कि संपूर्ण कालों का 70 प्रतिशत होता है, परामर्श पत्र में प्रस्तावित किराया तय किए गए किराए से काफी कम है। इसलिए, इन उपभोक्ताओं के किराए में प्रस्तावित किराया दर की तुलना में पहले ही काफी कमी है। दूसरे ब्याज देने से सेवा उपलब्धकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। जमाराशि पर वित्तीय लाभ देने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के लिए उपयोग शुल्क को कम किया जा सकता है। आदेश में ऐसी नीति मंजूर की गई है।

# 24. उपरोक्त नीति के कुछ अपवाद भी हैं:

- प्रस्थापन शुल्क और वायरलैस (लोकल लूप तकनीक) का उपयोग करने वाली फिक्स्ड लाइन टेलीफोनो के लिए स्थगन शुल्क तय किया गया है। इस तकनीक के लिए प्रस्थापन शुल्क अन्य तकनीकों की तुलना में अधिक हो सकता है और इसीलिए प्राधिकरण ने सेवा उपलब्धकर्त्ताओं के लिए नम्यता का प्रावधान रखा है। जमा राशि के लिए नम्यता की वजह से उन उपभोक्ताओं को शीघ्र कनेक्शन मिल पाएंगे जो शीघ्र कनेक्शन चाहते हैं, पर यह नम्यता सिर्फ एक वर्ष के लिए उपलब्ध है।
- एस टी डी / आई एस डी कालों के लिए जमा राशि पर स्थगन शुल्क भी तय किया गया है। ये कालें उपभोक्ताओं से अधिक राजस्व मुहैया कराती हैं और इसलिए इन कालों पर अधिक जमाराशि उन्हें मान्य नहीं होगी। वैसे भी जमा

राशि पर सूचना देने की अनिवार्यता की शर्त लागू होती है और इससे प्राधिकरण द्वारा पुनरालोकन की संभावना बढ़ जाती है।

25. प्राधिकरण समझता है कि उपरोक्त सुरक्षोपायों के असर को उन विषयों के शुल्क से कम किया जा सकता है जिन पर स्थगन शुल्क लागू है। परंतु ये दो सुरक्षोपाय सूचना देने की आवश्यकता सहित ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं।

### पीक आवर/ऑफ पीक आवर

प्राधिकरण ने सिर्फ पीक आवर (व्यस्त समय) के लिए शुल्क का निर्धारण किया है कम व्यस्त समय के लिए नहीं। इसलिए, यह आवश्यक हैं कि पीक और ऑफ पीक आवर की अवधि स्पष्ट कर दी जाए।

- 26. प्राधिकरण ने सिर्फ पीक ऑवर (व्यस्त अवधि) के लिए शुल्क निर्धारित किये हैं न कि सामान्य समय के लिए। इसलिए, यह आवश्यक है कि व्यस्त अवधि और सामान्य अवधि की मियाद को स्पष्ट कर दिया जाये।
- 27. दूसरे परामर्श पत्र में बुनियादी और सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं के लिए प्रधिकरण ने एक दिन में 8 घंटे को पीक आवर रखने का प्रस्ताव किया था। इसके तहत सेवा प्रदाता इस बात के लिए स्वतंत्र थे कि वे इसके समय के बारे में निर्णय करें। परामर्श के दौरान बुनियादी सेवा मुहैया कराने वालों ने लम्बी दूरी की स्थानीय कॉलों के लिए कम से कम 11 घंटे (यानी मौजूदा स्थिति) को व्यस्त समय रखने की मांग की और कहा कि मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए पीक आवर की अवधि 17 घंटे है। सेल्यूलर मोबाइल सेवा मुहैया कराने वालों ने 12 घंटे को पीक आवर रखने की मांग की।
- 28 इन सलाह मश्विरों के आधार पर और ज्यादा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लम्बी दूरी की देसी और अंतरराष्ट्रीय कॉलों तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवा के लिए प्रत्येक दिन 11 घंटे को पीक आवर माना गया है।
- 29. लम्बी दूरी की देसी कॉलों के मामले में दूरी के पहले चरण यानी 0 से 50 किलोमीटर की दूरी को एक अपवाद की तरह रखा गया है। इसके लिए कॉल की दर स्थानीय कॉल की दरों के बराबर ही है। सेवा प्रदाताओं के पास यह विकल्प है कि इन दूरियों के लिए वे स्थानीय कॉल की ही तरह ऑफ पीक आवर का कोई विकल्प न दें।
- 30. इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं को यह लचीलापन दिया गया है कि दिन भर में कौन-'सा समय ऑफ पीक आवर माना जाएगा इसके बारे में वे निर्णय करें। पीक आवर के समय के समय के मामले में लिया गया कोई भी निर्णय 0 से 50 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर अन्य सभी दूरियों के मामले में लागू होगा।
- 31. अंतराष्ट्रीय कॉलों के मामले में भी सेवा मुहैया कराने वालों को पीक आवर के समय का चुनाव करने का लचीलापन दिया गया है। इसके अलावा, सेवा प्रदाता अनुसूची में उल्लिखत देखों की तीन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए पीक आवर का भिन्न समय रख सकते हैं।

- 32. लम्बी दूरी की देसी कॉलों (0 से 50 किलोमीटर वाली को छोड़कर) और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए तथा सेल्यूलर मोबाइल सेवा के लिए हरेक रविवार को सारे दिन तथा तीन राष्ट्रीय छुटि्टयों के दिन यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त तथा 2 अक्तूबर को ऑफ पीक शुल्क का प्रावधान करना होगा।
- 33. ऑफ पीक अवधि के लिए शुल्क को पीक आवर के शुल्क के मुकाबले कम होना चाहिए।
  ये शुल्क कितने कम हों इस बारे में निर्णय करने का कार्य सेवा प्रदाताओं के जिम्मे छोड़
  दिया गया है।

### C. सेवा क्षेत्र के लिए विशेष मुद्दे

- (1) बुनियादी सेवाओं (आईएसडीएन के अलावा) से सम्बन्धित कतिपय सामान्य मुद्दे
- 34. ऊपर जिन सामान्य मुद्दों की चर्चा हुई है उनके अलावा बुनियादी सेवाओं से सम्बन्धित कुछ मुद्दे (आई एस डी एन के अलावा) उठाए गए। इनमें किसी खास तरह के शुल्क से ज्यादा विस्तृत विषयों पर ध्यान केंद्रित रहा। ये मुद्दे इस प्रकार थे : क्या बुनियादी सेवाओं के लिए शुल्क दरों को पुनर्संतुलित करने की आवश्यकता है, संशोधित शुल्क दरों को वहन करने का सामर्थ्य और बुनियादी सेवा उपलब्ध कराने वालों के लिए राजस्व सम्बन्धित विषय।

# (a) क्या शुस्क दरों को पुनर्संतुलित करने की आवश्यकता है

- 35. शुल्क के पुनर्संतुलन से तात्पर्य है उन शुल्क दरों को घटाना जो मूल्य से काफी अधिक है और उन शुल्क दरों में वृद्धि करना जो मूल्य से काफी कम हैं। इस तरह पुनर्संतुलन से अर्थ निकलता है बुनियादी सेवा क्षेत्र में क्रॉस—सब्सीडाइजेशन के विस्तार में कमी। यह संशोधन एक पूर्वोदाहरण रिथिति के रूप में आवश्यक है जहां एक एकल आपरेटर प्रणाली को बहु आपरेटर प्रणाली में बदला जा सके। इसका अहसास टेलीकाम शुल्क पर प्राधिकरण के विचार—विमर्श की शुरुआत में ही हो गया था। विचार—विमर्श के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि अधिकतर लोग बुनियादी सेवाओं के शुल्क में पुनैसतुलन के पक्ष में है।
- 36. बाद में जब दूसरे परामर्श पत्र में प्राधिकरण ने पुनर्संतुलन के लिए विशेष प्रस्ताव रखे, तो कुछ लोगों ने फिलहाल शुल्क दरों में पुनर्संतुलन का विरोध किया। कुछ समीक्षाएं शुल्क दरों में पुनर्सतुलन के पक्ष में थीं वशर्ते सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि की जाए। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ने सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विचार—विमर्श की प्रक्रिया शुरु कर दी है और जल्दी ही ये गुणवत्ता निर्धारित कर देगा और इनको लागू करने की प्रक्रिया भी शुरु कर दी है और जल्दी ही ये गुणवत्ता निर्धारित कर देगा और इनको लागू करने की प्रक्रिया भी शुरु हो जाएगी। बुनियादी सेवाओं की शुल्क दरों के पुनरसतुलन का विरोध मुख्यतः चार कारणों से किया जा रहा था:
- 37. जो लोग शुल्क के पुनर्संतुलन का विरोध कर रहे थे वे मुख्य रुप से चार आधार पर ऐसा कर रहे थे।

- यदि शुल्क का पुनर्संतुलन प्रतिस्पर्द्धा की स्थित से निपटने के लिए किया जा रहा है तो इसकी कोई आवध्यकता नहीं है क्योंकि अगले कुछ वर्षों तक बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा की संभावना काफी कम है;
- डॉट की अतिरिक्त आधिक्य राशि को बराबरी से बांटने के लिए सेवाओं के शुल्क घटा देने चाहिए न कि शुल्क दरों का पुनर्संतुलन करना चाहिए जिससे कुछ शुल्क बढ़ भी सकते हैं।
- लम्बी दूरी के देसी और अंतरदेशीय कालों की दरें कम करने से राजस्व अर्जन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
- शुक्क दरों के पुनर्संतुलन से किरायों में भी वृद्धि हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए नेटवर्क की सुविधा लेना और महंगा हो जाएगा। इसका टेली घनत्व और भारत में दूरसंचार के विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
- 38. प्राधिकरण ने अभी शुल्कों का पुनर्संतुलन करने के फायदों और नुकसान पर काफी विचार विमर्श किया और यही निष्कर्ष निकाला कि यह प्रक्रिया एक कदम में पूरी नहीं की जा सकती। इसके अलावा यदि निजी सेवा प्रदाताओं को प्रस्तुत करने की पॉलिसी को सफल बनाना है तो इस पहले कदम को और अधिक स्थिगत नहीं किया जा सकता। प्राधिकरण को विश्वास है कि यह कदम तो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा शुरु होने से पहले ही उंठा लेना चाहिए। इस क्षेत्र में विकास और प्रगति की कल्पना इन संशोधनों के बिना नहीं की जा सकती (नीचे देखें)।

#### प्रतिस्पर्द्धा

- 39. नवीं योजना के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा 2001-2002 तक प्रतिशत डी ई एल बढ़ाने की संभावना है। वर्ष 2006-2007 तक तो इसके 30 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा है। यदि 13 प्रतिशत का आंकलन भी आशावादी है तो भी निजी क्षेत्र के डी ई एल हिस्से को कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, जहां तक प्रबंधन के राजस्व और आधिक्य राशि पर प्रतिस्पर्द्धा के दबाव की बात है।
- 40. लम्बी दूरी की क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं के उदारीकरण से पदस्थ सेवा उपलब्धकर्ताओं पर राजस्व और अधिक्य राशि पर दबाव और बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में लम्बी दूरी के सेवा प्रदाता सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो अधिक राजस्व और अधिक्य राशि प्रदान कर सकें। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए लम्बी दूरी क्षेत्र में उदारीकरण के बाद पदस्थ बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने वालों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए शुल्क का पुनर्संतुलन जरूरी हो जाएगा।
- 41. दूरसंचार नीति के मसविदे (ड्राफ्ट टेलीकॉम पॉलिसी 1999) के बाद बाजार में हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में बुनियादी सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्द्धा केवल बुनियादी सेवा मुहैया कराने वालों से नहीं होगी बल्कि उनसे भी जो अन्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं (उदाहरण स्वरुप, इंटरनेट सेवा प्रदाता)

### प्रतिस्पर्द्धा और उच्च कीमत बनाए रखने की संभावना

42. किसी भी बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के साथ—साथ मूल्यों से काफी अधिक कीमतें बनाए रखना सीाव नहीं है, जैसे कि भारत में लम्बी दूरी की देसी और अंतरराष्ट्रीय कालों की शुल्क दरें। इस कीमत प्रणाली का परिणाम दूसरे प्रतियोगियों का ध्यान इस और आकर्षित करना होगा कि उनकी महंगी कालों के दाम किस तरह कम किए जाएं। यह बाजार से 'मलाई छानने' की तरह होगा। ऐसा होने की संभावना उन क्षेत्रों में अधिक है जहां एक छोटे उपभोक्ता समूह की काल राजस्व में बड़ी हिस्सेदारी है। भारत में स्थिति ऐसी ही है जहां 27 प्रतिशत उपभोक्ता 46 प्रतिशत काल राजस्व के लिए उत्तरदायी है और 5.2 प्रतिशत उपभोक्ता लगभग 56 प्रतिशत राजस्व प्रदान करते हैं (तालिका एक देखें)। इससे साबित होता है कि वर्तमान प्रबंधन द्वारा इन उपभोक्ताओं के खोने की काफी आशंका है और यदि प्रतियोगी इन तक पहुंच जाएं तो इससे नेटवर्क विस्तार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा।

सारणी 1. कुल कालों में उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी 1996-97

	35		<del></del>			CITICAL	<del></del>	<del></del>	<del></del>
दो महीने में	0	1	151	501	1,001	2,001	5,001	अधिक	कुल
की जाने वाली		से	से	से	से	से	से	10,000	
वालों की संख्या		150	500	1,000	2,000	5,000	10,000		
अ) कुल उपभोक्ताओं	4.2	12.6	34.9	21.3	14	7.9	2.5	2.7	100
द्वारा दो महीने में					,		-	) 	
की जाने वाली कॉलों						,	1	<u> </u>	ļ
का हिस्सा							<u> </u>	<b>1</b> 3	}
ब) ऊपर अ में दिए गए	0	0.7	7.4	10	11.6	13.4	9.8	46.1	100
उपभोक्ताओं की भिन्न							<u> </u>		j
श्रेणियों द्वारा की जाने							}		
वाली मीटर्ड कॉलों का									}
हिरसा (%)									
			L					L	L

स्रोत : दूर संचार विभाग

नोट: यह बड़े नगरों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। दूरसंचार विभाग के अनुसार उपभोक्ताओं के बड़े समूह के लिए भी यह हिस्सेदारी लागू होगी।

43. प्रतिस्पर्द्धा की वजह से राजस्व अर्जन और आधिक्य राशि में होने वाले नुकसान से निपटने के लिए लम्बी दूरी की देसी और अंतरराष्ट्रीय कालों की दरें कम करने की आवश्यकता है। किसी भी हालत में यदि कीमतें लचीली हैं तो उपभोक्ताओं की इस 'मलाई परत' को हासिल करने के लिए इन दरों को घटाना ही होगा। यदि इन दरों में संशोधन कर इन्हें घटाया जाए तो इससे राजस्व और आधिक्य राशि में कमी आ सकती है। इस नुकसान को कुछ हद तक कम कीमतों के कारण बढ़ी संख्या से पूरा किया जा

सकता है। राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए कई अन्य शुल्क बढ़ाने पड़ सकते हैं जैसे कि वे शुल्क जो मूल्य से कम हैं या इतने अधिक नहीं हैं कि दूसरे सेवा उपलब्धकर्तओं से प्रतिस्पर्द्धा का खतरा हो। इसी प्रक्रिया का नाम शुल्क में पुनर्संतुलन है।

- 44. शुल्क के पुनर्संतुलन के आधार का एक और कारण है अंतरराष्ट्रीय कालों पर लागू वर्तमान अकाउंटिंग रेट में गिरावट। इन शुल्कों में गिरावट और इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय काल शुल्कों में आई कमी के कारण इस बात के लिए दबाव बढ़ेगा कि इस कमी को स्थानीय कॉल शुल्क और/या किराया बढ़ाकर पूरा किया जाए।
- 45. दो महत्वपूर्ण पहलुओं द्वारा शुल्क पुनर्संतुलन की प्रक्रिया की सीमाएं तय की जा सकती है: संशोधित शुल्क को वहन करने का सामर्थ्य और यह निश्चित करने की आवश्यकता कि राजस्व राशि इतनी कम न हो जाए कि इस क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं पूरी न की जा सकें। ये दोनों मुद्दे (जिनकी विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित पुनर्संतुलन प्रक्रिया के विस्तार को कम करने में लाभदायक सिद्ध हुए हैं। उदाहरणस्वरुप नई दरों को पूर्णतया लागू करने के बावजूद भारत में लम्बी दूरी की देसी और अंतरराष्ट्रीय कालों तथा स्थानीय कालों का अनुपात काफी ज्यादा रहेगा। अन्य देशों की तुलना में जहां शुल्कों का पुनर्संतुलन किया जा चुका है, भारत का अनुपात काफी अधिक है। (देखें नीचे सारणी 2)

सारणीं 2 : लम्बी दूरी की देसी और अंतरराष्ट्रीय कालों तथा स्थानीय कालों के अधिकतम शुक्क का अनुपात

अनुपात	भारत	भारत	ब्रिटेन	डेनमार्क	दक्षिण अफ्रीका	स्यीडन
	वर्तमान	नया				
लम्बी दूरी की देसी कॉल का	90 (150, ਪੀਂ <b>ਬ ਸਿ</b> ਜਟ	52	10	14	13, से घटाकर	15
अधिकतम शुल्क और तीन	के स्थानीय				4.5 करने	
मिनट की स्थानीय कॉल के	कॉल से)				के लिए	,
शुल्क के बीच						
अंतर्राष्ट्रीय कॉल का अधिकतम	180	101	20	36	लागू नहीं .	30
शुल्क और तीन मिनट की	(300, पाँच मिनट					1
स्थानीय कॉल के शुल्क के						
बीच की स्थानीय कॉल						L

स्रोत : द्वितीय परामर्श पत्र की सारणी All.4 और All.25 तथा दक्षिण अफ्रीका के दूरसंचार विनियामक साथ विचार—विमर्श।

#### (b) शुल्क को वहन करने का सामर्थ्य

- 46. शुल्क दरों का निर्धारण इस तरह से किया गया है कि समायोजन का प्रभाव कम हो जाए, विशेषतः कम कॉल करने वाले उपभोक्ताओं में और साथ ही टैली घनत्व को बढ़ाने का मौका मिलता रहे। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण नेटवर्क की साझेदारी पर भी जोर दे रहा है (फेन्चाइजी ई पी ए वी एक्स द्वारा भी), पी सी ओ नेटवर्क को प्रोत्साहित कर रहा है और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्नशील है।
- प्राधिकरण का यह भी मानना है कि इन शुल्क दरों से सामर्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे सम्बन्धित कारणों का उल्लेख पहले किया जा चुका है, जैसे कि 1993 के उत्तरार्द्ध से शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की गई है जबिक आमदनी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, लम्बी दूरी के कॉल शुल्क घटाने के कारण काल संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है, खासतौर पर ग्रमीण उपभोक्ताओं द्वारा उन उपभोक्ताओं के जिए जो एस अी डी पीस ओ/वी पी टी उपयोग करते हैं। इसके अलावा, इस आदेश के अंतर्गत स्थानीय काल शुल्क में अगले तीन साल तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी जबिक एस टी, डी/आई एस डी कॉल शुल्क घटाए जाएंगे, आमदनी में लगातार वृद्धि के बावजूद लगभग 70 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं के लिए यानी वो जो फिलहाल कम से कम 1000 कालें प्रति दो माह करते हैं, अगले तीन वर्ष तक किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इसका मतलब है अगले तीन वर्षों में इन उपभोक्ताओं का सामर्थ्य निरंतर बढ़ता रहेगा।
- 48 इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि एस टी डी पी सी ओ/वी पी टी का प्रयोग करने वालों का सामर्थ्य बढ़ा है। दूसरों के सामर्थ्य का आकलन करने के लिए उपभोक्ताओं के बिलों पर उनकी आय के मुकाबले पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने की जरूरत है। हालांकि, स्थानीय कॉल का क्षेत्र बढ़ने से ऐसी तुलना थोड़ी जटिल हो गई है। इस आशय के आदेश के बाद 50 किलोमीटर की दूरी तक की कालों के स्थानीय काल के हिसाब से शुल्क लगेगा। इस संशोधन का मतलब यह है कि यदि एक सामान्य काल तीन मिनट से कम समय की होती है तो इस आदेश के लागू होने के पश्चात् एक मीटर्ड काल वर्तमान दरों से एक से अधिक मीटर्ड काल के बराबर होगी। उदारणस्वरुप, पहले 36 से 50 किमी तक की तीन मिनट से कम की काल को पांच स्थानीय कालों के बराबर माना जाता था पर अब ऐसी काल सिर्फ एक स्थानीय काल के बारबर होगी।

### नई दरों के कारण बिल का अनुमान

49. वर्तमान बिलों और नई शुल्क दरों के बिल की तुलना करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि नेटवर्क पर साझेदारी की वजह से इसका कम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का खर्च कम होने की संभावना है। इसके अलावा, इस आदेश के अंतर्गत शुल्क नीति में दिए

गए विभिन्न शुल्क पैकेज की वजह से सेवा उपलब्धकर्त द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं की खास जरूरत पूरी करने की संभावना है। प्राधिकरण उच्च स्तरीय पी सी ओ मुहैया कराने की दिशा में भी जोर दे रहा है।

50. नीचे दी गई सारणी में उपभोक्ताओं की दो श्रेणियों के बिलों का विस्तृत ब्यौरा है। ये दो श्रेणियाँ हैं: ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता जो फिलहाल न्यूनतम किराया दे रहे हैं और मेट्रो क्षेत्रों के उपभोक्ता।

सारणी 3. ग्रामीण उपगोक्ताओं के मासिक बिल (जो फिलहाल 100 रुपए द्विमासिक किराया दे रहे हैं)

द्विमासिक मीटर्ड कॉलों की संख्या	प्रतिदिन मीटर्ड कॉलों की संख्या (पहले कालम में दिए गए अंक को 60 से भाग किया गया)	वर्तमान मासिक बिल (रु.)	नई दरों से मासिक बिल (रु.)	मासिक बिलों में अन्तर (रु.)
120 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 2000 3000 4000	2.00 2.50 3.33 4.17 5.00 5.83 6367 7.50 8.33 10.00 11.67 13.33 15.00 16.67 33.33 50.00 66.67 83.33	50 50 50 50 65 80 95 110 130 180 230 280 330 380 1,005 1,705 2,405 3,105	70 70 90 110 130 150 170 190 210 250 290 330 370 410 1,010 1,610 2,210 2,810	20 20 40 60 65 70 75 80 80 70 60 50 40 30 5 - 95 - 195 - 295

नोट: उपभोक्ता के मासिक बिल पर नए शुक्क के प्रभाव का आकलन करने के लिए मासिक शुक्क की गणना यह मानकर की जाती है कि लम्बी दूरी की कोई काल नहीं की गई है। ऐसी कालों को नई दरों के अनुसार जोड़ने से बिल सारणी में दिखाई राशि से भी कम का आएगा। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए यानी जो दो महीने में 1,000 से ज्यादा मीटर्ड काल करते हैं उनके मामले में मासिक बिल में सिर्फ 24 रूपए का अंतर आएगा जबकि नई शुक्क संरचना लागू होने के तीसरे वर्ष में यह अंतर 50 रुपए का होगा।

### सारणी 4. मेट्रो के उपभोक्ताओं के मासिक बिल

	1		<del></del>	<del></del>
द्विमासिक मीटर्ड	प्रतिदिन मीटर्ड कॉलों की संख्या	वर्तमान	नई दरों	मासिक
कॉलों की संख्या	(पहले कालम में दिए गए अंक	मासिक बिल	से मासिक	बिलों में
	को 60 से भाग किया गया)	(ড়,)	बिल (रु.)	अन्तर (रु.)
120	2.00	190	250	60
150	2.50	190	265	75
200	3.33	210	290	80
250	4.17	230	315	85
300	5.00	250	340	90
400	6.67	290	390	100
450	7.50	310	415	105
500	8.33	330	440	110
600	10.00	380	490	110
700	11.67	430 ·	540	110
800	13.33	480	590	110
900	15.00	530	640	110
1000	16.67	580	690	110
2000	33.33	1,205	1,290	85
3000	50.00	1,905	1,890	- 15
4000	66.67	2,605	2,490	- 115
5000	83.33	3,305	3,090	- 215

- नोट: उपभोक्ता के मासिक शुल्क पर नई दरों के प्रभाव का आकलन यह मानकर किया गया है कि लंबी दूरी की कोई काल नहीं की गई है। नई दरों के अनुसार ऐसी कालों के जोड़ने से बिल की राशि सारणी में दिखाई राशि से भी कम होगी। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए यानी जो दो महीनों में 1000 से ज्यादा मीटर्ड काल करते हैं उनके मामले में नई शुल्क संरचना लागू होने के दूसरे वर्ष में मासिक बिल में सिर्फ 30 रूपये का अंतर आएगा। जबकि तीसरे वर्ष में यह अंतर 60 रूपये का होगा। उपरोक्त शुल्क में सेवाकर शामिल नहीं है।
- 51. शुल्क पुनर्सतुलन से उम्मीद थी कि लंबी दूरी की देसी कालों के साथ अंतरराष्ट्रीय काल के लिए शुल्क अधिक होने और किराया व स्थानीय काल शुल्क कम होने की वजह से कम मीटर्ड काल करने वाले उपभोक्ताओं के मामले में बिल बढ़ जाएगा और अधिक मीटर्ड काल करने वाले उपभोक्ताओं का बिल पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा।
- 52. नई दरों के अनुसार मासिक बिलों के उपरोक्त आकलन को प्रत्येक घर के मासिक टेलीकाम खर्च आकलन के साथ मिलाया गया। अगल खंड में यह तुलनात्मक अध्ययन दिया गया है। आंकड़ों और विश्लेषणों से यह जानकारी मिलती है कि उदाहरणार्थ 42

प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऐसी स्थिति में होगें कि वे दो माह में 300 कालों (या 150 कालें प्रति माह) का बिल चुका सकें और ये कालें असल में पहले की सिथित की में कालों की संख्या से अधिक होगी क्योंकि इस आदेश के जरिए स्थानीय काल क्षेत्र का विस्तार होने और लम्बी दूरी के काल शुल्क में कमी आ चुकी होगी। इसी तरह मेट्रो क्षेत्र में 37 प्रतिशत परिवार टेलीफोन रखने की स्थिति में होंगे और लगभग 17 प्रतिशत 400 कालें प्रति दो माह (या 200 कालें प्रति माह) का खर्चा वहन कर सकेंगे। चूकि अगले तीन वर्षों में प्रत्येक परिवार की आमदनी बढ़ेगी पर टेलीफोन खचर्ज में कोई वृद्धि नहीं होगी, इसलिए उपभोक्ताओं का एक बड़ा समूह इतनी कालें वहन कर पाएगा। इसका अर्थ है कि भारत में प्रति 100 व्यक्ति पर दो के टेली—घनत्वें को देखते हुए नई गुल्क दरों की वजह से बुनियादी सेवाओं की मांग में पर्याप्त वृद्धि की संभावना है।

#### परिवारों की आय का स्तर

- 53. दूरसंचार शुल्कों का सामर्थ्य में होना आय के स्तर, दूरसंचार पर सामान्यता खर्च किए जाने वाले आय के अनुपात (यानी दूरसंचार पर खर्च करने के लिए "उपलब्ध" आय) और दूरसंचार पर खर्च करने के लिए "उपलब्ध" आय की तुलना में मासिक शुल्क की राशि पर भिर्भर करता है।
- 54. नेशनल कौंसिल फॉर अप्लायड इकनॉमिक रिसर्च (एन सी ए ई आर) ने एक सर्वेक्षण किया है जिसमें पिछले दिनों भारत के ग्रामीण और शहरी परिवारों की आय में परिवर्तन को कवर किया गया था। इस सर्वेक्षण से पत्रा चला था कि पिछले समय के दौरान शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के परिवार की आय में काफी वृद्धि हुई है। इस सर्वेक्षण से भिन्न आय वर्ग वाले कुल परिवारों के अनुपात के बारे में भी सूचना मिली थी।

सारणी 5. भिन्न आय वर्गों के परिवार की औसत सालाना वृद्धि 1992-93 से 1995-96.

1995–96 की कीमतों के आधार	शहरी परिवारों की सलाना	ग्रामीण परिवारों की सालाना
पर मासिक आय की श्रेणी	औसत वृद्धि दर (%)	औसत वृद्धि दर (%)
2,083 रुपए प्रति माह तक	- 7.03%	- 3.03%
2,083 रुपए प्रतिमहा से 4,166	+ 5.46%	+ 10.22%
रुपए प्रतिमाह तक		
4,166 रुपए प्रतिमाह से 6,416	+ 11.96%	+ 3.11%
रुपए प्रतिमाह तक		
6,416 रुपए प्रतिमाह से 8,833	+ 11.90%	+ 12.25%
रुपए प्रतिमाह तक		
8,833 रुपए प्रतिमाह से ज्यादा	+ 18.22%	+ 15.68%

स्रोत: आई नटराजन, 1998 की इंडिया मार्केट डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट 1998, एनसीएईआर, नई दिल्ली की तालिका 3.3 से। 55. एनसीएईआर के विश्लेषण में आय का स्तर 1995-96 की कीमतों के मामले में है। शुल्क के सामर्थ्य में होने के सिलसिलें में इससे भी ज्यादा शुद्ध तस्वीर प्राप्त करने के लिए इन स्तरों को एक ऐसे घटक के साथ समायोजित करने की आवश्यकता है जो 1998-99 या 1999-2000 के लिए आय में मामूली वृद्धि दिखाए। यहाँ हम इस घटक को लगभग 25 प्रतिशत मान लेते हैं (यह कम हैं) ताकि 1998-99 की कीमतों के मायने में आय का समतुल्य स्तर मालूम हों सके।

सारणी 6. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विमिन्न आय समूहों के अंतर्गत परिवारों का अनुपात, 1998-99

मासिक आय के स्तर (रु., 1998–99 के मूल्य पर अनुमानित)	आय स्तरों (%) के अंतर्गत शहरी परिवारों का अनुपात	आय स्तर (%) के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों का अनुपात
रु. २,६०० तक प्रतिमाह	27.9%	57.2%
रु. 2,600 से रु. 5,200 तक प्रतिमाह	34.9%	29.0%
रु. <b>5,200 'से</b> रु. <b>8,000</b> तक प्रतिमाह	20.3%	8.6%
रु. ८,००० से रु. 11,००० तक प्रतिमाह	9.6%	3.1%
रु. 11,000 प्रतिमाह से ऊपर तक प्रतिमाह	7.3%	2.0%

स्रोत : आई. नटराजन, 1998 इंडिया मार्केट डेमोग्रेफिक्स रिपोर्ट, 1998, एन सी ए ई आर नई दिल्ली के सारणी 3.2 पर आधारित

56. उपर्युक्त सारणी में विभिन्न परिवार समूहों के लिए आय स्तर 1998-99 के मूल्य पर अनुमानित हैं किन्तु इन आय समूहों के लिए परिवारों का प्रतिशत वर्ष 1995-96 पर आधारित है। कालान्तर में आय में बढ़ोत्तरी होने से उच्च आय स्तरों के अंतर्गत परिवारों का वास्तविक प्रतिशत सारणी में दर्शाये गये प्रतिशत से ज्यादा होगा। उच्च आय समूहों के अंतर्गत परिवारों के इस कम अनुमान में बढ़ोत्तरी हो जायेगी, यदि हम 1999-2000 के मूल्यों के संदर्भ में आय पर विचार करेंगे, अर्थात् नये दरों के प्रथम कार्यान्वयन वर्ष के मूल्यों के अनुरूप।

### दूर संघार पर व्यय आय के प्रतिशत के आधार पर परिगणित दे सकने योग्य मासिक विपन्न

57. विपत्र भुगतान के विषय में एक अच्छा विचार प्राप्त करने के लिए यह करना होगा कि आय के स्तरों को दूर संचार पर व्यय आय के अनुपात के साथ मिला दिया जाय। इस परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट जानकारी भारत में उपलब्ध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने विकासशील देशों में वैसे औसत परिवारों का अनुमान लगाया है जो अपनी आय का 5 प्रतिशत दूरसंचार पर खर्च करते हैं ( उदाहरण के लिए देखिए, आई टी यू वर्ल्ड कम्यूनिकेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट, 1998 का पृष्ठ 36) उपर्युक्त आय वर्गों के द्वारा दूर संचार पर मासिक व्यय की राशि की परिगणना के लिए यह हमें आधार उपलब्ध कराता है। एकान्तरतः उपर्युक्त सारणी में मासिक आय समूहों का 5 प्रतिशत ऊपर आय समूहों के साथ मासिक विपत्रों की राशि को दर्शाता है, जो कि भुगतान में समर्थ होने वाले हैं। (इस अनुमान के लिए नीचे की सारणी देखें) यद्पि आय के स्तरों में बढ़ोत्तरी हो जाने से मासिक दूरसंचार विपत्रों के देय विशिष्ट स्तरों के साथ परिवारों का अनुमान 1999—2000 की स्थिति में निम्न अनुमानित हो जाने की संभावना है।

सारणी 7. मासिक टेलीफोन बिलों के विभिन्न स्तरों के भुगतान की क्षमता के साथ परिवारों का अनुमानित वितरण।

(रु. 1999—2000 अनुमान)	मासिक बिलों का भुगतान करने की क्षमता के साथ शहरी परिवारों का हिस्सा (%)	मासिक बिलों का भुगतान करने की क्षमता के साथ ग्रामीण परिवारों का
	07.00	हिरसा (%)
130 रु. प्रतिमाह तक 130 रु. से 260 रु. प्रतिमाह	27.9% 34.9%	29.0%
260 रु. से 400 रु. प्रतिमाह		8.6%
400 रु. से 550 रु. प्रतिभाह	9.6%	3.1%
550 रु. प्रतिमाह से ऊपर	7.3%	2.0%

58. वर्तमान में, भारत में कुल दूरसंचार धनत्व आनुमानतः प्रति सौ, दो है, जबिक ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रति सौ, 0.4 है। औसत परिवारों के आकार पर विचार करें, तो उपर्युक्त अनुमानों और नए शुल्कों से बिलों में वृद्धि से यह सुझाव मिलता है कि वर्तमान में टेलीफोन सेवाओं की पर्याप्त मांग से भी ज्यादा मांग बढ़ने की संभावना है और निकट भविष्य के लिए योजना बननी चाहिए।

### (C) विनिंदिष्ट शुल्कों के राजस्य निहितार्थ

- 59. राजरव निहिताओं से संबंधित, विभिन्न टिप्पणियों में दो विचार प्रमुख रूप से व्यक्त किए गए। एक सेवा संचालकों द्वारा व्यक्त किया गया, सर्वाधिक महत्वपूर्ं दूर संचार विभाग, विचार यह था कि प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित शुल्कों के कारण राजस्व में गिरावट आएगी। दूसरा विचार जो मुख्य रूप से उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्त कि पा गया, यह था कि दूरसंचार विभाग के राजस्वों में कमी की जानी चाहिए, क्योंकि यह पहले से ही काफी ज्यादा हैं और इसका कुछ भाग ग्राहकों पर डाला जाना चाहिए। इसके विपरीत, दूरसंचार विभाग ने तर्क दिया कि इस कार्य में अधिशेष कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका संपूर्ण धन नेटवर्क के विस्तार में पुनर्निवेशित कर दिया गया है।
- 60. प्राधिकरण का विचार यह है कि एक अधिशेष व इसके प्रयोग के बीच अंतर जरूर किया। इस प्रकार दूसंचार विभाग के पास विशेष अधिशेष है, जिसे विनिर्दिष्ट ध्यायों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। प्राधिकरण स्वीकृति देता है कि भारत के दूर सचार नेटवर्क के विकास में दूरसंचार विभाग को महती भूमिका निभाती है, और इस उदादेश्य के लिए इसके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। नए शुल्कों के प्रभाव के प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार दूरसंचार विभाग के पास उपलब्ध संसाधन वित्त के लिए पर्याप्त रहेंगे, बिना किसी से उधार लिये, ताकि वे अपनी 1997--98 से 2006-2007 की योज हा में विस्तार कार्यक्रमों को पूरा कर सके। (स्यौरे के लिए नीचे देखें)
- 61. दूरसंचार के राजस्वों पर नए शुल्कों के प्रभाव के बारे में विचार करने से पूर्व दूरसंचार के पूर्वानुमानित राजस्वों के अनुमान के बारे में विचार कर लेना जरूरी है, अगर चालू शुल्क अगले तीन वर्ष तक जारी रहते हैं। इन राशियों का अनुमान इस प्रकार है, जो ट्राई (टी आर ए आई) को उपलब्ध कराई गई दूरसंचार विभाग की गणनाओं के भमान ही, पूर्वानुमानों से तैयार किए गए हैं —

### सारणी 8. जारी शुल्कों के तहत दूरसंचार विभाग के लिए प्रक्षेपित राजरव (मौजूदा शुल्क अगले तीन वर्षों के लिए यथावत रखे गए हैं)

वर्ष	1999-2000	2000-2001	2001-2002
प्रक्षेपित राजस्व	23,181.23	27,199.17	31,463.35
करोड़ रूपये में			

नए शुल्कों के राजस्व निहितार्थीं की डॉट व ट्राई के अनुमानों से तुलना

62. अगले तीन वर्षों के लिए नए शुल्कों के राजस्य मिहिताओं के अपने अनुमान डाट ने प्रधिकरण को उपलब्ध कराए हैं। ये अनुमान इस तर्क पर आधारित हैं कि घरेलू लंबी दूरी के और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के शुल्क घटाने का, किसी भी रुप में कॉलों की संख्या बढ़ाने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा ऐसा पूर्वनुमान इस सुझाव के समान है कि भारतीय ग्राहक कीमत के मामले में असंवेदनशील है, तब भी जब शुल्क की गिरावट काफी ज्यादा हो यद्यपि भारतीय ग्रहकों के कीमतों के प्रत्युत्तर को लेकर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, फिर कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो यह सुझाव देते हैं कि शुल्कों में गिरावट को लेकर प्रत्युत्तर एक महत्वपूर्ण पक्ष है। दरअसल, डॉट ने भी स्थायी समिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि प्रधिकरण द्वारा प्रस्तावित शुल्कों में कमी की वजह से 10 से 25 प्रतिशत की परिमाण वृद्धि की जा सकती है। विशेष रुप से, स्थायी समिति की रिपोर्ट के 16 वें पैराग्राफ में कहा गया है:

समिति इस आशावाद के लिए तय आधार के बारे में जानने की इच्छुक है। प्रत्युत्तर में डॉट के प्रतिनिधि ने कहा है कि मांग सौ प्रतिशत नहीं बढ़ सकती। शुल्कों में 50 प्रतिशत तक कमी की जा चुकी है। राजस्वों के इसी स्तर पर रुक जाने से, मांग सौ प्रतिशत या इससे ज्यादा बढ़नी चाहिए, जो संभव नहीं है। मांग सिर्फ 10 से 25 फीसदी ही बढ़ सकती है।

63. प्राधिकरण का यह विचार है कि अगर एस टी डी/आई एस डी कॉलों का परिमाण अगर ज्यादा नहीं तो, कम से कम 10 से 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जाना चाहिए, जबिक इन कॉलों के लिए शुल्क में कमी की गई हो इसलिए, हलांकि राजस्व निहितार्थों के प्राधिकरण के अनुमानों को नीचे दिया गया है, जिसमें शुल्क सुधारों के प्रथम वर्ष में लम्बी दूरी के परिमाणों में 10 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय कालों के परिमाण में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रावधान है —

सारणी 9. डॉट के लिए राजस्व निहिताथों के डॉट व ट्राई की गणनाएं

	<del></del>		<del>,</del>	
	नए शुल्कों से राजस्य प्राप्ति के डॉट के अनुमान (करोड़ रु.)	एसटीडी व आईएसडी कॉलों के परिमाण घटाने से संबंधित परिमाण में परिवर्तन नहीं करने के साथ ट्राई के अनुमान (करोड़ रु.)	एसटीडी व आईएसडी परिमाण में 10 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान के साथ इनके शुल्कों में कमी के ट्राई के अनुमान (करोड़ रु.)	
केराए से				
राजरव में				
इद्धि			u.	
1999-2000	1,275.813	1,432.40	1,432.40	
2000-2001	1,827.93	1.911.25	1,911.25	1,911.25
2001-2002	2,355 30	2,491.13	2,491.13	2,491.13
संपूर्ण औसत			, <u> </u>	
मुल्य के आधार				
पर गणनीय				
स्थानीय कॉलों	,			
के लिए				
राजरव परिवर्तन				
1999-2000	253.82	-264.63	264.63	
2000-2001	<b>296.96</b>	<b>309.60</b>	309.60	309.60
2001-2002	3 <b>44</b> .51	<b>→359.18</b>	359.18	359.18
तीन मिनट से				
ज्यादा होने वाली	:			
कालो से मिलने				
वाला अतिरिक्त		•		
राजस्व (स्थानीय				
कालों का कुल				
10.91%)				
1999-2000	574.31	600.18	600.18	
20/00-2001	671.90	702.16	702.16	702.16
2001-2002	779.50	814.60	814.60	814.60`
घटाई गई मुफ्त				
कॉलों से मिलने				
वाला अतिरिक्त				
राजस्व				
1999-2000	375.55	362.81	362.81	407.07
2000-2001	439.01	427.37	427.37	427.37
2001-2002	512.08	500.36	500.36	500.36

		<del></del>		
घरेलू लंबी	i		]	
दूरी के लिए			,	
राजस्य परिवर्तन				
1999-2000	2.050.14	2,265.07	1,444.56	
2000-2001	4,038.08	4.193.25	3,387,73	2,179.05
2001-2002	5.820.40	5.939.44	5,112.31	<b>3,871.12</b>
अंतरराष्ट्रीय				
कालों के लिए				j
राजस्य परिवर्तन				
1999-2000	646.95	683.11	453.11	
2000-2001	<b>-</b> 1,247.66	1,270.83	<b>1</b> ,048.80	714.83
2001-2002	<b>1,975.88</b>	1,983.52	1,776.52	<b> 1,465.52</b>
उपयुक्त	,			
का योग		<u> </u>		
1999-2000	725.24	817.42	233.09	1
2000-2001	<b>2</b> ,643.85	2,732.90	-1,705.42	162.70
2001-2002	<u> </u>	4,476.05	-3.441.92	1,889.73
লীত্ত লাহ্ব				
रेवेन्यू सहित		[		
डॉट के				
अनुमानों का		,		
योग				
1999-2000	- 1,075.24	NA .	NA NA	NA NA
2000-2001	- 3,067.69	NA .	NA .	NA
2001-2002	- 5,006.75	NA	NA NA	NA

नोट :

- (i) NA निम्नलिखित कारणों के लिए लागू नहीं
- (ii) किराए के डाट के अनुमानों में वयावसायिक ग्राहकों को शामिल नहीं किया गया है, जबिक ट्राई ने अपने अनुमानों में इन्हें शामिल किया है। सन् 2001–2002 में व्यावसायिक ग्राहकों की भागीदारी इन अनुमानों को प्रभावित नहीं करती। बाकी दो वर्षों के लिए, अगर व्यावसायिक ग्राहक नहीं होते हैं, तो राजस्व घटेगा–क्रमशः 1999–2000 में 157.51 करोड़ रुपए और 2001–2002 में 92.12 करोड़ रुपए।
- (III) लम्बी दूरी की घरेलू कॉलों के लिए डॉट के अनुमान ऐसा राजस्व निहितार्थ स्पष्ट नहीं करते जिसमें पत्स रेट एक चौथाई से एक तिहाई करने के बारे में कुछ स्पष्ट किया गया हो।
- 64. उपर्युक्त सारणी दर्शाती है कि पट्टे पर दी गई लाइनों के राजखों को ध्यान में रखें बिना डॉट द्वारा दिए गए अनुमान, प्राधिकरण द्वारा परिकलित कुल निष्कर्षों के करीब हैं,

जो कि इस पूर्वानुमान पर आधारित हैं कि लम्बी दूरी व अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए शुल्क में कमी कालों के परिमाणों पर कोई असर नहीं डालेगी।

- 65. पट्टेधारी लाइनों के लिए राजस्व में हानि के डॉट के प्रत्यक्ष बोध को प्राधिकरण नहीं मानता है। प्राधिकरण का मानना है कि पट्टेधारी लाइनों के शुल्कों में कमी, इस सेवा की मांग में वृद्धि को काफी बढ़ावा देगी, जो मूल्यों में गिरावट की भरपाई से कहीं ज्यादा होगी। किसी भी दर पर, पट्टेधारी लाइनों से राजस्व हानि की भरपाई, बुनियादी सेवाओं के शुल्क बढ़ाकर पूरी नहीं की जा सकती।
- 66. यह निष्कर्ष इस तथ्य से और भी मजबूत होता है कि प्राधिकरण के उपर्युक्त अनुमान राजस्यों पर सकारात्मक प्रभाव कम प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि
  - स्थानीय काल क्षेत्र बढ़ने व इंटरनेट के प्रयोग बढ़ने से कुल मीटर्ड कालों में स्थानीय कालों की संख्या बढ़ेगी। स्थानीय कालों में वृद्धि और तीन मिनट से ज्यादा अवधि वाली कालों उपयुक्त सारणी में परिकलित की गई राजस्व हानि से कम हानि देंगी।
  - ऑफ पीक दरें वर्तमान की तरह आधी व एक तिहाई नहीं की जा सकती, लेकिन बढ़ाई जा सकती है।
  - प्राधिकरण को आशा है कि उपर्युक्त अनुमान से कहीं ज्यादा टेलीफोन के प्रयोग में वृद्धि होगी। सेवा दाताओं को और ज्यादा सुविधाएं देने और पीसीओ के विस्तार से संभव होगा, जो पर्याप्त संख्या में नहीं है।
  - राजस्व अनुमानों का परिकलन प्रति डीईएल स्थिर राजस्वों के आधार पर किया गया है। हालांकि प्रति डीईएल राजस्वों में कमी की ओर अब यह प्रवृत्ति होती जा रही है, क्योंकि अतिरिक्त डीईएल औसत से भी कम प्रयोग में लाए जा रहे हैं। परिकल्पना यह पक्ष, उपर्युक्त औसत से भी कम प्रयोग में लाए जा रहे हैं। परिकल्पना यह पक्ष, उपर्युक्त सारणी में दिखाई गई राजस्व हानि से कम अनुमानित राजस्व हानि प्रदर्शित करेगा।
  - एक प्रमुख बिंदु जो राजस्व प्रभावों के अनुमान के बारे में छूट गया है, वह यह है
    कि शुल्कों के पुनर्संतुलन, से डॉट को राजस्व की हानि कम होगी जब वह अपने
    ज्यादा राशि भुगतान करने वाले ग्राहकों को अपने प्रतियोगियों के पास जीने देंगे।
- 67. उपर्युक्त विचार--विमर्श से ये सुझाव मिलते हैं:
  - नए शुल्कों के पहले साल में, सेवा दाताओं के लिए अधिशेष की संभावना
  - दूसरे वर्ष में, अधिशेष हो सकता है या थोड़ा घाटा।
  - तीसरे वर्ष में डाट के राजस्व में 3 से 5 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

नए शुल्कों के साथ डॉट के राजस्वों की पर्याप्तता

- 68. यदि किसी भी निवेश के लिए राजस्व की जरूरत, अनुमानित से कम है तो यह उस व्यय के लिए राजस्व में वृद्धि के समान है।
- 69. डॉट की चिंता का कारण यह है कि इसके राजस्व में तेजी से कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि इन्हीं राजस्वों (और अधिशेषों) से नेटवर्क फैलाने के अपने योजना लक्ष्यों को पूरा करता है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि दस वर्षीय योजना के लिए प्रति डी ई एल पर आधारित अनुमानित राजस्व की जरूरत 49362 रुपए की थी। (उदाहरण के लिए स्थायी समिति की रिपोर्ट का पैरा 13 देखें) बाद में नौवीं योजना में यह राशि 45000 रुपए थी। सन् 2001–2002 तक पांच साल की योजना में प्रति डीईएल खर्च ट्राई जरूरत आंकड़े डाट/एमटीएनएल द्वारा जोड़ा 43000 रुपए प्रदर्शित करते हैं। इन अनुमानों के उलट गया प्रति नई डी ई एल वास्तविक वार्षिक पूंजी खर्च सारणी से इस प्रकार है:

सारणी 10 डॉट/एम टी एन एल वार्षिक पूंजीगंत व्यय प्रति नई डीईएल

वर्ष	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
राशि	46.2	46.7	45.4	38.5	37.6	32.8
(हजार रुपये)				}		

स्रोत : डॉट, वार्षिक रिपोर्ट 1997-98

- 70. 1996—97 में प्रति अतिरिक्त डीईएल वास्तिवक वार्षिक पूंजीगत व्यय 33000 रुपए के करीब था। यह उपर्युक्त प्रदर्शित 43000 रूपए से काफी कम है, जो मूल्यों की बड़ी बचत प्रदर्शित करता है (और फिर राजस्व की आवश्यकता होती है)। इस प्रकार यदि हम प्रति डीईएल आधारित 43000 रु. की जगह 38000 रुपए लेते हैं और इस कमी को मिला कर अगले तीन वर्षों में डॉट द्वारा स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त डी ई एल के लिए निवेश जरूरत के रुप में लेते हैं तो हम पाते हैं कि डॉट द्वारा राजस्व जरूरतों में कमी 1850 करोड़ रुपए से 2250 करोड़ रुपए के बीच में बैठती है। ऊपर किए गए राजस्व निहितार्थों में यदि इस राशि को समायोजित किया जाए तो यह प्रदर्शित होता है कि पहले साल में राजस्व वृद्धि होगी चाहे एसडीडी/आईएसडी की कीमतों में गिरावट के बाद भी परिमाण में परिवर्तन नहीं हो। दूसरे वर्ष में ज्यादा राजस्व मिलता है अगर परिमाण में 10 प्रतिशत वृद्धि होती है और तीसरे साल में परिमाण 25 प्रतिशत कर देने पर भी राजस्व बढ़ता है। यदि 1996—97 की 33000 रुपए प्रति डीईएल की राशि के संदर्भ में देखें तब भी राजस्व में काफी वृद्धि होगी।
- 71. प्राधिकरण को इसमें काफी संभावनाएं दिखती हैं। इसलिए इसकी राय यह है कि नई

शुल्क दरें लागू हो जाने के बाद विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डॉट के पास पर्याप्त कोष होगा। इसके बाद डॉट ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी निवेश जरूरतें पूरी कर सकेगा और परिचालन लागत संबंधी उन शर्तों पर भी, जिसमें निजी क्षेत्र की तुलना में उसे चाहे कम फायदा ही क्यों न हो। प्राधिकरण ने यह गौर किया है कि नेटवर्क विस्तार के कार्यक्रमों की राजस्व जरूरत धीरे—धीरे कम होती जाएगी।

### अन्य बुनियादी सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व निहितार्थ

72. एसोसिएशन ऑफ बेसिक सर्विस आपरेटर्स (एबीटीओ) ने मूल्य आधिरत शुल्कों के अनुमान दिए थे। इन्होंने मूल्य आधारित दर 2.38 से 2.97 प्रति कॉल परिकलित की थी। हलांकि इन अनुमानों से लंबी दूरी व अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए मूल्य आधारित औसत दरें — दूसरे विचार—विमर्श पत्र में अनुमानित दरों से काफी कम होती। प्राधिकरण यह मानता है कि एबीटीओ का अनुमान काफी ज्यादा है जो मूल्य आधारित स्थानीय कॉलों के लिए है। फिर भी एबीटीओ की ये दरें, दूसरे विचार—विमर्श पत्र में दर्शाए गए अनुमानों की तुलना में काफी संतुलित दरों का व्यापक दायरा प्रस्तुत करती हैं। प्राधिकरण की राय यह है कि नई शुल्क व्यवस्था में निजी क्षेत्र की व्यावहार्यता निरंतर बनी रहेगी।

### एक वर्ष बाद प्राधिकरण द्वारा सामान्य समीक्षा

- 73. प्राधिकरण ने फैसला किया है कि वह राजस्वों व शुल्कों पर इस बारे में अपनी निगरानी रखेगी और आवश्यक हुआ तो वह दखल भी देगी।
- 2. विभिन्न अनुसूचियों में संबोधित विषय
- अनुसूची I. में संबोधित विषय : मूलभूत सेवाएं (आईएसडीएन के अतिरिक्त) ग्रामीण/शहरी ग्राहकों, और निम्न उपयोगकर्त्ता ग्राहक व अन्य
- 74. दूसरा विचारविमर्श पत्र में किराए के संदर्भ में ग्रामीण व शहरी ग्राहकों में अन्तर किया गया था, लेकिन मुफ्त कॉलों या भुगतान कॉलों में नहीं। इसमें उन ग्राहकों को भी शामिल किया गया था जो दो माह में एक हजार से ज्यादा कॉलें करते थे। इसके अतिरिक्त चालू पंजीकरण व स्थापना शुल्कों से यह सुनिश्चित किया गया है कि मौजूदा ग्रामीण संदर्भ में मे स्थितियाँ जारी रहेंगी। और आगे, शहरी ग्राहकों की तुलना में ग्रामीण ग्राहकों को निशुल्क कालें और ज्यादा उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के योग में ज्यादा रियातें मिल सकेंगी और उन्हे ज्यादा फायदा होगा।
- 75. सामान्य रुप से ग्राहकों के लिए समायोजित भार कम करने का एक प्रमुख कारण प्राधिकरण के समक्ष निम्न उपयोग कर्ता ग्राहकों का वर्ग तैयार करता रहा और उनहें कम किराए पर व काल शुल्क पर सुविधा दे रहा। दो महीने में 1000 काल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए आवासीय व व्यावसायिक ग्राहकों का एक अलग वर्ग बनाने की कोशिश पर भी जोर दिया गया।

- 76. प्राधिकरण ने व्यावसायिक ग्राहकों की श्रेणी पर विचार किया और इसे बनाने की आवश्यकता बताई थी। सामान्य वर्गीकरण में एक उच्च किराए देने वाले वर्ग को रखना होगा, लेकिन आवासीय ग्रहकों की तुलना में ऐसे ग्राहकों से कॉल शुल्क कम लिया जाएगा। सेवा प्रदाताओं को शुल्क पैकेजों के विकल्प प्रस्तुत करते ही छूट के साथ, सेवा प्रदाताओं को उच्च किराए के साथ कोई भी व्यापारिक शुल्क पैकेज देने की छूट होगी। अगर सेवा प्रदाता ऐसा चाहते हैं तो वे वैकल्पिक पैकेज के रूप में मौजूदा दरों का पैकेज उपलब्ध कराने के लिए स्वतंत्र है।
- 77. उपयुक्त वर्णित छूट के अलावा, प्राधिकरण ने 'कमर्शियल यूजर्स कैटेगिरी' के तहत व्यावसायिक ग्राहकों के लिए एक शुल्क पैकेज उपलब्ध कराने का फैसला किया है वर्गीकृत ग्राहकों के लिए नियमों को विचार विमर्श की प्रक्रिया के बाद विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए प्राधिकरण द्वारा पेश किया जाएगा अंतरिम तौर पर व्यावसायिक ग्राहक वे होंगे जो इस वर्ग के लिए किराया श्रेणी को विकल्प के रुप में चुनेंगे।
- 78. प्राधिकरण द्वारा एक अन्य श्रेणी 'जनरल यूजर्स सब्सक्राइबर्स' बनाई गई है। यह श्रेणी व्यावसायिक श्रेणी से वर्तमान में भिन्न है। अप्रैल 1999 से मार्च 2001 तक यह भिन्न रहेगी। फिर, दरें लागू होने के पहलें दो वर्षों में यह 'लो यूजर्स कैटेगरी' से मिलती जुलती होगी। ताकि इन ग्राहकों के लिए विनिर्दिष्ट किराया वृद्धि समायोजन आसानी से किया जा सके।
- 79. चूंकि ग्राहकों की श्रेणीयों (कम उपयोग करने वाले उपभोक्ता) 'लो यूजर सब्सक्राइबर' व 'जनरल यूजर सब्सक्राइवर (सामान्य उपभोग करने वाले उपभोगता) को मीटर्ड कॉल की संख्या के रूप में पिभाषित किया गया है, यह इसिलए संभव है कि किसी भी वर्ष के दौरान ग्राहक विशेषज्ञ को एक से ज्यादा श्रेणियों में रखा जा सकता है। हलांकि कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष में यह समस्या नहीं आती है क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, उस काल के दौरान ये दो श्रेणियाँ संयुक्त रूप से प्रभाव में हैं।

#### किराए

- 80. यद्यपि दूसरे विचार—विमर्श पत्र में प्रस्तावित किराए मूल्य आधारित नहीं थे। वे साधारण रुप से ऐसे ही तय किए गए थे। अपने प्रस्तावों में प्राधिकरण ने मूल्य आधारित किरायों के अनुमान को इस आधार पर नामजूर कर दिया था कि ये काफी ज्यादा हैं। बजाय इसके, 1993 से जारी स्तरों में वृद्धि करके सामान्य रुप से किराए प्रस्तावित किए गए और उस समय मुद्रास्फीति दर व वास्तविक आय वृद्धि को ध्यान में रखा गया परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा तय मूल्य आधारित किराए काफी कम रहे, और मुख्य रुप से इसमें ध्यान रखा गया कि इन्हें वहन करने की सामर्थ का।
- 81. किरायों के मामले में समर्थता के मुद्दे पर ऊपर पहले ही विचार किया जा चुका है। प्राधिकरण ने विचार —विमर्श के दौरान इस पर मुख्य रुप से जोर किदया था और इस

बारे में किराया एक ऐसा मामला था, जिस पर प्रमुखता से जोर दिया गया। तब प्राधिकरण ने कम बिलों को देखते हुए कम किराए वाले उपभोक्ताओं की अलग श्रेणी बना दी जो फोन कम प्रयोग करने वालों की थी। इस वर्ग के ग्राहकों के लिए किराये में वृद्धि की परास में 30 से 40 प्रतिशत आ जाते हैं। ये किराए 1993 के बाद बढ़े हैं और ये अगले तीन साल यानी 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2002 तक के लिए अपरिवर्तनीय रहेंगे। पहले वर्ष के बाद करीब 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं को किराया वृद्धि का सामना नहीं करना होगा क्योंकि वे कम प्रयोग करने वाले होंगे।

- 82. चूंकि व्यापारिक ग्राहकों के लिए सामर्थ्य का कोई प्रतिबंध नहीं हैं, इसलिए द्वितीय विचार—विमर्श पत्र में व्यावसायिक इस्तेमाल वाले ग्राहकों के लिए प्रस्तावित स्तरों का निर्धारण कर दिया गया है। अन्य के लिए यानी सामान्य प्रयोगकर्त्ता ग्राहकों के लिए प्रस्तावित किरायों की श्रेणी दी गई है। वर्ष 1999—2000 में सामान्य प्रयोगकर्ताओं के लिए वही प्रस्तावित किराए रखे गए हैं जो कम प्रयोग करने वाले ग्राहकों के लिए रखे गए हैं। उन्हें वृद्धि के दायरे में दूसरे व तीसरे वर्ष में लाया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामान्य ग्राहक वे हैं जो दो माह में 1000 से ज्यादा कॉल करते हैं और जो बिलों के मद में 30 प्रतिशत ऊपर वाले ग्राहकों में से हैं यह उपभोक्ता किरायों में वृद्धि को वहन करने की काफी क्षमता रखते हैं। उदाहरण के लिए, उपर्युक्त वर्णित आंकड़ों से यह पता चलता है कि आय का औसतन पांच प्रतिशत हिस्सा दूर संचार पर व्यय किया जाता है और सामान्य प्रयोगकर्त्ता ग्राहकों का आय स्तर बड़े शहरों में 13800 प्रतिमाह और ग्रामीण क्षेत्रों में 8200 रुपए प्रतिमाह से ऊपर है।
- 83. किरायों के लिए मूल्य आधार के बारे में एक टिप्पणी यह भी कि द्वितीय विचार—विमर्श पत्र में मूल्य के बारे में जिस आधार पर विचार किया गया था, वह अनुमान से कहीं ज्यादा था। इसमें कहा गया था कि लागत के लिए जिस प्रासंगिक पूंजी आधार पर विचार किया जाना था यह लोकल लूप के लिए था न कि पूरे लोकल नेटवर्क के लिए जैसा कि द्वितीय परामर्श पत्र में माना गया था। प्राधिकरण इस मामले में ध्यान दे रहा है कि नेटवर्क के किन तथ्यों को किराये का लागत आधार निर्धारित करने के लिए विचार में शामिल किया जाना चाहिए। निम्न पूंजी लागत आधार के कारण परिचालन लागत के एक हिस्से का भी हिसाब किराये के प्रासंगिक लागत आधार में रखने की जरूरत है। प्राधिकरण इस पर भी आगे विचार करेगा और यह लागत आधारित एक्सेस शुल्क के विश्लेषण का भी हिस्सा होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित (या पूर्व में प्रस्तावित) किराये प्रासंगिक लागत आधार के अनुमान से बहुत कम थे।

पीबीएक्स, पीएबीएक्स और ईपीएबीएक्स के लिए किराए

84. पी वी एक्स, पी ए बी एक्स और ई पी ए बी एक्स के लिए तीन श्रेणियों पर विचार किया गया है। बाहर से आने वाले संयोजनों के लिए 50 रुपए प्रतिमाह की न्युनतम कमी विनिर्दिष्ट की गई है। एक्सटेंशन सुविधा लेने वालों के लिए 125 रुपए माहवार प्रस्तावित किया गया है। इनकिमंग जंक्शन के लिए कम से कम 50 रूपये प्रतिमाह की कटौती प्रस्तावित की गई। उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गये एक्सटेंशनों के लिए 125 रूपये प्रतिमाह का किराया प्रस्तावित किया गया है। इस तरह डीईएल के ऊंचे किराये के मुकाबले कम खर्च में टेलीफोन एक्सेस करने की संभावना बनी है। अनुसूची में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि सेवा प्रदाताओं के अलावा फ्रैन्चाइजी को यह अनुमति होगी कि वे एक्सटेंशन का उपयोग करने वालों को वैकल्पिक शुल्क पैकेज दें।

85. दोनों तरफ के किराए और उपभोक्ता मिल्कियत वाले आउटगोइंग जेक्टांस, और सेवा दाता मिल्कियत, समूह पीबीएक्स, पीएबीएक्स और ईपीबीएक्स को उच्चतम लागत आधारित किराए से अधिकतम सीमा के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसकी गणना द्वितीय परामर्श पत्र में की गई है। आने वाली काल के लिए न्यून्तम 50 रूपय महीने की कटौती विनिर्दिष्ट की गई है। सेवा प्रदाता मिल्कियत पीबीएक्स, पीएबीएक्स और ईवीएबीएक्स एक्सचेजों की स्थापना के मामले में विरत रहा है। प्राधिकरण की दृष्टि में, इन दोनों आइटमों के लिए मौजूदा शुल्क, और भावी अध्ययन तथा परामर्श जरूरी है जिससे कि इनके शुल्कों में संशोधन के बारे में निर्णय लिया जा सके। यह इसीसाल बाद में किया जाएगा।

पल्स दर और स्थानीय कालों के लिए काल शुल्क

- 86. द्वितीय परामर्श में मीटर में दर्ज कालों के लिए प्रतिकाल 1.30 रूपय अधिकतम शुल्क प्रस्तावित किया गया है। यह पहले उपलब्ध कालों गई इस सूचना पर आधारित था कि मीटर में दर्ज कुल कालों में स्थानीय कालों का हिस्सा 25 प्रतिशत था और लोकल काल के लिए होल्डिंग समय 2.5 मिनट था। परामर्श प्रक्रिया के दौरान दूर संचार विभाग से और मिली सूचना के अनुसार कुल कालों में लोकल कालों का हिस्सा तीस प्रतिशत से थोड़ा कम है और होल्डिंग समय तीन मिनट से कम है और यह 2.5 मिनट से कम नहीं होंगा।
- 87. द्वितीय परामर्श पत्र का लोकल काल के लिए तीन मिनट पल्स का प्रस्ताव अब अनुसूची है लोकल काल की पल्स के रूप में दर्शाया गया है।
- 88. और, जैसा कि द्वितीय परामर्श पत्र में उल्लेख किया गया है, प्राधिकरण का दो साल बाद लोकल कालों के लिए साठ सेकेंड की पल्स दर लागु करने का इरादा है। इसके साथ ही लंबी दूरी की कालों की पल्स दर और प्रति पल्स काल चार्ज में कटौती का भी इरादा है।
- 89. द्वितीय परामर्श पत्र में लोकल कालों के लिए बांटी गई संचालन लागत और कुल कालों में लोकल कालों के तीस फीसदी हिस्से के आधार पर तीन मिनट की लोकल काल (बिना मार्जिन) की लागत निम्न प्रकार होगी:

- 0-86 रू. **से 0-93** रू अगर लोकल काल का औसत होल्डिंग समय तीन मिनट है।
- 0-92 रू. से 1-00 रू अगर लोकल काल का औसत होल्डिंग समय 2-8 मिनट है।
- 1-03 रू. से 1-12 रू अगर लोकल काल का औसत होल्डिंग समय 2-5 मिन्ट है। 90. प्राधिकरण ने मीटर में दर्ज काल के लिए तीन विभिन्न शुल्क दर्शाए।
  - एक बिलिंग चक्र में प्रित महीने प्रथम 500 मीटर में दर्जकालों के लिए, 30 पैसे प्रित मीटर में दर्जकाल, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए।
  - एक बिलिंग चक्र में प्रति महीन प्रथम 500 मीटर में दर्जकालों के लिए, 1.00 रूपया
     प्रति मीटर में दर्ज काल, शहरी उपभोक्ताओं के लिए।
  - एक बिलिंग चक्र में प्रति महीने मीटर में दर्ज 500 से अधिक कालों के लिए, 1.20
     फ. प्रति मीटर में दर्ज काल ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं के लिए।
- 91. ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक बिलिंग चक में प्रित महीने मीटर में दर्ज पांच सौ कालों के लिए काल चार्ज बिना किसी मार्जिन के न्यूनतम अनुमानित लागत आधारित चार्ज से भी कम है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए यही काल चार्ज (बिना मार्जिन या मामुली मार्जिन के साथ) 2-8 मिनट के औसत होल्डिंग समय के साथ अनुमानित चार्ज के बराबर है। अगर काल होल्डिंग समय ढाई मिनट हो तो यह शुल्क लागत से भी कम होगा।
- 92: एक बिलिंग चक में प्रति महीने मीटर में दर्ज प्रथम पांच सौ कालों के अलावा की गई कालों के लिए लागत आधारित चार्ज की उच्च सीमा से अधिक है, जिसमें होल्डिंग समय 2.8 मिनट है। इसमें ढाई मिनट के औसत होल्डिंग समय के लिए अनुमानित (लागत आधारित चार्ज (1.12 रू.) की उच्च सीमा पर मार्जिन मिलता है।

पीबीएक्स, पीएबीएक्स, ईचीएबीएक्स, पीसीओ/वीपीटी के लिए काल चार्ज

- 93. पीबीएक्स, पीएबीएक्स, ईपीएबीएक्स और एसटीडी वीसीओ/वीपीटी से की गई कालों के लिए भी 1.20 रू प्रति काल विनिर्दिष्ट किया गया है।
- 94. द्वितीय परामर्श पत्र में ग्रामीण पीसीओ के लिए शहरी पीसीओ की तुलना में कम काल चार्ज का सुझाव दिया गया था। इस मसले पर मिली टिप्पणियों में सुझाव दिया गया कि प्राधिकरण को ग्रामीण और शहरी एसटीडी—पीसीओ के लिए अलग—अलग काल चार्ज का प्रावधान नहीं करना चाहिए अन्यथा ग्रामीण पीसीओ के जिरए काल फारवर्ड केर शुल्क बचाने के तरीके बढ़ जाएंगे। लिहाजा प्राधिकरण ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों तरह के पीसीओ के लिए समान शुल्क अर्थात, मीटर में दर्ज प्रतिकाल 1-20 रूपये विनिर्दिष्ट किया है जिसे पीसीओ आपरेटर प्रचलित स्थिति के अनुसार इकट्ठा करेगा।
- 95. एसटीडी/आईएसडी कालों की स्थिति से विपरित, प्राधिकरण ग्रामीण और शहरी पीसीओ/पीपीटी से की गई स्थानीय कालों के लिए विभिन्न शुल्क विनिर्दिष्ट किए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए मीटर में दर्ज प्रति काल के लिए एक रूपया शुल्क होगा जिसमें पल्स अवधि तीन मिनट होगी। शहरी क्षेत्रों के लिए तीन मिनट की पल्स दर के लिए मीटर में दर्ज प्रतिकाल का शुल्क 1.20 रूपये होगा।

- 96. साथ ही प्राधिकरण ने लोकल काल चार्ज प्रस्तावित 1.30 रूपये से घटाकर 1.20 रूपये कर दिया है। उसने सिक्का संग्रह पेटी (सीसीबी) के लिए दो रूपय प्रति तीन मिनट काल कर दिया। यह शहरी उपभोक्ताओं के लिए न्युन्तम काल चार्ज के अनुरूप है तथा सीसीबी के लिए इस्तेमाल सिक्का इकाई में रूकावट है।
- 97. पीसीओ के सिलिसिले में हुई परामर्श प्रक्रिया के दौरान अनेक अन्य मुहेमी उठे। उदाहरणार्थ इनमें कमीशन, पीसीओ/वीवीटी के लिए अतिरिक्त लाइनें, सेवा की क्वालिटी, लाइसेंस फीस और पीसीओ तथा वीपीटी के लिए आवंटन जैसी बातें शामिल हैं। प्राधिकरण इन विषयों पर अलग से विचार करेगा।

### घरेल लंबी दूरी का काल शुल्क

- 98. दूसरे परामर्श पत्र में प्रस्तावित किराए और लंबी दूरी तथा अंतराष्ट्रीय काल शुल्क के बीच संपर्क था। लागत आधारित किराये तथा प्रस्तावित किरायं का अंतर इन शुल्कों की गणना के लिए लागत आधार पर जोड़ा गया। इस विधि का उपयोग करके, कम उपयोग करने वाले उपभोक्ता के लिए कम किराया विनिर्दिष्ट करने से लंबी दूरी और अंतराष्ट्रीय चार्ज में बढ़ोतरी का संकेत देते हैं। अतएव, इन शुल्कों के लिए विनिर्दिष्टा अंतिम स्तर अब अति दूर वर्गों के लिए पहले प्रस्तावित शुल्क से थोड़ा अधिक है। इसके अलावा, इन स्तरों तक संक्रमण लागु होने के प्रथम वर्ष में धीरे धीरे बढ़ाए गए हैं जिससे कि कम किराया वृद्धि के कारण उत्पन्न राजस्व प्रभावों की दिशा तय हो सकेगा। यह परिवर्तन सेवादाताओं द्वारा लंबी दूरी की घरेलु और अंतराष्ट्रीय कालों के लिए शुल्क में कमी के धीमी क्रियान्वयन के सुझाव से संबंधित है।
- 99. सेवा प्रदाताओं ने एक हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी का स्लेब बरकरार रखने के लिए जोरदार तर्क दिया। फिलहाल प्राधिकरण ने यह स्लेब जारी रखने का फैसला किया क्योंकि इससे लंबी दूरी के घटे हुए शुल्कों पर आसानी से अमल संभव होगा। यह स्लेब बनाए रखने का संकेत यह है कि 520 किलोमीटर से एक हजार किलोमीटर से अधिक की संयुक्त दूरी के लिए प्रस्तावित शुल्क की अधिकतम सीमा से कम हो।
- 100. 36 से 50 किलोमीटर दूरी का स्लैब बनाए रखने का भी सुझाव था। प्राधिकरण ने शुन्य से 50 किलोमीअर तक की पहले दूरी स्लैब का अपना प्रारंभिक प्रस्ताव नहीं बदलने का फैसला किया और इस स्लैब को एसटीडी शुल्क की यह नीति दूरी आधारित शुल्कों को एसडीसीए के साथ यह टर्मिनल के स्थानीय क्षेत्र विस्तार से उत्पन्न शुल्कों के अनुरूप

बनावती है। अन्य शब्दों में यह स्थानिय क्षेत्र को एसड़ीसीए तक अधिक तर्क संगत ढंग से बढ़ाने के दूरी आधारित शुल्क सिद्धांत के आदेश के प्रयोग का रास्ता स्पष्ट करती है।

- 101. प्राधिकरण घरेलु लंबी दुरी और अंतराष्ट्रीय कालों के सिलसिले में होन वाली गतिविधियों गहराई से निगरानी करेगा। इसी सिलसिले में कोई भी सूचना प्राधिकरण की भावीनीति के रूख का आधार बनेगी। इसमें और अंतरकनेक्शन शुल्क भी शामिल है जोकि लंबी दूरी के इस बाजार हिस्से में किसी भी तरह के उदारीकरण की तैयारी पर लागु होने चाहिए। अंतराष्ट्रीय काल चार्ज
- 102. लंबी दूरी की घरेलू कालों के लिए बताए गए कारणों की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय काल शुल्क भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है और उनके क्रियान्वयन की गति पहले प्रस्तावित प्रथम वर्ष के लिए धीमी रखी गई है। दूसरे परामर्श पत्र के प्रस्ताव के अनुरूप सार्क देशों तथा अन्य पड़ोसी देशों के लिए की गई कालों के शुल्क उतने ही हैं जितने लंबी दूरी की कालों के स्लैब में अधिकतम दूरी के हैं।

मैन्युअल ट्रंक काल्स के लिए शुल्क (घरेलु)

- 103. प्राधिकरण को प्राप्त टिप्पणियों में तर्क दिया गया है कि इसके लिए निश्चित शुल्क (उदाहरणार्थ पांच रूपय) और प्रत्येक तीन मिन्ट की इकाई के लिए गणना किया गया अतीरिक्त शुल्क लिया जाए। प्राधिकरण ने ट्रंक काल्स की तीन विभिन्न श्रेणियों पर विचार किया
  - समान्य बुक किए गए काल
  - अन्य विशिष्ठ काल जैसे डिमांड काल, लाइटिनंग काल, व्यक्ति—दर—व्यक्ति काल
     आदि ।
- 104. पहली श्रेणी की काल सबरहाजर ट्रंक डायल्ड काल्स के सदृश मानी जाती है। फर्क इतना ही है कि इन पर कुठ अतिरिक्त चार्ज लिया जाना चाहिए क्योंकि काल में आरेटर मदद करता है। इन कालों के लिए विनिर्दिष्ट आतंकित राशि दो हिस्सों में है। एक में पांच रूपय प्रित काल का नियत शुल्क लगता है। दूसरे में एक काल के लिए न्युनतम अवधि और शुल्क लगता है। बार के हिस्से के लिए प्राधिकरण ने विनिर्दिष्टा किया है कि इसका शुल्क एसटीडी काल के समान हो लॉकेन काल पर एक मिनट को युनिट मानकर धुतक लिया जाए। इस तरह, एक मिनट की काल के लिए न्युनतम चार्ज होगा पांच रूपय और एसटीडी चार्ज। एक मिनट सं अधिक की अवधि के लिए, शुल्क प्रति एक मिनट की इकाई मानकर उसे अवधि में विभाजित कर वसूला जाएगा।
- 105. प्रचालित बुक किए गए ट्रंक काल शुल्क तीन मिनट की एसटीडी काल के शुल्क के लिए कतिपय प्रचलि काल चार्जेज से कम हैं। एसटीडी काल के शुल्कों में कमी के बाद बुक

किए गए ट्रंक कालों के चार्जेज में भी कमी होनी चाहिए। इससे बड़ी संख्या में वे उपभोक्ता भी ट्रंक कालों के चार्जेज में भी कमी होना चाहिए। इससे बड़ी संख्या में वे उपभोक्ता भी ट्रंककाल करने को प्रोत्साहित होंगे जिन्होंने अपने डीईएल पर एसटीडी सुविधा नहीं ले रखी। प्राधिकरण ने बुक किए गए ट्रंक कालों के लिए न्युनतम अवधि का शुल्क तीन मिनट से घटाकर एक मिनट का दिया है। इससे न केवल न्युनतम काल शुल्क घटेगा बल्कि ये काल करने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा लोच प्राप्त होगी।

- 106. अन्य बुक किए गय कालों जैसे डिमांड काल, लाइटनिंग काल आदि के शुल्क के मामले में प्राधिकरण विरत रहा है।
- 107. सेवा प्रदाताओं को ट्रंक काल के चार्ज की सारिणी बनाकर रखनी होगी। उपभोक्ता, संभावित उपभोक्ताओं को जरूरत पड़ने पर यह सारीणी देखने का अधिकार होगा।

आपरेटर की सहायता से किए गए अंतर्राष्ट्रीय कालों के शुल्क

- 108. आपरेटर की सहायता से किए गए अंतर्राष्ट्रीय कालों के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का आधार घरेलु कालों के बराबर ही है अर्थात, पांच रूपये और उचित आईएसडी काल चार्ज। आईएसडी चार्ज एक मिनट की इकाई में लागु होंगे।
- 109. प्राधिकरण आपरेटर की सहायता से डायल किए गय अन्य अंतर्राष्ट्रीय कालों जैसे डिमांड काल, लाइटनिंग काल आदि के मामलों में बिरत रहा है।
- 110. सेवा प्रदाताओं के आपरेटर की सहायता से किए गए अंतर्राष्ट्रीय कालों के शुल्क की सारणी रखनी होगी। उपभोक्ता और संभावित उपभोक्ताओं को जरूरत पड़ने पर यह सारणी देखने का अधिकार होगा।

मुफ्त काल सुविधा

- 111. द्वितीय परामर्श पत्र में प्रत्येक दो महीने में 120 मीटर्ड काल देने का प्रस्ताव किया गया था। इसका प्रावधान दो महीने में औसतन 150 काल तक करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा प्रति दिन की जाने वाली मीटर्ड कॉल को दूना करके किया गया था।
- 112. मुफ्त कालों की संख्या कम नहीं की जानी चाहिए इस बारे में राय बहुत मजबूत थी। ग्रामीण उपभोक्ताओं के मामले में यह राय खासतीर से व्यक्त की गई थी। पर एसडीसीए के साथ स्थानीय क्षेत्र का विस्तार होने और लंबी दूरी की कालों के शुल्क में कटौती होने से नए शुल्क में प्रत्येक मीटर्ड काल इन शुल्कों के पहले की एक मीटर्ड काल से ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में यह खासतौर से सही होगा क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कुल कालों में ज्यादातर हिस्सा लंबी दूरी की कालों का होता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, 36 से 50 किमी. की बीच की दूरी के लिए की गई तीन मिनट से कुछ ही कम अवधि की काल

पूर्व में पांच मीटर्ड काल के बराबर मानी जाती पर नए शुल्क लागू होने के बाद यह सिर्फ एक काल के बराबर रह जाएगा। इतना ही नहीं मुफ्त कालों की संख्या में किसी भी तरह की कटौती के संपूर्ण प्रभाव को सामर्थ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना है। और इस मुद्दे पर पूर्व में चर्चा की जा चुकी है।

- 113. इस तरह प्राधिकरण मुफ्त काल के मामले में शहरी उपभोक्ताओं के लिए अपने प्रस्ताव पर कायम रहा है और बिलिंग चक्र में प्रति माह 60 मीटर्ड उपभोक्ता चूंकि कुल कॉलों में लबी दूरी की कॉलें ज्यादा करते हैं इसलिए और मौजूदा समय में मिलने वाली मुफ्त कालें काफी ज्यादा है। दो महीने में 250 मीटर्ड काले इसलिए प्राधिकरण ने बिलिंग चक्र के प्रत्येक महीने में 75 मीटर्ड काल मुफ्त देने का फैसला किया है।
- 114. पीबीएक्स, पीएबीएक्स और इपीएबीएक्स से जुड़े सभी उपभोक्ताओं के मामले में प्राधिकरण ने कोई मुफ्त काल नहीं दी है। हालांकि यह याद रखा जाना चाहिए कि इन उपभोक्ताओं के साथ साथ डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन के उपभोक्ताओं के लिए सेवा प्रदान वैकल्पिक पैकेज तैयार कर सकते हैं जिसमें किराए, काल शुल्क और फ्री कालों का भिन्न कांबिनेशन दिया जा सकता है।

बिलिंग साइकिल फैसिमाइल और अन्य मामले जो शुल्क से जुड़े हैं पर जिनकी चर्चा अनुसूची में विशेष तौर से नहीं की गई है।

115. इन सभी विषयों में प्राधिकरण ने स्थगन रखने का निर्णय किया है। बिलिंग अविध के मामले में स्थगन रखने की वजह यह है कि भिन्न सेवा प्रदान और उपभोक्ता यह अपेक्षा कर सकते हैं कि बिलिंग की अविध डॉट द्वारा अपनाई गई मौजूदा द्विमासिक अविध से भिन्न हो। हालांकि इन सभी मामलों में रिपोर्टिंग की शित लागू हागी और कभी जरूरत पड़ी तो प्राधिकरण इसमें हस्तक्षेप करेगा।

# अनुसूची II में वर्णित मदें : सेलूलर मोबाइल टेलीकाम सेवा (सीएमटीएस)

#### प्रस्तायना

- 116. सेलूलर सेवाओं के लिए टैरिफ का जो वर्तमान स्वरूप है, और जो परिमंडल और महानगरीय प्रचालनों के लिए एक समान है, उसमें कीमतों को अधिकतम के शब्दों में बताया गया है। आजकल के सेलूलर बाजार की खास बात है कि उसमें अभिगम प्रभार या एक्सेस चार्ज (याने मासिक किराया) अपेक्षाकृत कम होता है और उपयोग के प्रभार याने यूसेज चार्ज अधिक होते हैं। आपरेटीर द्वारा एक्सेस के लिए अधिक से अधिक 156 रू. प्रति माह लिया जा सकता है। समय की तीन श्रेणियों के लिए, याने लाइसेंस की शर्तों में व्यस्ततम, मानक और गैर—व्यवस्त अवधियों के लिए उपयोग की अधिकतम कीमतें क्रमशः 16.80/8.40/4.20 रूपए प्रति मिनट हैं।
- 117. सेलुलर बाजार के अनुभव साक्ष्य से ऐसा लगता है कि 156 रू. का अल्प मासिक किराया, सेलूलर सेवा तक एक्सेस को तो 'सरल' कर देता है पर उपयोग के

अधिक प्रभार, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं देते। कीमतों के ऐसे पैकेज से, ऐसे उपमोक्ताओं की संख्या काफी हो जाती है जो सेलूलर सेवा पर अधिक राशि खर्च नहीं करता।

- 118. एक्सेस चार्ज कम होने से जो नुकसान हो सकता है उससे कुछ सीमा तक बचने के लिए, प्रचालक सामान्यतया मासिक किराए के नाथ र थ, एक टैरिफ योजना के अनुसार कुछ ऊंची निर्धारित फीस भी लेते हैं। यह संभव है इन टैरिफ योजनाओं में शामिल उपभोक्ता ऐसे हों जा अन्यथा भी, सेवा का काफी या अधि क उपयोग करते हों। इसलिए, 156 रूपए की अधिकतम सीमा कदाचितफ, बिक कई प्रचालकों और जानकारी के अनुसार निश्चय ही, ऐसा उपभोक्ता समूह बना देता है जो प्रचालक के लिए 'निबल लागत' की तरह हो जाते हैं।
- 119. हर समय, प्रत्येक प्रचालक सामान्यतया एक से अधिक टैरिफ याजनाएं सामने रखता है। विभिन्न टैरिफ योजनाओं की सावधानी से जाँच करने पर पता चलता है कि निःशुल्क या मुफ्त एयरटाइम, सदस्यता शुल्क से 'जुड़ा' होता है; और मुफ्त एयर टाइम की मात्रा, योजना की सदस्यता शुल्क के अनुसार घट्ती बढ़ती है।
- 120. सेलूलर नेटवर्क से शुरू होकर, नियत बिंदु पर समाप्त होने वाली कॉलों के मामले में, उपभोक्ता एयरटाइम चार्ज के अलावा, उन कालचार्जों का भी भुगतान करता है जो लोकल, एसटीडी या आईएसडी के लिए पीएसटी एन पर लागू होती हैं। एक ही सेलूलर सेवा क्षेत्र के भीतर मोबाइल से मोबाइल तक की कॉलों के लिए केवल एयर टाइम चार्ज ही लगाया जाता है। वर्तमान टैरिफ ढाँचे के अंतर्गत, सेलूलर नेटवर्क पर अंत होने वाली कॉलों के लिए बाहर जाने वाली कॉलों की तरह ही भुगतान करना होता है और उन पर कीमतों की वैसी ही अधि कतम राशियां बनती हैं;
- 121. आजकल प्रतिभूति जमा 3000 रूपए और संस्थापना का खर्च 1200 रूपए हैं । टैरिफ प्रस्ताव
- ृ122. इस सबकी पृष्टभूमि में, प्राधिकरण ने दूरसंचार मूल्यनिर्धारण पर अपने दूसरे परामर्श पत्र में, सीएमटीएस के लिए टैरिफ प्रस्ताव जारी किए। इन प्रस्तावों की खास खास बातों में यह भी शामिल था कि किराए की मासिक अधिकतम राशि 156 रूपए से बढ़ाकर 600 रूपए कर दी जाए और अधिकतम एयरटाइम उपयोग प्रभार 16.80 रू0 से घटाकर 6 रू. प्रतिमिनट कर दिया जाए।
  - 123. दूसरे परामर्श पत्र में यह बात सामने आई कि परिमंडलों के लिए लागत पर आध् ।।रित टैरिफ में, परिमंडल की लाइसेंस फींस शामिल करने से इतना अधिक टैरिफ बन जाता है कि वह स्वीकार्य नहीं होता। इसलिए, परिमंडल के आँकड़ों

को छोड़ दिया गया और प्रस्तावों को केवल महानगरों के आँकड़ों के आधार पर रखा गया। किराए का टैरिफ निकालने के लिए लागत आधारा में पूंजीगत व्यय और लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत शामिल किया गया। एयर टाइम चार्ज निकालने के लिए लागत आधार में प्रचालन व्यय और लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत शामिल किया गया। इस प्रकार किराए और एयर टाईम मूल्यों में, पूंजीगत और प्रचालन व्ययों सहित लाइसेंस फीस का 50:50 विभाजन शामिल रहा।

124. अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप, 'कालिंग पार्टी पेज (सीपीपी) स्वरूप की दिशा में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावों में 'टैरिफ पैकेजों'' की अनुमति थी बशर्ते कि टैरिफ पैकेज में सामने रखा गया मूल्य, विनिर्दिष्ट अधिकतम से ज्यादा नहीं, इसके अलावा, यदि सीएमटीएस प्रचालक बाजार में टैरिफ संबंधी कुछ परिवर्तन चाहे तो उसके लिए 45 दिवसीय रिपोर्टिंग अपेक्षा का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया।

# मुख्य टिप्पणियों का सारांश

125 सेलूलर के प्रस्तावों पर जो टिप्पणियों आई उनमें से अधिकांश सेवा प्रदाताओं और सेलूलर आपरेटर्स एसोशिएसन आफ इंडिया (इसके बाद 'सीओएआई' कहा जाएगा) से थीं। ग्राहकों और उपभोक्ता संघों ने मुख्यतः आधारभूत या बुनियादी सेवाओं के प्रस्तावों के सिलसिले में ही अपनी टिप्पणियां भेजी। इनकी प्रतिक्रियाओं का मोटे तौर पर सारांश इस प्रकार है:—

#### 125.1 महानगरीय याने मेट्रो आँकड़ों के आधार पर निकाले गए टैरिफ का विस्तार परिमंडल या सर्किल पर करना न्यायसंगत नहीं

महानगरीय आंकड़ों पर निकाले गए टैरिफ का विस्तार परिमंडल पर करना गलत है क्योंकि परिमंडल और महानगरों के लागत ढाँचे में बहुत सारे अंतर हैं। परिमंडल टैरिफ के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले, देय अधिक लाइसेंस फीस पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे सेवा प्रदाताओं की लाभ क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

### 125.2 वे प्रस्ताय जिनसे विनियमन की सीमा बढ़ती है और सी एमटीएस प्रचालक का लचीलापन सीमित हो जाता है।

समस्त टैरिफ परिवर्तनों के लिए 45—दिवसीय रिपोर्टिंग आवश्यकता को प्रतिबंध गित्मक महसूस किया गया, सेवा प्रदाताओं का कहना था कि प्राधिकरण को टैरिफ परिवर्तनों की सूचना, शुरू करने के 3 दिन के भीतर, दी जा सकती है, इसके अलावा, यह भी कहा गया कि, सेवा प्रदाता को इस आजादी की अनुमति दी जा सकती है कि वह वैकल्पिक टैरिफ पैकेज भी सामने रख सके बशर्त कि प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पैकेज भी उसे सदैव उपलब्ध रहे।

### 125.3 सीपीपी प्रणाली लागू करने संबंधी मदें

तकनीकी मुश्किलों के अलावा, सेवा प्रदाताओं ने महसूस किया कि सीपीपी प्रणाली लागू करने से, उसके साथ-साथ जो टैरिफ बनेंगे, उनसे सेवा प्रदाताओं को अल्पावधिक राजस्व हानि होगी,

#### 125.4 कुछ प्रस्तायों का राजस्य प्रभाव

चूंकि सेलूलर प्रचालकों के राजस्व का मुख्य स्त्रोत एयर टाइम होता है, सेवा प्रदाताओं का कहना है कि, 6 रू. प्रति मिनट वाली एयर टाईम उपयोग की अधि कतम दर, कम है और उससे राजस्व कम होगा।

126 प्राधिकरण ने उन सब दृष्टिकोणों और विचारों पर गंभीर चिंत्तन किया है जो सेवा प्रदाताओं ने सीएमटीएस की प्रस्तावित प्रणाली के सिलसिले में सामने रखे। इसके साथ—साथ, सेलूलर सेवाओं के लिए टैरिफों पर निर्णय लेते समय उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखा गया है, कुछ प्रकार की कॉलों, जैसे मोबाइल से मोबाइल दीर्घदूरिक कॉलों के मूल्य प्रस्तावों में स्पष्ट नहीं थे। उन पर भी विचार विमर्श किया गया है।

#### विभेदनकारी टैरिफ प्रणाली

- 127. जैसा ऊपर बताया गया है, प्रस्तावों की रूपरेखा बनाते समय परिमंडल आंकड़ों को छोड़कर, केवल महानगरीय आंकड़ों को आधार बनाया गया था। शुरू में इस पर कुछ पक्षों द्वारा आपित उठाई गई थी क्योंकि वे परिमंडलों की वर्तमान प्रणाली को तब तक चलते रहने देना चाहते थे जब तक कि परिमंडल सेलूलरों की अर्थव्यवस्था की और समीक्षा नहीं हो जाती। उसके बाद से अब तक, सीओएआई और उद्योगजगत को, टीआरएआई के टैरिफ प्रस्तावों के विस्तृत मूल्यांकन का समय मिल चुका और अब वे भी इन टैरिफों को, महानगरों व परिमंडलों दोनों के लिए, अपना समर्थन देते हैं।
- 128. यद्यपि सैद्धांतिक रूप से, महानगरों वे परिमंडलों के लिए विभेदनकारी टैरिफ प्रणाली की संकल्पना संभव है पर यह प्राधिकरण फिलहाल पूरे उद्योगजगत के लिए एक समान टैरिफ प्रणाली का समर्थन करता है।

#### जमा और संस्थापना प्रभार

129. लाइसेंस में विनिर्दिष्ट वर्तमान प्रभार, जमा और संस्थापना प्रभारों के अधिकतम के रूप में होंगे। एसटीडी और आई एस डी जमा राशियों के मामलों में, प्राधि करण ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है (अधिक ब्यौरों के लिए सामान्य मदों के खंड को देखें)।

#### मानक समय और रियायती समय

- 130. अपने दूसरे परामर्शपत्र में, प्राधिकरण ने व्यस्त (पीक) और गैर व्यस्त (आफ पीक) समय के वर्गीकरण का प्रस्ताव किया था जिसमें व्यस्त समय की सीमा प्रत्येक कैलेंडर दिन में आठ घंटे रखी थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि, सी एम टी एस के लिए, समय के वर्गीकरण को दूसरा नाम दिया जाए। व्यवस्त और गैर—व्यस्त समय के बदले, टैरिफ निर्धारण के प्रयोजन से क्रमशः मानक और रियायती समय का वर्गीकरण किया गया है। साथ ही, मूल्यनिर्धारण में सीएमटीएस प्रचालक को अधिक लचीलापन देने की दृष्टि से, प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि, मानक घंटों (जो दूसरे परामर्शपत्र में व्यवस्त समय का संगत है) की संख्या को आठ से बढ़ाकर ग्यारह कर दिया जाए।
- 131. सीएमटीएस प्रचालक को, मानक और रियायती समय के घंटों के निर्धारण में लचीलेपन की सुविध भी होगी बशर्ते कि मानक घंटों की संख्या कैलेंडर दिन में ग्यारह से अधिक न हो। रविवारों को और तीन राष्ट्रीय अवकाशों याने 26 जनवरी, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर वाले पूरे कैलेंडर दिवसों के दौरान एयर टाईम का मूल्य रियायती टैरिफ पर होगा। रियायती घंटों के टैरिफ, मानक घंटों के संगत टैरिफों से कम होंगे। इसका वास्तविक स्तर क्या हो यह बात सेवा प्रदाता के निर्णय पर छोड़ दी गई है।

#### कॉलों के लिए पल्स रेट

132. टैरिफ संबंधी दस्तावेज या पत्र में, टी आर ए आई ने प्रस्ताव किया था कि कॉलों पर प्रभार का आधार, पहले 30 सेकंड एकमुश्त और बाद में 10, 10 सेकंड के अंतराल पर होना चाहिए। प्रचालकों ने अपनी टिप्पणियों में 60 सेकंड के एक समान बिलिंग अंतराल का सुझाव दिया। यह प्रस्ताव प्रतिबंधात्मक है क्योंकि औसतन कॉल चलते रहने का समय 120 सेकंड से काफी कम होता है। प्राध्विकरण ने निर्णय लिया है कि, उपभोक्ताओं के हित की दृष्टि से, एयर टाईम का चार्जिंग पत्स 20 सेकंड के समान अंतराल पर हो।

#### किराया और एयर टाईम प्रभार

133. दूसरे परामर्श पत्र में, प्राधिकरण ने मासिक किराए और 'व्यस्त' (इस आदेश में जिसे मानक कहा गया है) एयर टाईम टैरिफ क्रमशः 600 रू. और 6 रूप. प्रति मिनट प्रस्तावित किए थे। वैकल्पिक मूल्य पैकेजों में, इनमें से किसी भी सीमा राशि को बढ़ाने का लचीलापन, टीआरएआई के टैरिफ प्रस्तावों में नहीं था। उद्योग जगत् के सुझावों पर प्रतिक्रिया के रूप में, प्राधिकरण इस बात से सहमत है कि, वैकल्पिक मूल्य पैकेजों को सामने रखने में लचीलापन से सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं दोनों को ही सुविधा और लाम हो सकता है। इसलिए,

सीएमटीएस प्रचालक को इस तरह के लचीलेपन की आजादी उपलब्ध होगी (अधिक ब्यौरों के लिए सामान्य मदों पर खंड देखें)

134. तथापि, मूल्यनिर्धारण में इस तरह का लचीलापन, मूल्य सीमा के साथ—साथ सार्थक रूप से नहीं चल सकता, अतः, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि मासिक किराए के रूप में 600 रूपए और मानक एयर टाईम के लिए 6 रू. प्रति मिनट के टैरिफ, मानक पैकेज के हिस्से होंगे (ब्यौरे के लिए आगे देखें) और सदैव उपभोक्ता को उपलब्ध रहेंगे। प्रचालक द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक मूल्य पैकेजों पर कुछ शर्ते लागू होंगी। ये शर्ते, सामान्य मदों पर खंड में, विस्तार से दी गई हैं।

# मुफ्त एयरटाईम

135. प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि मानक पैकेज के हिस्से के रूप में कोई मुफ्त एयरटाईम उपलब्ध या अनुमेय नहीं होगा।

#### पीएसटीएन से मोबाइल तक की कॉलें

136. जब तक सीवापी शुरू नहीं होता, कॉल की गई पार्टी या बुलाया गया पक्ष एयर टाईम प्रभार देगा।

#### मोबाइल से पीएसटीएन तक की कॉलें

- 137. प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि इस तरह की कॉलों के लिए टैरिफ के दो घटक होंगे:
  - (i) एयर टाईम प्रभार; और साथ में
  - (ii) स्थानीय या दीर्घदूरिक के लिए पीएसटीएन प्रभार जो भी, समय समय पर, नियत या स्थाई नेटवर्क पर लागू होते हों।

#### मोबाइल से मोबाइल तक की कॉलें

- 138 टीआरएआई के 19 अगस्त 1998 के निर्देशों में, एक ही क्षेत्र के भीतर काम कर रहे सेलूलर नेटवर्कों के बीच सीधी अंतः संयोजनता या इंटरकनेक्टीविटी की अनुमित है। अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे सेलूलर नेटवर्कों के बीच सीधी इंटरकनेक्टीविटी के मामले पर अलग से, घरेलू दीर्घदूरिक उदारीकरण शुरूआत के सिलसिले में, विचारविमर्श होगा।
- 139. अब यह निर्णय लिया गया है कि मोबाइल से मोबाइल तक की कॉलों के मूल्य में ये घटक होंगे :--

- (i) एयर टाईम प्रभार; और साथ में
- (ii) दूरी के आधार पर एक पूरक दीर्घदूरिक प्रभार मैट्रो लाइसेंसी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली कॉलों को छोड़कर यह, मोबाइल से मोबाइल तक की सभी कॉलों पर लागू होगा, पहली वाली कॉलों पर के बल एयरटाईम के प्रभार लिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाता कॉल करने वाले पक्ष या पार्टी को ऐसे किसी भी पूरक प्रभार की राशि से अवगत कराएगा जो देय हो और इसके लिए वह अमूचित तकनीकी व्यवस्था करेगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉल किया गया पक्ष या पार्टी किसी भिन्न स्थान पर हो सकती है और उससे कॉल करने वाली पार्टी द्वारा देय प्रभारों पर अंतर आ सकता है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि जब बिल आएगा तो संबंधित पक्ष को 'ताज्जुब' या हैरानी नहीं होगी।

## रोमिंग, प्री-पेड कार्ड और अन्य वी ए एस

- 140. प्राधिकरण इस बात पर सहमत है कि रोमिंग के लिए लगाए गए अतिरिक्त प्रभार के बारे में, सामान्य रूप से रिपोर्टिंग की आवश्यकता छोड़कर, वह हस्तक्षेप न करे। यह शर्त प्री–वार्ड, अन्य पूरक सेवाओं, सेलूलर सेवा के अंतर्गत मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएसी) और बिलिंग साइकिल की आवधिकता पर भी लागू होगी।
- 141. प्राधिकरण इस बात पर विचार कर रहा है कि, प्री-पेड कार्ड सेवाओं का, सेलूलर मोबाइल के लिए प्रयोग पर विस्तृत आकलन किया जाए। आवश्यक होने पर, इस आदेश में वर्णित, प्री-पेड कार्ड हेतु टैरिफ शर्तों को बदला जा सकता है।

#### मानक टैरिफ पैकेज

142. उपभोक्ता को, सीएमटीएस के लिए अनुसूची II में विनिर्दिष्ट टैरिफों पर, मानक टैरिफ पैकेज सदैव उपलब्ध रहेगा।

# वैकल्पिक टैरिफ पैकेज

143. वैकल्पिक टैरिफ पैकेजों में, उन मदों के टैरिफों को ज्यादा नहीं किया जाएगा जो सी एम टी एस के लिए अनुसूची II में अधिकतम या सीमा टैरिफ के रूप में विनिर्दिष्ट हैं। वे मद जिनके लिए कोई विशेष राशि निर्धारित है — जैसे किराया और एयर टाईम — वैकल्पिक टैरिफ पैकेज में मिन्न मूल्य पर हो सकते हैं पर सामान्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता उनके लिए रहेगी।

#### सीपीपी

- 144. कालिंग पार्टी पेज़ (सीपीपी) याने 'पुकार कर्ता भुगतान करे' प्रणाली के प्रस्तावित प्रारंभ को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि सीपीपी प्रणाली को अमल में लाने के लिए आवश्यक तकनीकी समायोजन में उसे कुछ समय लगेगा। सीपीपी के कार्यान्वयन की प्रस्तावित तारीख अगस्त 1999 में सोची गई है।
- 145. जब तक सीपीपी शुरू नहीं होता, वर्तमान प्रणाली चलती रहेगी जिसके अनुसार उपभोक्ता सेलूलर पर आई कॉलों के लिए भुगतान करता है। इन कॉलों का मूल्य, जाने वाली कॉलों के समान याने 6 रू. प्रति मिनट की मानक दर पर होगा।

# दीर्घदूरिक से हुए राजस्व में हिस्सा

146. मुक्त विचार विमर्श के दौरान, सेलूलर नेटवर्क से प्रारंभ या उत्पन्न दीर्घदूरिक व अंतर्राष्ट्रीय कॉलों से प्राप्त राजस्व में किसका कितना हिस्सा हो इस पर तीखे और भिन्न भिन्न मत रहे। सेलूलर प्रचालक या आपरेटर इस राजस्व में हिस्सेदारी के पक्ष में हैं, पर बुनियादी सेवा के प्रचालक स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करते हैं। प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि, फिल्हाल, विद्यमान गैर-हिस्सेदारी वाली व्यवस्था जो बुनियादी और सेलूलर नेटवर्कों के बीच है, घरेलू दीर्घदूरिक और अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए बनी रहे। चूंकि यह अंतः संयोजन या इंटरकनेक्शन का मामला है, प्राधिकरण राजस्व की हिस्सेदारी के बारे में, अलग से जारी होने वाले अंतः संयोजन विनियमों के अंतर्गत निर्णय करेगा।

# सेलूलर मोबाइल टैरिफों का पुनर्विलोकन

147. सेलूलर उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण अधि । सूचित टैरिफों का पुनर्विलोकन व संशोधन, नीतिगत परिवर्तनों के परिणामों की आवश्यकतानुसार करेगा।

# अनुसूची ॥ में वर्णित मुद्दे रेडियो पेजिंग सेवाएँ परिचय

- 148. रेडियो पेजिंग सेवा दो । मन्त रूपों अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक सेवा के रूप में उपलब्ध है। ऐक्सेस के लिए मौजूदा शुल्क, उदाहरण के तौर पर इस सेवा के लिए मासिक किराया अधिकतम मूल्य सीमा के रूप में निर्धारित है। अल्फान्यूमेरिक सेवा के लिए यह सीमा 250 रूपये प्रतिमाह है जबकि न्यूमेरिक सेवा के लिए यह सीमा 150 रूपये प्रतिमाह है। आपरेटर की मदद से की गई काल के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।
- 149. सेवा प्रदान करने के समय 20000 रूपये धरोहर राशि के रूप में जमा कराई जाती है। पंजीकरण शुल्क 500 रूपये हैं। और यह राशि धरोहर राशि से समायोजित कर ली जाती है। कोई प्रतिष्ठापन शुल्क नहीं लिया जाता है।
- 150. दूरसंचार शुल्क पर दूसरे परामर्श पत्र में दूरसंचार प्राधिकरण ने अल्फान्यूमेरिक सेवा के लिए शुल्क की सीमा को संशोधित करते हुए 300 रूपये प्रतिमाह करने तथा न्यूमरिक सेवा के लिए इसे 175 रूपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव किया था। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने पेजिंग और बुनियादी सेवा प्रदाता (और सेल्यूलर सेवा प्रदाता) के बीच राजस्व के बँटवारे की शुरूआत करने का प्रस्ताव किया था। इसके तहत पेजिंग कंट्रोल टर्मिनल (पीसीटी) को की जाने वाली प्रत्येक काल के लिए, 20 पैसे रेडियो पेजिंग आपरेटर को देने का प्रस्ताव था। यह पी एस टी एन (या सेल्यूलर मोबाइल) द्वारा पीसीटी को की जाने वाली प्रत्येक काल पर 20 पैसे का अधिभार लगाकर प्राप्त करने का विचार किया गया था।

#### प्रतिक्रिया का सार

- 151. रेडियो पेजिंग सेवा के लिए प्रस्तावों पर जो प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं उनमें से ज्यादातर पेजिंग सेवा प्रदाता और दूर संचार विभाग सिहत बुनियादी सेवा प्रदाताओं की ओर से आई थीं। दूरसंचार विभाग का कहना था कि वर्त्तमान व्यवस्था में स्थानीय काल के मीटर को अलग नहीं किया जा सकता है इसलिए फिलहाल प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित राजस्व के बंटवारे के फार्मूले को लागू करना संभव नहीं है। दूरसंचार विभाग ने इस सम्बन्ध में दो विकल्प सुझाए हैं:
  - या तो राजस्व का बंटवारा न करने की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जाये या
  - पी सी टी को की जाने वाली प्रत्येक काल का शुल्क स्थानीय काल की दर से दो
    गुणा वसूल किया जाए और एक काल का पैसा रेडियो पेजिंग आपरेटर को दे दिया
    जाए।
- 152. दूसरा सुझाव रेडियो पेजिंग सेवा प्रदाताओं की ओर से आया है जो मौजूदा स्थानीय काल

शुल्क के राजस्व में हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहते हैं।

प्राधिकरण ने इन सभी प्रतिक्रियाओं पर गंभीरता से विचार किया और इस प्रकार का फैसला किया ।

## धरोहर राशि और पंजीकरण शुल्क

153. मौजूदा शुल्क जो कि लाइसेंस में स्पष्ट है वह धरोहर राशि और पंजीकरण शुल्क के लिए अधिकतम सोमा होगी।

#### किराया

154. मौजूदा मूल्य ढांचे के मुताबिक अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक सेवा के लिए मासिक किराया अलग—अलग होगा। अल्फा न्यूमेरिक सेवा के लिए उच्चतम दर 300 रूपये प्रति माह होगी, जबिक न्यूमेरिक सेवा के लिए मासिक किराया 175 रूपये होगा। यह ठीक वही है जो दूसरे विमर्श पत्र में प्रस्तावित था। उसमें इसके आधार का विस्तार उपलब्ध है।

#### राजस्य बंटवारा

- 155. फिलहाल के लिए मैजूदा गैर बंटवारे की व्यवस्था जारी रहेगी।
- 156. राजस्व साझीदारी की गैर मौजूदगी में प्राधिकरण ने लागत आधारित मासिक शुल्क की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह सीमा अल्फा—न्युमेरिक सेवा के लिए 325 रूपये और न्युमेरिक सेवा के लिए 195 रूपये है, वैसे तो फिलहाल राजस्व साझीदारी की गुजाइश नहीं है पर प्राधिकरण ने मासिक किराए के उन निम्न अनुमानों को कायम रखने का निर्णय किया है जो राजस्व साझीदारी की उम्मीद में निकाले गए थे। उसकी दो वजहें हैं।
  - अधिसूचित शुल्क मौजुदा कीमतों के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं और
  - (ii) प्राधिकरण जल्दी ही रेडियो पेजिंग उद्योग के लिए शुल्कों की समीक्षा होगा। (पैरा 158 देखें)

#### अन्य मामले

157. शुल्क से संबंधित अन्य सभी विषयों के मामलों में और इसमें पेजिंग सेवा के तहत पूरक सेवाएं, वैत्यू एडेड सेवाएं और बिलिंग साईकिल की अवधि शामिल है, फिलहाल स्थगन रहेगा, पर रिपोर्टिंग की शर्त होगी।

### पेजिंग शुल्क ढाँचे की समीक्षा

158. प्राधिकरण ने 21 दिसम्बर 1998 को शहरों में रेडियों पेजिंग उद्योग की व्यवहार्यता और आपरेटरों द्वारा चौथे वर्ष के आगे भुगतान की जाने वाली लाइसेंस फी के मुद्दे पर एक विस्तृत समीक्षा जारी की थी। इस अध्ययन के बारे में जनता से विचार विर्मश का सिलिसिला अंतिम चरण में है। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो प्राधिकरण इस आदेश में तय रेडियो पेजिंग सेवा शुल्क की समीक्षा करेगा और जरूरी हुआ तो इसमें फेरबदल करेगा।

# अनुसूची । ४ में वर्णित विषय : लीज्ड सर्किट

# द्वितीय परामर्श पत्र में प्रस्तावित शुल्क के आधार का सार

- 159. द्वितीय परामर्श पत्र में लीज्ड सर्किट के लिए प्रस्तावित शुल्क 64 के बी पी एस और 2 एम बी पी एस के लीज्ड सर्किटों के लिए लागत आधार पर अनुमानित किए गए थे, मुख्यतः 140 एम बी पी एस के उपकरण के संदर्भ में। पहले 50 किलोमीटर के लिए लागत का आकलन डामर मिट्टी में बिछाय गए केबल के लिए किया गया था और फिर उसके बाद नरम मिट्टी में। चूंकि नरम मिट्टी में केबल बिछाने की लागत डामर मिट्टी के मुकाबले कम है इसलिए 50 किलोमीटर हेतु शुल्क को कोई 25 अतिरिक्त किलोमीटर तक स्थिर रखा गया था। यानी यह वह दूरी हुई। जिसके लिए नरम मिट्टी में केबल बिछाने की लागत डामर मिट्टी में केबल बिछाने की लागत डामर मिट्टी के बाद नरम मिट्टी की लागत लीज्ड सर्किट के शुल्क का आधार बन गई।
- 160. कम दूरी के लिए लीज्ड का आवाह क्षेत्र 500 किलोमीटर होता है इस आधार पर 500 किलोमीटर से ज्यादा के लिए लागत का आकलन उच्च क्षमता वाले उपकरणों यानी एस टी एम फोर के साथ किया गया। ऐसे उपकरण का मतलब होता है इकाई लागत का 140 के बी पी एस उपकरणों के मुकाबले कम होना। उदाहरण के लिए, 1500 किलोमीटर के लिए भी (इतनी उच्च क्षमता वाले उपकरण के मददेनजर इकाई लागत में इतनी भारी कमी के मददेनजर 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए लीज्ड सर्किट के लिए लागत आधारित शुल्क 140 एम बी पी एस का इस्तेमाल करने वाले के मुकाबले कम होगा। यह 1500 किलोमीटर के लिए सही है। कतिपय टिप्णयों में इस दूरी को लीज्ड सर्किट के शुल्क के लिए शीर्ष के रुप मानने की सलाह दी गई थी। इस तरह, द्वितीय परामर्श पत्र में 500 किलोमीटर के लिए लागू होने वाले शुल्क का प्रस्ताव किया गया था और यह लीज्ड सर्किट के शुल्क के लिए 140 एम बी पी एस क्षमता को सर्वोच्च सीमा मानकर किया गया था।
- 161. लीज्ड सर्किट की लागत में लगातार हो रही कमी के मद्देनरज लीज्ड सर्किट के लिए सभी शुल्कों को अधिकत्म सीमा की तरह प्रस्तावित किया गया था।
- 162. 64 के बी पी एस और 2 एम बी पी एस लीज्ड सर्किट के लिए एन टाइम्स 64 के बी पी एस लीज्ड सर्किट्स के मूल्य निर्धारण की अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन की डी—8 अनुशंसा द्वारा सुझाए गए गुणांकों के साथ द्वितीय परामर्श पत्र में एन टाइम्स 64 के बी पी एस लीज्ड सर्किटों के लिए शुल्क की कतिपय अधिकत्म सीमा प्रस्तावित की गई थी। अन्य शुल्कों पर एक ही साथ विचार किया गया था और इस बास्केट के लिए शुल्कों में औसतन 50 प्रतिशत की कटौती की सिफारिश की गई थी। शुल्क की इन अधिकत्म सीमाओं के अलावा यह प्रस्ताव किया गया था कि एंड लिंक्स ग्ण लोकल लीड्स के लिए अतिरिक्त लागत वसूल की जाए, जो कि कुछ अन्य लागत तत्व हो सकते हैं जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि के इस्तेमाल के लिए भुगतान।

## मुख्य टिप्पणियों का सारांश

- 163. विचार विमर्श के दौरान, कितपय लागत वस्तुओं की वैधता के संबंध में कुछ सवाल उठे। एक मामले को छोड़कर, इन संदेहों को सवाल उठाने वालों से विस्तृत चर्चा के दौरान प्राधिकरण द्वारा स्पष्टीकरण के जिए जिक्र किया गया। इससे प्रदर्शित होता है कि दूसरे परामर्श पत्र में इस्तेमाल अनुमानों में इन पार्टियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को शामिल किया गया था। अपवादस्वरुप एक मामले को छोड़कर प्राधिकरण को अत्यधिक लागत अनुमान उपलब्ध कराए गए थे और आगे प्रारंभिक चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि जब इन उच्च लागतों के आधार के बारे में सवाल पूछे गए तो प्राधिकरण को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। प्राधिकरण को प्राप्त कुछ अन्य अनुरोधों से जाहिर होता है कि दूसरे परामर्श पत्र में इस्तेमाल लागत अनुमान मौजूदा रिथति व्यान करते हैं।
- 164. लीज्ड सर्किट के भावी प्रदाताओं द्वारा उल्लिखित अन्य अनेक महत्वपूर्ण बिन्दुओं में :
  - लीज्ड सिर्कट के लिए अपक्षाकृत कम शुल्क से लम्बी दूरी के संचार यातायात के लिए स्पष्ट रास्ता मिलेगा।
  - 50 किलोमीटर के बाद कोई 25 किलोमीटर की दूरी के लिए शुल्क स्थिर नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय, नरम मिट्टी में केबल बिछाने की लागत 50 किलोमीटर से अपने आप जोड़ी जाना चाहिए जिससे कि 50 किलोमीटर आगे शुल्क बढ़ता रहे और किसी दूरी पर नहीं बदला जाए।
  - जच्च लाभ, जैसे 40 फीसदी, इस्तेमाल में आ रही विभिन्न प्रद्योगिकी को पर्याप्त रुप से कवर करने के लिए दिया जाए और लीज्ड सर्किट उपलब्ध कराने वालों को प्रोत्साहन दिया जाए।
  - कित्रिपय एन.टाइम्स के बी पी एस क्षमताओं के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा
     दो एम बी पी एस से अधिक है, जिससे स्पष्ट है कि ग्राहक 64 के बी पी एस की बजाय दो एम बी पी एस की अधिक क्षमता लेगा।
  - जिन परिस्थितियों में लीज्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, वे ग्राहक के अधिक अनुकूल होनी चाहिए।
- 165. प्राधिकरण का विचार है कि सेवादात्ताओं के लीज्ड सर्किट के इस्तेमाल की निगरानी के तरीके तय करने चाहिए जिससे कि बाई पास न हो।
- 166. नरम भूमि की लागत से बंबिधत बिन्दु 50 किलोमीटर पर जोड़ा जा रहा है। यह इस आधार पर कि डोमर भूमि पर बिछाई गई केबल की लागत के किसी तत्व में वे लागत शामिल नहीं है। यह सही नहीं है, नरम मिट्टी के लिए भी नहीं, लागत सामग्री में डामर भूमि के निश्चित हिस्से में बिछाई गई केबल भी शामिल है, जिसमें इस सिलसिले में उठाई गई चिंताओं को भी सम्मिलित किया गया है। हालांकि, 500 किलोमीटर की दूरी

तक शुल्क वृद्धि की निरंतरता बरकरार रखने और लीज्ड सर्किट के प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अतिरिक्त लाभ हेतु नरम भूमि में 50 किलोमीटर से आगे बिछाई गई केबल की अतिरिक्त लागत भी शामिल है। यह पहले 50 किलोमीटर में बिटुमिन्स भूमि में बिछाई गई केबल की स्थिति के समतुल्य है और उसके बाद नरम मिट्टी में। इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नरम मिट्टी में केबल बिछाने के प्राधिकरण के लागत अनुमानों में बिटुमिन्स भूमि में केबल बिछाने का हिस्सा भी शामिल है। अतएव, पहले 50 किलोमीटर में डामर भूमि में केबल बिछाने की ऊँची लागत लेते हुए प्राधिकरण ने वास्तविक लागत खर्च से ज्यादा अनुमान शामिल किया, सिर्फ इसलिए कि जिस क्षेत्र में केबल बिछाई जाती है, आमतौर पर उसमें डामर भूमि 50 किलोमीटर से कम होती है। इस तरह प्रभावी रुप में लीज्ड सर्किट के प्रदाताओं का अतिरिक्त लाम इसमें शामिल है।

- 167. उपर लिखित बिंदुओं के साथ उच्च लाभ की मांग के बिंदु के सिलसिले में यह नोट किया जाना चाहिए कि लागत आधारित शुल्कों में विभिन्न तत्व शामिल हैं, जिनसे में शामिल 90 प्रतिशत के स्पष्ट लाभ से अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, वार्षिक आवृत्ति खर्च औसत से दो—तीन प्रतिशत ज्यादा लिया जाता है। कुल खर्च में 15 प्रतिशत की दर से ब्याज शामिल किया जाता है, जबिक वास्तविकता में ब्याज के लिए निर्धारित राशि आगे घट जाएगी और अनुसरण का खर्च लागत में शामिल माना जाता है। जबिक इन्हें बुनियादी सेवाकत्ताओं के लिए लोकल, लम्बी दूरी और अंतरराष्ट्रीय कालों के लिए गणना किए गए लागत आधारित शुल्कों में पहले ही शामिल कर लिया गया है।
- 168. इसके अलावा, लीज्ड सिर्कटों के कुल लागत आधार में बड़ा हिस्सा केबल लागत और इन केबलों को बिछाने का होता है। यह विशिष्ट रुप से पांच किलोमीटर से आगे की दूरी के लिए होता है और इन लागत तत्वों का कुल लागत में हिस्सा दूरी के साथ बढ़ता जाता हैं यद्यपि कुल लागत आधार में मूल्य हास भी लागू होता है, पर इन लागत तत्वों में से कुछ में (जैसे मजदूरी) यह मूल्य हास लागू नहीं होता। कुछ अन्य लागत वस्तुओं (जैसे केबल), जैसा कि द्वितीय परामर्श पत्र में कहा गया है, मूल्य हास की जो दर शामिल की गई है वह वास्तव में लागू दर से ज्यादा है। कुल मिलाकर, ये दोनों पहलू उच्च लाभ प्राप्ति प्रदर्शित करते हैं जो कि स्पष्ट रुप से मानेगए लाभ से ज्यादा है। इन बिंदुओं और स्थापित लीज्ड लाइनों की लगातार घटती लागत के मद्देनजर प्राधिकरण ने फैसला किया है कि लीज्ड सिर्कटों के लिए प्रस्तावित लागत आधारित शुल्कों में पर्याप्त लाभ प्राप्ति है। वस्तुतः, जैसाकि द्वितीय परामर्श पत्र में उल्लेख किया गया है, प्राधिकरता एक साल बाद लीज्ड सिर्कट के शुल्कों की फिर समीक्षा करेगा जिससे कि उस अविध में लागत में कमी शामिल की जा सके।
- 169. इसके अलावा, प्राधिकरण का मत है कि लीज्ड सर्किट के घटे हुए शुल्कों से उनकी जोरदार मांग बढ़ेगी, जिससे लीज्ड सर्किटों का राजस्व काफी बढ़ेगा और संबंधित

आर्थिक गतिविधियों को तेजी से प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी ही राय अनेक टिप्पणीकारों ने भी जोरदार ढंग से प्रस्तुत की है।

- 170. एन टाइम्स 64 के बी पी एस के लीज्ड सर्किटों के लिए, प्राधिकरण उनके शुल्कों में मोटे तारे पर विसंगति मानता है। यही रिथित दो एम बी पी एस सर्किटों के लिए है हालांकि प्राधिकरण का विचार है कि उपलब्ध क्षमता के अधिक उपयोग पर विचार करने के लिए दो एम बी पी एस या इससे अधिक की लीज क्षमता के ग्राहकों को प्रोत्साहित करना ज्यादा श्रेयस्कर है। इसके अलावा शुल्कों की अधिकतम सीमा है और एन टाइम्स 64 के बी पी एस क्षमताओं के लिए कम शुल्क उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- 171. वर्तमान आदेश लीज्ड सर्किटों के शुल्क मुद्दों की व्याख्या की दिशा में पहला कदम है। प्राधिकरण अब स्तिर से उन स्थितियों की व्याख्या करेगा जिनके तहत लीज्ड सर्किट उपलब्ध कराए जाते हैं और तय समय में इस मामले में अपना निर्णय देगा।

# 64 केबीपीएस और 2 एमबीपीएस के लीज्ड सर्किटों की अधिकतम शुल्क सीमा

- 172. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण ने दूसरे परामर्श पत्र के प्रस्तावों की तरह 64 के बी पी एस और दो एम बी पी एस लीज्ड सर्किटों के लिए वैसे ही अधिकतम शुल्क विनिदिष्ठ किए हैं। अधिकतम शुल्कों की यह सीमा अनुसूची 4 के रेडी रिकॉनर्स अनुलग्नक में उपलब्ध कराई गई है। जैसा कि ऊपर लिंक किया गया है, लीज्ड सर्किट के प्रदाता इन शुल्क सीमाओं को लोकल लीड्स के लिए और अन्य कोई अतिरिक्त लागत तत्व जैसे वे लीव चार्ज के रूप में लागत आधारित चार्ज में जोड़ सकते हैं।
- 173. रेडी रेकनर में शुल्क सीमा पांच किलोमीटर की दूरी के लिए उपलब्ध कराई जाती है। रेडी रेकनर में दर्शाई गई दूरियों के बीच की दूरी के लिए शुल्क पदो-राटा के आधार पर लिया जाएगा। इस हेतु रेडीरेकनर की दो दूरियों के लिए शुल्क प्रासंगिक दूरी के लिए होगा।
- 174. यह नोट किया जाना चाहिए कि लीज्ड सर्किटों की कतिपय अन्य क्षमताओं के लिए शुल्क सीमा 64. के बी पी एस और २ एम बी पी एस के लीज्ड सर्किटों की रेडी रेकनर शुल्क सीमा के रूप में दर्शाई गई है। अतएव, तैयार शुल्क सीमा रेडी रेकनर मूल्यों के रूप में ही लिहाज़ा, लीज्ड सर्किटों के प्रदाता शुल्कों की इन अधिकृतम सीमाओं में लोकल लीड्स के चार्ज और वे लीव चार्ज जैसे भुगतानों को शामिल कर सकते हैं
- 175. लीज्ड सिकटों के चाजों के विर्निदेशों के अनुरुप ही प्राधिकरण ने लोकल लीड शुल्क दर्शाए हैं कि लोकल लीडस के लिए चार्ज का पहला विकल्प उन्हें लीज पर उपलब्ध कराना होना चाहिए। अगर यह संभव न हो तो, शुल्क किराए के आधार पर और गारंटी शर्तों के रुप में या उन पार्टियों बीच आपसी सहमति के आधार पर हो सकता है जो लागत में एक हद तक योगदान करती हो और उसे वह पार्टी देगी जो सर्किट लीज पर ले रही हो।

# 64 केबीपीएस के नीचे की क्षमताओं के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा

176. प्राधिकरण ने इन लीज्ड सर्किटों के शुल्कों के मामले में विरत रहने का फैसला किया है।

# एन टाइम्स 64 एम बी पी एस की क्षमताओं के लिए शुल्क

177. प्राधिकरण ने इन क्षमताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की डी-8 सिफारिशों के गुणांकों के इस्तेमाल का फैसला किया है इन क्षमताओं की शुल्क सीमा 64 के बी पी एस लीज्ड सर्किटों की शुल्क सीमा के गुणांकों से गणना का निर्धारित की जाएंगी।

# 2 एम बी पी एस से ज्यादा की क्षमताओं के लिए शुल्क

178. 2 एम बी पी एस से अधिक की क्षमताओं के लीज्ड सर्किटों के लिए शुल्क की अधिकतम सीमाओं के लीज्ड सर्किटों के लिए शुल्क की अधिकतम सीमाओं के फैसले के लिए प्राधिकरण से विशेष अनुरोध किए गए। इस हेतु की गई गणनाओं से जाहिर हुआ कि एन टाइम्स 2 एम बी पी एस क्षमताओं के लिए शुल्क की अधिकतम सीमा २ एम बी पी एस की शुल्क सीमा से एक गुणा होना चाहिए। इसमें अपवाद यही है कि उप एम बी पी एस के लिए एन 16 और 140 एम बी पी एस के लिए 64 होना चाहिए। शुल्क की इन अधिकतम सीमाओं से यह तथ्य जाहिर होता है कि कुल लीज़्ड सर्किट लागत में उपकरणों की लागत का हिस्सा बहुत थोड़ा होता है, विशेषकर दस किलोमीटरसे ऊपर 1 ज्यादातर लागत केबल और इन केबलों को बिछाने के कारण होती है और एन टाइम्स 2 एम बी पी एस क्षमता की ये लागत 2 एम बी पी एस की संदर्भ लागत की लगभग एन गुणा होती है।

### लीज्ड सर्किट के अनिवार्य प्रावधान

179. प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट किया है कि लीज़्ड सर्किटों को अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने दिया ाना चाहिए, या जब ऐसी क्षमता उपलब्ध न हो तो किराए और गारटी के आधार पर इसकी अनुमति होनी चाहिए।

### किराया और गारंटी आधार

180. प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट किया है कि किराया और गारंटी की शर्त लागत पर आधारित होनी चाहिए। प्राधिकरण का बाद में किराये और गारांटी की शर्तों के अन्यं विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा का प्रस्ताव है।

# अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट शुल्कों का प्रचलित शुल्कों के संदर्भ में प्रयोग

181. किराया और गारंटी शर्तें इन शुल्कों के लागू होने की तारीख से लीज्ड सर्किटों पर ही लागू होंगे। हालांकि, अन्य प्रचलित शुल्कों के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क

लागू होने की तारीख उनका स्थान लेंगे। पो -राटा संशोधन ऐसे किसी भी अग्रिम भुगतान के लिए किए जाने चाहिए जो प्रचलित शुल्कों के आधार पर लीज्ड सर्किटों के लिए किया गया है।

## अस्थायी कनेक्शनों के लिए शुल्क

प्रस्तावना

182. अस्थायी कनेक्शनों के लिए, तीन महीने की अवधि के लिए प्रो-राटा आधार पर रेडी रेकनर शुल्कों के दुगने का विनिर्देश किया गया है। तीन महीने से अधिक के लिए लीज पर दिए गए सर्किटों के लिए वार्षिक रेडी रेकनर शुल्क अधिकतम शुल्क सीमा के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, लोकल लीड्स की लागत, अगर लागू है तो, और अन्य कोई किया जाने वाला प्रासंगिक अतिरिक्त खर्च कुल शुल्क का हिस्सा होगा।

शुल्क दर जब लीज्ड शुल्कदरों हेतु मिटिंग के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान की जाती है।

183. यह संभव है कि लीज़्ड सर्किटों के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध न हो सके, और लीज़्ड सर्किट मांग रही पार्टी रेंट और गारंटी आधार पर स्थापित कुल क्षमता नहीं चाहती हो। इसके बजाय, अतिरिक्त क्षमता जिसे स्थापित किया जा सके, के एक ही हिस्से की मांग हो और तब लीज़्ड सर्किट का प्रदाता को अतिरिक्त क्षमता के अपने इस्तेमाल का अनुमान लगाना होगा। ऐसी स्थिति में, प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट किया है कि शुल्कों का फैसला संबंधित पार्टियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिए किया जाए।

# अनुसूची V में वर्णित मदें : इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन)

- 184. व्यापार और व्यवसाय की दक्षता बढ़ाने में प्राधिकरण आई एस डी एन सेवाओं को अतिमहत्त्वपूर्ण निवेश के रूप में देखता है। इस उद्धेश्य को देखते हुए, दूसरे परामर्श पत्र में, आई एस डी एन सेवाओं के निमित्त, लागत आधारित टैरिफ सीमाओं का प्रस्ताव प्राधिकरण ने किया था। टैरिफ की ये अधिकतम सीमाएं, याने सीमा टैरिफ उपलब्ध सूचना के आधार पर निकाली गई थीं; जहां लागतों से संबंधित सूचना नहीं मिली थी वहां दूरसंचार विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभारित दरों को ही सीमा टैरिफों की तरह प्रस्तावित किया गया है।
- 185. आईएसडीएन दो प्रकार के इन्टरफेस में उपलब्ध है जिसे बेसिक रेट एक्सेस (बीआरए) और प्राइमरी रेट एक्सेस (पीआरए) कहा गया है। बी.आर.ए. और पी. आर.ए. के बीच अन्तर 'बी' चैनलों की संख्या के संबंध में है जिसका प्रत्येक

समर्थन कर सकता है। बीआरए फोन लाइन को तीन डिजिटल चैनलों में विभाजित करता है: 2 बी चैनल और 1 डी चैनल 1 भारत में पी आर ए 30 बी ए डी में के रूप में है। इनमें से प्रत्येक चैनल का उपयोग साथ-साथ किया जा सकता है इसलिए अनेक संचार कार्यों को एक ही समय में निष्पादित किया जा सकता है।

186. आईएसडीएन अपेक्षाकृत एक नई सेवा है, जिसे पहली बार 1996 में शुरू किया गया था। इस समय उपयोग बहुत कम है। चूंकि सेवा अपेक्षाकृत नई है, और बाजार का विकास हो रहा है, इस विषय पर एक बार विस्तृत परामर्श प्रक्रिया पूरी हो जाने पर टैरिफ की समीक्षा की जाएगी।

#### टैरिफ प्रस्ताव

वूसरे परामर्श पत्र में, टैरिफ प्रस्ताव, जहाँ संभव हुआ, लागत पर आधारित थे। इस प्रकार निकाली गई कीमतों का अधिकतम सीमा के रूप में प्रस्ताव किया गया। डीओटी की विद्यमान कीमत पद्धित के विचलन के रूप में प्राधिकरण ने प्रस्ताव किया था कि आईएसडीएन सेवाओं के उपयोग के लिए न्यूनतम प्रभार नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित अन्य महत्त्वपूर्ण विचलन आई एस डी एन माध्यम का उपयोग किया जाने पर 1.50 रूपए प्रति पत्स दर में वृद्धि का था जबिक बेसिक सेवाओं के लिए 1.0 रूपए प्रति पत्स था। इसका इस आधार पर प्रस्ताव किया गया था कि आई एस डी एन सुविधा का महत्त्वपूर्ण उपयोग इंटरनेट सेवाओं के लिए होगा तथा इसलिए उपयोगकर्ता से आई एस डी एन का उपयोग करने के फलस्वरूप बढ़ी हुई गित और कोटि के लिए प्रीमियम चार्ज किया जाना चाहिए।

### टैरिफ प्रस्तावों के संबंध में प्रतिक्रिया

188. द्वितीय परामर्श पत्र में परिभाषित आईएसडीएन के लिए प्रस्तावों के संबंध में केवल डी ओ टी ने उत्तर दिया। डीओटी सभी प्रस्तावों से सहमत हो गया।

#### प्रारम्भिक जमा और रजिस्ट्रेशन जमा

189. प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि सभी जमाओं का योग (आईएसडीएन उपस्कर के लिए प्रतिभूति जमा को छोड़कर) एक वर्ष के किराए से अधिक नहीं होगा। रिजस्ट्रेशन जमा को, जमाओं पर न्यूनतम सीमा के साथ तुलना करने के प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक जमा में मिला दिया जाएगा।

#### संस्थापना और परीक्षरेग प्रभार

190. यह केवल एक बार का प्रभार होगा और प्राधिकरण ने द्वितीय परामर्श पत्र में दी गई अधिकतम कीमत सीमा को बनाए रखने का निर्णय किया है।

# आईएसडीएन उपकरण के लिए मासिक किराया

191. ये दरें तभी लागू होंगी जब उपकरण किसी सेवा प्रदाता से किराए पर लिया जाए। ये तब लागू नहीं होंगी यदि उपभोक्ता उपकरण किसी वैकल्पिक स्रोत से प्राप्त करता है।

## एक्सेस के लिए मासिक किराया

192. प्राधिकरण ने द्वितीय परामर्श पत्र में दी गई अधिकतम कीमत सीमा को बनाए रखते का निर्णय किया है। पीआरए सेवा के लिए किराया दूरी से जुंड़ा है जबकि बीआरए के लिए मासिक किराया दूरी से मुक्त है।

#### उपयोग प्रभार

- 193. रेडियोपेजिंग टैरिफ प्रस्तावों के अपने प्रत्युत्तर में डीओटी ने बताया कि पीएसटीएन से पीसीटी को कालों के लिए अधिक प्रभार को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इस समय स्थानीय कालों के लिए मीटरिंग को अलग करना संभव नहीं है। यद्यपि आईएसडीएन मिडिया का उपयोग करने के लिए प्रस्तावित अधिक दर के संबंध में कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी, तथापि प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि फिलहाल प्रत्येक 'बी' चैनल के उपयोग के लिए दा की अधिकतम सीमा वही होगी जा पीएसटीएन के लिए लागू है। पीएसटीएन टैरिफ में किसी परिवर्तन का अर्थ प्रत्येक 'बी' चैनल के लिए लागू दर की अधिकतम सीमा में तदनुरूपी परिवर्तन होगा।
- 194. इसके अतिरिक्त, यह निर्णय किया गया है कि जैसा कि परामर्श पत्र में प्रस्तावित है, बीआरए सेवा के लिए अथवा पीआरए सेवा के लिए कोई न्यूनतम उपयोग प्रभार नहीं होगा।

# पूरक सेवाओं के लिए किराया

195. आईएसडीएन सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि इन सेवाओं के लिए कोई प्रभार नहीं होगा, जैसा कि इस समय है।

# अस्थायी कनेक्शन के लिए किराया और किराए की न्यूनतम अवधि

196. प्राधिकरण के निर्णय किया है कि किराए की न्यूनतम अवधि बीआरए और पीआरए के लिए तक महीना होगी और आस्थायी कनेक्शन का किराया किसी सेवा विशेष के लिए नियमित कनेक्शन से दुगना होगा।

# व्यवस्थापूर्व वापसी

197. प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि इस मामले में हुआ वास्तविकः खर्च प्रभारित किया जाएगा।

## बेसिक सेवा प्रदाता से किराए पर लिए गए उपकरण के लिए

## प्रतिभूति जमा

198. प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि उपकरण के लिए प्रतिभूतिजमा उनकी विद्यमान बाजार कीमत से अधिक नहीं होगा।

#### अन्य मामले

199. आईएसडीएन सेवाओं के लिए टैरिफ से संगत सभी मामलों के सबंध में, वर्तमान में, कोई हस्तक्षेप ने किया जाए।

## VI अनुसूची VI में वर्णित मदें : इन्टरनेट

#### प्रस्तावना

- 200. द्वितीय परामर्श पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि इन्टरनेट टैरि फ से इन्टरनेट सेवाओं की सप्लाई, उपयोग और विस्तार को बढ़ावा मिलना ह गहिए और इन सेवाओं में न्यूनता को प्रोत्साहन मिले। भारत में इन्टरनेट क्षेत्र क में सम्भवतः अनेक इन्टरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) होंगे, जिनमें बड़े और छोटे दोनों प्रकार के निजी क्षेत्रक आईएसपी होंगे। बड़े आई एस पी जिनके पास अपने नेटवर्क या इन्टरनेट बैकबोन है उन्हें प्रमुख प्रदाता कहा गया है।
- 201. इन्टरनेट तीज्ड़ सर्किटों (पोर्ट प्रभार) के लिए, द्वितीय परामर्श पत्र में लागत आह गरित टैरिफों का प्रस्ताव किया गया था। (ऐसा निजी क्षेत्रक आईएसपी की क्षमता में सुधार करने और प्रतियोगिता बढाने के उद्देश्य से किया गया था।)
- 202. इन्टरनेट टीसीपी। आईपी डायल-अप संबंधी टैरिफ के लिए प्राधिकरण ने दो विकल्पों का प्रस्ताव किया गया था।
  - किसी आई एस पी पर, डी ओ टी और वी एस एन एल सहित, कोई कीमत प्रतिबंध नहीं।

 सभी प्रमुख आपरेटरों के लिए, डीओटी और वीएसएनएल सिंहत निर्धारित टैिए ।

## टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं

- 203. इन्टरनेट के लिए प्रस्तावों पर की गई टिप्पणियों में से अधिकांश वर्तमान और भावी निजी क्षेत्रक आई एस पी से थी। तदनुसार, टिप्पणियां, निजी क्षेत्रक आईएसपी के लिए निविष्टियों की कोटि और कीमत से संबंधित थी।
- 204. टिप्पणियों के संक्षेप में निम्न प्रकार कहा जा सकता हैं।
  - वैकल्पिक मिडिया, अर्थात वीएसएटी को भी प्रतियोगी कीमतों पर उपलब्धा करा दिया जाए।
  - यद्यपि प्रभारों को घटा दिया गया है, फिर भी ये अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में अधिक हैं।
  - मालिक को उपलब्धता तथा अपटाइम तथा साथ ही 'एण्ड दू एण्ड बेण्डविड्थ' की दृष्टि से सेवा की गुणवत्ता की गारंटी देनी चाहिए।
  - रेडियो पेजिंग और सेलूलर मोबाइल के मामले की तरह इन्टरनेट एक्सेस के लिए एक अलग नम्बर देने की योजना होनी चाहिए।
  - इन्टरनेट के लिए पीएसटीएन लाइनें मांग पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
  - पसन्दीदा एक्सचेंज के साथ आई एस डी एन, ई आई और उच्च क्षमता लाइनों के माध्यम से पीएसटीएन कनेक्टिविटी होनी चाहिए।
  - 205. लीज्ड़ सर्किटों के अपटाइम और उपलब्धता पर प्राधिकरण द्वारा सेवा की गुणवत्ता के अन्तर्गत अलग से ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रकार इन्टरनेट के लिए विनिर्दिष्ट नम्बरिंग योजना के संबंध में सिफारिश की प्राधिकरण द्वारा अलग से जाँच की जा रही है।
  - 206. वीएसएटी जैसे वैकल्पिक मिडिया की कीमत में कटौती के संबंध में प्राधिकरण ने वीएसएटी टैरिफ के संबंध में धीरज रखने का निर्णय किया है (और अधिक ब्योरों के लिए वीएसटी हेतु व्याख्यात्मक ज्ञापन देखें)। तदनुसार, ये कीमतें बाजार द्वार निर्धारित होंगी। आईएसपी के लिए विशेष रियायतें, जो वीएसएटी का उपयोग करते हैं, वीएसएटी टैरिफ के संबंध में धीरज रखने के प्राधिकरण के निर्णय की रूपरेखा के अन्तर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

- 207. पीएसटीएन की मांग पर उपलब्धता और आईएसपी के लिए उच्च क्षमता लाइनों के माध्यम से कनेक्टिविटी ऐसे मुद्दे हैं जो टैरिफ निर्धारण के कार्यक्षेत्र से बाह्य हैं। प्राधिकरण का मत है कि ऐसे मुददों का निपटान इस आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफों के ढाँचे के अन्दर शामिल पक्षों के बीच किया जाना चाहिए।
- 208. जहाँ तक निविष्टि कीमतों के अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों से अधिक होने का संबंध है, प्राधिकरण का विश्वास है कि इस आदेश के फलस्वरूप काफी कटौती हुई है और इस मुद्दे पर, लीज्ड सर्किटों (पोर्ट प्रभार) के संबंध में इस आदेश की अगली समीक्षा में, जा लगभग एक वर्ष में हो सकती है, विचार किया जाएगा।

# इन्टरननेट लीज़्ड सर्किटों (पोर्ट प्रभार) से इतर सभी इन्टरनेट सेवाओं के लिए टैरिफ

- 209. प्राधिकरण ने इन टैरिफों के संबंध में धीरज रखने का निर्णय किया है, रिपोर्टिंग आवश्यकता की शर्त पर। यह निर्णय इस धारणा पर आधारित है कि ये सेवाएं प्रदान करने में पहले ही प्रतियोगी विद्यमान है और ऐसी प्रतियोगिता के भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है। इस संबंध में संकेत बाजार में पहले ही स्पष्ट है।
- 210. यद्यपि आदेश में, इस तरह की इस समय उपलब्ध रियायती स्कीमों का उल्लेख नहीं है, तथापि प्राधिकरण आईएसपी को, शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों और मिडियम को रियायती स्कीमें प्रस्ताव करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

# इन्टरनेट लीज़्ड सर्किटों के लिए प्रभार (पोर्ट प्रभार)

- 211. इन्टरनेट सेवाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए तथा उपरोक्त चर्चा के आधार पर प्राधिकरण के उन्हीं कीमतों को बनाए रखने की निर्णय किया है जो द्वितीय चर्चा पत्र में निम्नतम लागत के आधार पर प्रस्तावित थी (पत्र का पृष्ठ 29 देखें)। ये कीमतें अधिकतम सीमा के रूप में होंगी।
- 212. इन्टरनेट टैरिफ से संगत सभी अन्य मामलों के संबंध में प्राधिकरण ने धीरज रखने का निर्णय किया है।

# VII अनुसूची VII में वर्णित मदः मूल्य वर्धित सेवाएं

#### प्रस्तायना

213. डीओटी ने 'मूल्य वर्धित सेवाओं' को 'बढी हुई सेवाएं, जिनसे विद्यमान बुनियादी टेली—सेवाओं और बिअरर सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है के' के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय दूर—संचार यूनियन (आईटीयू) की मूल्य वर्धित सेवाओं की परिभाषा के अनुरूप है।

## भारत में इन सेवाओं में, अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- i) इलेक्ट्रानिक मेल
- ii) वायस मेल
- iii) क्लोज़्ड यूजर्स ग्रुप डोमोस्टिक 64 के बी पी एस डाटा नेटवर्क वाया इन्सेट सेटेलाइट सिस्टम
- iv) विडिओटेक्स सर्विस और
- v) विडिओ कान्फरेन्सिंग

#### टैरिफ प्रस्ताव

214. द्वितीय परामर्श पत्र में, प्राधिकरण में, सामान्य रिपोर्टिंग आवश्यकता की शर्त पर इन सेवाओं के संबंध में टैरिफ के संबंध में धीरज रखने का निर्णय किया था। यह 'मूल्य वर्धित सेवाओं' की 'अपनी प्रकृति' और साथ ही इस तथ्य पर आधारित था कि इन सेवाओं की आपूर्ति में काफी प्रतियोगिता होने की सम्भावना थी।

# मुख्य टिप्पणियों का सारांश

- 215 अधिकांश मूलय वर्धित प्रदाताओं ने टैरिफ प्रस्तावों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की। प्राधिकरण इसे 'मूल्य वर्धित सेवाओं' की प्रस्तावित पद्धति के लिए समर्थन के रूप में समझता है।
- 216. तथिप, वीएसएटी सेवा प्रदाताओं और कुछेक मोबाइल ट्रंक्ड रेडियो आपरेटर्स एसोसिएशन (एमटीआरओए) द्वारा विस्तृत टिप्पणियां की गई थी। चर्चा के दौरान वीएसएटी सेवा प्रदाताओं ने कहा कि उनके व्यवसाय के विकास और क्षमता को प्रभावित करने वाली अनेक बाधाएं हैं। वीएसएटी सेवा प्रदाताओं द्वारा उल्लिखित अनेक मुद्दों में, अन्य बातों के साथ—साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - लीज़्ड सिर्कटों के लिए अपेक्षाकृत कम टैरिफों से उद्योग की क्षमता प्रभावित होगी।
  - उच्च ट्रान्सपोण्डर प्रभारों और 64 के बीपीएस वीएसए टी संयोजनों के लिए अतिरिक्त लाइसेंस फीस का भी क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

- ट्रान्सपोण्डरों की अनुलब्धता और विस्तारित सी बैण्ड के अलावा फ्री क्वेन्सी बैण्डों में स्पेक्ष सेगमेंट इस्सपोण्डों की व्यवस्था न होने से उद्योग प्रभावित होता है।
- पीएसटीएन कनेक्टिविटी, जिसकी अब अनुमित नहीं है, अनुमित दी जाए।
- 217. अन्तिम मुद्दा एमटीआरओए द्वारा भी उठाया गया था। इसके अतिरिक्त, एमटीआरओए ने यह भी सिफारिश की कि क्लोड़ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) सुविधा प्रदान करने वाले सीएमटीएस आपरेटरों पर एक फ्लोर कीमत आरोपित की जानी चाहिए। यह मुद्दा इस आधार पर उठाया गया कि सीएमटीएस आपरेटर सीयूजी सेवा के परस्पर सब्सिडी प्रदर कर रहे हैं और इस प्रकार ये कीमतें प्रकृति से प्रतादक हैं। डब्ल्यूपीसी को देय उच्च लाइसेंस फीस और 45 दिन रिपोर्टिंग आवश्यकता की प्रतिबंधात्मक प्रकृति संबंधी अतिरिक्त मुद्दों को भी उल्लेख किया गया।
- 218. प्राधिकरण का मत है कि हुई लीज़्ड सर्किट टैरिफों से उनकी मांग में बहुत अधि क वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप सम्बद्ध आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा मत अनेक टिप्पणी कारों द्वारा भी व्यक्त किए गए जिनमें अनेक अनेक मूल्य वर्णित सेवा प्रदाता सम्मिलित हैं। इस बात को देखते हुए, प्राधिकरण इस धारणा का समर्थन करता है कि वीएसएटी प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए लीज़्ड सर्किट टैरिफ को बढ़ाया जाना चाहिए। इसी प्रकरण प्राधिकरण सेलुलर आपरेटरों द्वारा प्रदत्त सीयूजी सेवा के वास्ते फ्लोर कीमत आरोपित करने से सहमत नहीं है।
- 219. उठाए गए अनेक मुद्दों का, यथा पीएसटीएन कनेक्टिविटी की कमी और उस सेवा विशेष के लिए उच्च डब्ल्यु पीसीप्रभार लाइसेंस शर्तों से संबंधित है और इसलिए फिलहाल प्राधिकरण द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता। वीएसएटी सेवा प्रदाताओं पर बहुत अधिक ट्रान्सपोण्डर प्रभारों के मुद्दे पर, प्राधिकरण समीक्षा करने हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को सिफारिश करने के लिए सहमत हो गया है।

मूल्यविर्धित सेवाओं तथा अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं, जैसे कि इंटेलिजेंट नेटवर्क (आईएन), सेवाओं के लिए टैरिफ

220. प्राधिकरण ने रिपोर्टिंग आवश्यकता की शर्त पर धीरज रखने का निर्णय लिया है।

# VIII. अनुसूची VIII में वर्णित मुद्दे : VIII. टेलेक्स और टेलीग्राफ सेवाएँ टेलेक्स और टेलीग्राफ सेवाओं के लिए शुल्क

221. द्वितीय परामर्श पत्र में टेलेक्स और टेलीग्राफ सेवाओं के लिए शुल्क दरों का उल्लेख नहीं है। इसका मुख्य कारण इन सेवाओं के विषय में पर्याप्त जानकारी की कमी ही था। इसकी वजह से इन सेवाओं के लिए शुल्क दरों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका।

ऐसी सेवाएँ जिनके विषय में अतिरिक्त जानकारी की कमी की वजह से विनियमन प्रकार का पता न लगाया जा सके, उन्हें प्राधिकरण स्थगन श्रेणी में मान लेता है। इसलिए, टेलेक्स और टेलीग्राफ सेवाओं के विषय में प्राधिकरण वे शुल्क और शुल्क सम्बन्धित मामलों के लिए स्थगन नीति लागू की है।

# IX. अनुसूची IX में वर्णित मुद्दे : IX. उपग्रह द्वारा अंतराष्ट्रीय मोबाइल पर्सनल संचार (जीएमपीसी एस)

### शुल्क

- 222. जी एम पी सी एस के लिए शुल्क दरों पर द्वितीय परामर्श पत्र में जानकारी नहीं है। इस द्वितीय परामर्श पत्र के प्रकाशन के बाद इरीडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड (आई आई टी एल), जो कि भारत में जी एम पी सी एस सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है ने ट्राई से संपर्क कर जी एम पी सी एस व्यापारिक सेवाओं के लिए अन्तरिम शुल्क दरें तय करने की मांग की।
- 223. प्राधिकरण फिलहाल जी एम पी सी एस लाइसेंस के नियमों और शर्तों को देख रहा है।
- 224. प्राधिकरण ने पाया कि जी एम पी सी एस सेवाएँ अभी अपने विकास की प्रारंभिक रिथित में हैं और वर्तमान में इन सेवाओं का उपयोग केवल कुछ उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं तक ही सीमित रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने इस रिथित में लचीली कीमत निर्धारण नीति के महत्य को पहचाना और अभी जी एम पी सी एस पर स्थगन नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए सूचना देने की सामान्य अनिवार्यता भी लागू है।

#### TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 1999

No. 301-4/99-TRAI. (Econ.).—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to notify, by an Order in the Official Gazette, tariffs at which Telecommunication Services within India and outside India shall be provided, the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order:

#### THE TELECOMMUNICATION TARIFF ORDER 1999

# Section I Title, Extent and Commencement

- 1. Short title, extent and commencement.
  - (i) This Order shall be called "The Telecommunication Tariff Order 1999."
  - (ii) The Order shall cover tariffs for all Telecommunication Services throughout the territory of India as also those originating in India and terminating outside India
  - (iii) The Order shall come into force on the date of its notification in the Official Gazette.

#### <u>Section II</u> Definitions

- 2. In this Order, unless the context otherwise requires:
- a) "Act" means the Telecom Regulatory Authority Act of India, 1997.
- b) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India.
- c) "Basic Telecommunication Services" mean services derived from Public Switched Telephone Network (PSTN).
- d) "Ceiling(s)" mean(s) the upper limit(s) for tariff for telecommunication services as specified by the Authority from time to time.

- e) "Domestic Long Distance Telecommunication Service" means the telecommunication services required to connect one local area of a public telecommunication network to another within the territorial limits of India so as to allow for transmission of voice and non-voice signals across different geographical areas.
- f) "Floor" means the lower limit of a tariff for a telecommunication service as specified by the Authority from time to time below which such tariffs may not be offered.
- g) "Forbearance" denotes that the Authority has not, for the time being, notified any tariff for a particular telecommunication service and the service provider is free to fix any tariff for such service.
- h) "International Long Distance Telecommunication Service" means telecommunication services required to connect a local area of a public telecommunication network within India to a local area of a public telecommunication network in another country so as to allow for the transmission of voice and non-voice signals.
- i) "International Subscriber Dialing" means direct interconnection between an end user in India with another end user in another country by means of direct dialing through public networks.
- j) "Leased Circuits" mean telecommunication facilities leased to subscribers or service providers to provide for technology transparent transmission capacity between network termination points which the user can control as part of the leased circuit provision and which may also include systems allowing flexible use of leased circuit bandwidth.
- k) "Non-discrimination" means that service providers shall not, in the matter of application of tariffs, discriminate between subscribers of the same class and such classification of subscribers shall not be arbitrary.
- 1) "Reporting Requirement" means the obligation of a service provider to report to the Authority at least <u>five</u> working days before implementing any new tariff for telecommunication services under this Order and any changes thereafter.
- m) "Special Services" mean those support and other ancillary services like phonogram, directory enquiry, manual trunk service, assistance, emergency services such as police, fire and ambulance provided by service providers through special interfaces located at the edge of the PSTN.
- n) "Standard package" means a package of tariffs which *inter-alia* comprises rental, call charges, free calls, deposits and other charges as may be determined by the Authority for specific telecommunication services from time to time.

- o) "Subscriber" means an end user of telecommunication services.
- p) "Subscriber Trunk Dialing" means direct interconnection between two end users within India by means of direct dialing through public networks.
- q) "Supplementary Services" mean services which are provided specific to a subscriber's directory number and controlled either by the subscriber or by the service provider such as automatic alarm call service, call waiting, call diversion on busy or no reply, and any other such service.
- r) "Tariff(s)" mean(s) rates and related conditions at which telecommunication services within India and outside India may be provided including rates and related conditions at which messages shall be transmitted to any country outside India, deposits, installation fees, rentals, free calls, usage charges and any other related fees or service charge.
- s) Words and expressions used in this Order and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act

# Section III Tariffs for Telecommunication Services

#### 3. Tariffs

Tariffs for various telecommunication services and their dates of implementation shall be as set out in Schedules I to IX.

#### 4. Forbearance

Where the Authority has, for the time being, forborne from fixing tariff for any telecommunication service or part thereof, a service provider shall be at liberty to fix any tariff for such telecommunication services;

Provided that the service provider shall comply with the reporting requirements in respect of such tariff

### 5. Deposits

Unless otherwise provided for, no service provider shall seek or obtain from any subscriber in any form any amount as deposit for any telecommunication service in excess of one year's rental chargeable from the subscriber for the particular telecommunication service as specified in the relevant standard package.

#### 6. Flexibility and Packages

- (i) The service provider shall offer the standard package(s) to all subscribers.
- (ii) Where a tariff has been specified as a ceiling, no tariff shall be fixed in excess of such ceiling.
- (iii) Where a tariff has been specified as a floor, no tariff shall be fixed below such floor.
- (iv) In all other cases, a service provider may, in addition to the standard package, offer alternative combinations of tariff to different classes of subscribers in a non-discriminatory manner.

## 7. Reporting Requirement

- (i) All service providers shall comply with the Reporting Requirement in respect of tariffs specified for the first time under this Order and also all subsequent changes.
- (ii) No service provider shall alter any tariff of any telecommunication service or any part thereof without complying with the Reporting Requirement.
- (iii) Unless the Authority intervenes within the mandatory notice period of <u>five</u> working days, the service provider may implement the proposed tariff.

#### 8. Review of Tariffs

- (i) The Authority may, from time to time, review and modify a tariff for any telecommunication service or a part thereof.
- (ii) The Authority may also at any time, on reference from any affected party, and for good and sufficient reasons, review and modify any tariff.

Ţ

4

14. 1.9:

# Section IV Transparency and Consumer Protection

#### 9. Publication of Tariffs

- (i) Tariffs to be charged by service providers from subscribers for telecommunication services along with the conditions thereof shall be published in such manner as the Authority may from time to time direct.
- (ii) Information of tariff packages that a service provider may choose to offer to subscribers shall be accompanied by a comparison of the financial implications to subscribers under each package vis-à-vis the specified standard package(s).

#### 10. Non-discrimination

No service provider shall, in any manner, discriminate between subscribers of the same class and such classification of subscribers shall not be arbitrary.

#### 11. Terms and Conditions of Service

Service providers shall clearly indicate the terms and conditions of the provision of telecommunication services to subscribers which shall not in any manner be inconsistent, with the provisions of this Order. Such terms and conditions shall inter-alia include the following:

- (a) Terms and conditions under which such services may be obtained, utilised and terminated,
- (b) Terms and conditions relating to the use of service, billing, repair, fault rectification and the like;
- (c) choice of tariff packages available to a subscriber and the procedure available for revising the choice along with the conditions thereof.

#### **Section V**

# 12. Explanatory Memorandum

This Order contains at Annex A, an explanatory memorandum to provide clarity and transparency to the tariffs specified in this Order.

#### Section VI Residuary Clauses

#### 13. Over-riding Effect

In respect of matters covered by this Order the provisions thereof shall have overriding effect over Rules framed under the Indian Telegraph Act, 1885, as also the terms and conditions of the licence of a service provider and any tariffs or conditions as may have been set by the service providers for provision of telecommunication services to subscribers.

### 14. Interpretation

In case of dispute regarding interpretation of any of the provisions of this Order, the decision of the Authority shall be final and binding.

By Order, HARSHA VARDHANA SINGH, Economic Adviser [No. Advt.-3/4/Exty/142/99]

## SCHEDULE I BASIC SERVICES (OTHER THAN ISDN)

ITEM	TARIFF
(1) Date of Implementation	01 April, 1999
(2) Registration Charges	Prevailing charges as on the date of this Order as ceilings
(3) Installation Charges	
(3.a) Fixed line telephony service using other than wireless in local loop technology	Prevailing charges as on the date of this Order as ceilings
(3.b) Fixed line telephony service using wireless in local loop technology	Forbearance
(4) Deposits	
(4.a) Fixed line telephony service using other than wireless in local loop technology	Not to exceed twelve months' rentals as specified from time to time
(4.b) Fixed line	Forbearance
telephony service using wireless in	Provided that,
local loop technology	The maximum period for deposit higher than at (a) above (i.e. higher than for fixed line telephony other than using wireless in local loop) is one year. At the end of one year of obtaining a wireless in local loop connection, unless the subscriber specifically demands the continuation of that connection on wireless in local loop, the additional deposit involved shall be refunded to the subscriber or interest paid on such additional deposit at the annual rate of interest for one year deposits prescribed by the State Bank of India.

(5) Monthly Rentals For Rural Subscribers				
(5.a) Rural Low User Subscribers	Exchange System Capacity	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002
	(Number of Lines)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
	Up to 999 1,000 to 29,999 30,000 to 99,999	70 120 180	70 120 180	70 120 180
	1 lakh and above	250	250	250
(5.b) Rural General User Subscribers	Exchange System Capacity	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002
	(Number of Lines)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
	Up to 999 1,000 to 29,999 30,000 to 99,999 1 lakh and above	70 120 180 250	95 140 200 280	120 160 220 310
(5.c) Rural Commercial User Subscribers	Exchange System Capacity	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002
	(Number of Lines)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
	Up to 999 1,000 to 29,999 30,000 to 99,999 1 lakh and above	120 160 220 310	120 160 220 310	120 160 220 310
	Notes: (1) Rural subscriber	rs are those who re the definition of t	eside in rural area	•

- (2) Low user subscribers are those making not more than 500 metered calls per month of a billing cycle.
- (3) General user subscribers are those other than low user subscribers or commercial user subscribers.
- (4) The procedures for migration of subscribers from one category to another (i.e. low user subscribers to general user subscribers, and viceversa) on the basis of the extent of usage will be notified before 30 September, 1999, as this issue becomes relevant only with effect from 1 April, 2000.
- (5) The rules for classifying subscribers as commercial user subscribers will be laid down by the Authority after due consultation. In the interim, commercial user subscribers are those who opt for the rental category specified for "Commercial user subscribers". The classification as commercial user subscriber shall be effective from the commencement of the next billing cycle after the date of option.
- (6) Exchange system capacity is the sum of the capacities of all exchanges in a local area, except that for rural subscribers the relevant exchange system capacity to be reckoned for this purpose is the one as existed prior to 15<sup>th</sup> August 1998, i.e. before the local call area became coterminus with the short distance charging area (SDCA) for purpose of local calls. Any augmentation of the exchange capacity after the date of implementation of this Order shall automatically be taken into account for re-classification for purposes of tariffs.
- (7) Short Distance Charging Area (SDCA) is the area which, with few exceptions, coincide with revenue tehsil/taluk.

(6) Monthly Rentals For Urban Subscribers			·	
(6.a) Urban Low User Subscribers	Exchange System Capacity	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002
	(Number of Lines)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
	Up to 29,999	120	120	120
	30,000 to 99,999 1 lakh and above	1 <b>8</b> 0 250	180 250	180 250
(6.b) Urban General User Subscribers	Exchange System Capacity	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002
	(Number of Lines)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
	Up to 29,999	120	140	160
,	30,000 to 99,999 1 lakh and above	180 250	200 280	220 310
(6.c) Urban Commercial User Subscribers	Exchange System Capacity	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002
	(Number of Lines)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
	Up to 29,999 30,000 to 99,999 1 lakh and above	160 220 310	160 220 310	160 220 310
	purpose of the	ribers are those whis schedule, the deline the	efinition of urbai	n area shall be the
	` '	bscribers are those	•	re than 500 metered

	(3) General user subscribers are those other than low user subscribers or commercial user subscribers.		
·	<ul> <li>(4) The procedures for migration of subscribers from one category to another (i.e. low user subscribers to general user subscribers, and vice-versa) on the basis of the extent of usage will be notified before 30 September, 1999, as this issue becomes relevant only with effect from 1 April, 2000.</li> <li>(5) The rules for classifying subscribers as commercial user subscribers will be laid down by the Authority after due consultation. In the interim commercial user subscribers are those who opt for the rental category prescribed for "Commercial user subscribers". The classification as commercial user subscriber shall be effective from the commencement of the next billing cycle after the date of option.</li> </ul>		
	(6) Exchange system capacity is the sum of the capacities of all exchanges in a local area.		
(7) Tariff per metered call for rural subscribers	First 500 metered calls per Metered calls in excess o month of the billing cycle (except for free calls)  Metered calls in excess o the first 500 metered call per month of the billing of		
	(Rs.)	(Rs.)	
	0.80	1.20	
(8) Free calls (or uncharged calls) for rural subscribers	75 metered calls per month of a billing cycle		
(9) Tariff per metered call for urban subscribers	First 500 metered calls per month of the billing cycle (except for free calls)	Metered calls in excess of the first 500 metered calls per month of the billing cycle	
	(Rs.)	(Rs.)	
	1.00	1.20	

			·····	
(10) Free calls (or	60 metered calls per	month of a billing	cycle	
uncharged calls)				
for urban subscribers				
30030110013				
(11) Pulse Rate				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
for local calls				
(11 a) Evahanges	180 seconds			
(11.a) Exchanges where pulses can	180 seconds	•		
be applied to local				
calls				
(441)	F 1			
(11.b) Exchanges where pulses can	Forbearance			
not be applied to				
local calls				
	Notes:			
	(1) Local Area is the	area co-terminus v	with a Short Distan	ice Charging
	Area (SDCA).	harries Area (CD)	TA) in the area whi	al with face
	(2) Short Distance C	ide with revenue to		cn, with few
(12) Pulse rates for peak hours				•
(40 ) 7		_	_	_
(12.a) For subscriber trunk	Radial distance	From	From	From
dialed domestic	between any two exchanges or	1 April, 1999 to 31 March, 2000	1 April, 2000 to 31 March, 2001	1 April, 2001 to 31 March, 2002
long distance calls	between any two	(Seconds)	(Seconds)	(Seconds)
	charging centres			(
			# ### # # # # # # # # # # # # # #	
	Up to 50 kms.	180.0	180.0	180.0
	•			
	Above 50 kms. and up to 200 kms.	14.0	15.0	18.0
	and up to 200 kins.	14,0	13.0	16,0
	Above 200 kms.			
	and up to 500 kms.	5.0	6.2	6.8
	Above 500 kms.	•		
	and up to 1,000 kms.	3,5	4.1	4.6
	A1 1.000.1	2.5	2.2	
	Above 1,000 kms.	2.5	3.0	3.5

These pulse rates imply the following peak hour tariffs for an STD call of 1 minute duration:		,		
(12.a.i) At pulse charge of Rs. 0.80 per metered call	Radial distance between any two exchanges or between any two charging centres	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000 (Rs.)	•	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002 (Rs.)
	Up to 50 kms.	0 80	0.80	0.80
	Above 50 kms. and up to 200 kms.	4 00	4 00	3.20
	Above 200 kms. and up to 500 kms.	10 40	8.00	7 20
	Above 500 kms. and up to 1,000 kms.	14.40	12.00	11.20
	Above 1,000 kms.	20.00	16.80	14 40
(12.a.ii) At pulse charge of Re, 1.00 per metered call	Radial distance between any two exchanges or between any two charging centres	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000 (Rs.)	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001 (Rs.)	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002 (Rs.)
	Up to 50 kms.	1.00	1.00	1.00
	Above 50 kms. and up to 200 kms.	5.00	5.00	4 00
	Above 200 kms. and up to 500 kms.	13.00	10 00	9.00
	Above 500 kms. and up to 1,000 kms.	18,00	15.00	14.00
	Above 1,000 kms.	25.00	21.00	18.00
				·

(12.a.iii) At pulse
charge of Rs. 1.20
per metered call

Radial distance between any two xchanges or between any two charging centres	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000 (Rs.)	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001 (Rs.)	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002 (Rs.)
Up to 50 kms.	1.20	1.20	1.20
Above 50 kms. and up to 200 kms.	6.00	6,00	4.80
Above 200 kms. and up to 500 kms.	15.60	12.00	10.80
Above 500 kms. and up to 1,000 kms.	21.60	18.00	16.80
Above 1,000 kms.	30.00	25.20	21.60

#### Notes:

- (1) Charging centres are classified as "Long Distance Charging Centre" (LDCC) and "Short Distance Charging Centre" (SDCC).
- (2) Long Distance Charging Centre is a particular Trunk Exchange in a long distance charging area as presently defined for the purpose of charging for trunk calls. Headquarters of a Secondary Switching Area are generally LDCCs.
- (3) Short Distance Charging Centre is a particular exchange in short distance charging area as presently defined for the purpose of charging trunk calls. Headquarters of Short Distance Charging Areas are generally SDCCs.
- (4) Secondary Switching Area (SSA) is a territory, whose boundaries, generally but not necessarily, are co-terminus with those of a revenue District and in which normally one Secondary Trunk Automatic Exchange is located.

(12.b) <u>Inter-</u> national Subscriber Dialed calls	Country Category	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000 (seconds)	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001 (seconds)	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002 (seconds)
	SAARC and other Neighbouring Countries	s 2.5	2.8	3,3
	Countries in Africa, Europe, Gulf, Asia and Oceania	1,5	1.8	2.3
	Countries in American Continent and Other Places in Western Hemisphere	1.2	1.5	1.8
These pulse rates imply the following peak hour tariffs for ISD calls of 1 minute duration;				
(12.b.i) At pulse charge of Rs. 0.80 per metered call	Call made to:	From 11 April, 1999 to 2\1 March, 2000 (Rs.)	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001 (Rs.)	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002 (Rs.)
	SAARC and other Neighbouring Countries	20.00	16.80	14.40
	Countries in Africa, Europe, Gulf, Asia and Oceania	3 2 80	27.20	21.60
	Countries in American Continent and Other Places in Western Hemisphere	40.80	32.80	27.20

(12.b.ii) At pulse charge of Re. 1.00 per metered call	Call made to:	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000 (Rs.)	From 1 April, 2000 to 31 March, 2001 (Rs.)	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002 (Rs.)
	SAARC and other Neighbouring Countries	25.00	21.00	18.00
	Countries in Africa, Europe, Gulf, Asia and Oceania	41.00	34.00	27.00
	Countries in American Continent and Other Places in Western Hemisphere	51.00	41.00	34.00
(12.b.iii) At pulse charge of Rs. 1.20 per metered call	Call made to:	From 1 April, 1999 to 31 March, 2000 (Rs.)	<u>-</u>	From 1 April, 2001 to 31 March, 2002 (Rs.)
	SAARC and other Neighbouring Countries	s 30.00	25.20	21.60
	Countries in Africa, Europe, Gulf, Asia and Oceania	49.20	40.80	32,40
	Countries in American Continent and Other Places in Western Hemisphere	61.20	49.20	40.80
	Note: The coverage classification by the l			

(13) Peak hour	
tariff	
(13.a) For manual trunk calls	
(13.a.i) From and to places with	(i) Rs. 5 per call
STD facilities	<u>Plus</u>
	(ii) Tariff for subscriber trunk dialed domestic long distance calls, as applicable,
	Provided that,
	the minimum tariff under this plan may be the amount applicable to a one minute subscriber trunk dialed domestic long distance call.
	The above tariffs are ceilings.
(13.a.ii) From/to places without STD facilities	Tariffs shall be the same as in (i) above, assuming as if these places have STD facilities.
(13.b) For trunk calls with special features such as demand call, person to person call, lightning call, etc.	Forbearance

(13.c) For operator assisted international calls			
(13.c.i) From and to places with ISD	(i) Rs. 5 per call		
facilities	Plus		
	(ii) Tariff for ISD calls, as applicable.		
	Provided that.		
	the minimum tariff under this plan may be the amount applicable to a one minute ISD call.		
	The above tariffs are ceilings.		
(13.c.ii) From/to places without ISD facilities	Tariffs shall be the same as in (i) above, assuming as if these places have ISD facilities.		
(13.d) For operator assisted international calls, with special features such as demand calls, person to person call, lightning call, etc.	Forbearance		
(14) Peak Hours:			
(14.a) For domestic long distance calls	(i) For distance slab. "Up to 50 kilometers", there need not be any division of the calendar day between peak and off-peak hours.		
Mistante (4112	(ii) For all other distance slabs, peak hours shall not exceed 11 hours during a calendar day. Peak hour tariffs specified in this schedule cannot, therefore, be charged for more than 11 hours in a calendar day for distance slabs beyond 50 kms.		
	(iii) Forbearance with respect to the choice of timings for peak hours.		

(14.b) <u>For</u> international calls	(i)	For country categories in the Table specifying peak hour pulse rates for international calls, peak hours shall not exceed 11 hours during a calendar day for each of the three country categories. Peak hour tariffs specified in this schedule for international calls cannot, therefore, be charged for more than 11 hours in a calendar day for any of the three country categories.  Forbearance with respect to the choice of timings for peak hours of 11 hours during a calendar day for each of the three country categories.
(15) Off-peak hours		
(15.a) <u>For</u>	(i)	For all distance slabs other than "Up to 50 kms.", off-peak hours shall not be less than 13 hours during a calendar day.
domestic long distance calls	(ii)	On Sundays and National Holidays (i.e., 26th January, 15th August and 2nd October), all the 24 hours during the calendar day shall be off-peak hours.
	(iii)	Forbearance with respect to the choice of timings for off-peak hours during a calendar day.
	(iv)	Forbearance for off-peak hour tariffs subject to the condition that these tariffs shall be below the relevant peak hour tariffs specified in this schedule.
(15.b) For international calls	(i)	For country categories in the Table specifying peak hour pulse rates for international calls, off-peak hours shall not be less than 13 hours during a calendar day for each of the three country categories
	(ii)	On Sundays and National Holidays (i.e., 26th January, 15th August and 2nd October), all the 24 hours during the calendar day shall be off-peak hours.
	(iii)	Forbearance with respect to the choice of timings for off-peak hours during a calendar day for each of the three country categories.
	(iv)	Forbearance for off-peak hour tariffs, subject to the condition that these tariffs shall be below the peak hour tariffs specified in this schedule.

(16) Franchised Group PBX, or PABX and EPABX with DID Facility (for Multistory Buildings, Other Buildings, Co- operative Housing Societies)			
(16.2) <u>For the</u> <u>franchisee</u>			
(16.a.i) Regis- tration and Installation charges	Prevailing charges as on the	date of this Order as ceil	ings
(16.a.ii) Monthly rental per junction line			
	1		
(16.a.ii.1) For outgoing and both-ways	Exchange system capacity (Number of lines)	Rural Franchisees (Ceilings of Rs.)	Urban Franchisees (Ceilings of Rs.)
outgoing and both-ways			
outgoing and			
outgoing and both-ways	(Number of lines)	(Ceilings of Rs.)	(Ceilings of Rs.)
outgoing and both-ways	(Number of lines)	(Ceilings of Rs.)	(Ceilings of Rs.)
outgoing and both-ways	(Number of lines)	(Ceilings of Rs.)  120 160	(Ceilings of Rs.)  160 160
outgoing and both-ways	(Number of lines)	(Ceilings of Rs.)  120 160 220 310	(Ceilings of Rs.)  160 160 220 310
outgoing and both-ways junctions  (16.a.ii.2) For incoming	(Number of lines)  Up to 999 lines 1,000 to 29,999 lines 30,000 to 99,999 lines 1 lakh and above lines  Same rental as for outgoing a	(Ceilings of Rs.)  120 160 220 310	(Ceilings of Rs.)  160 160 220 310
outgoing and both-ways junctions  (16.a.ii.2) For incoming junctions  (16.a.iii) Other Matters Relevant	(Number of lines)  Up to 999 lines 1,000 to 29,999 lines 30,000 to 99,999 lines 1 lakh and above lines  Same rental as for outgoing a rebate of Rs. 50 per month.	(Ceilings of Rs.)  120 160 220 310	(Ceilings of Rs.)  160 160 220 310

(16.b) <u>For</u> extension user	
(16.b.i) Registration and Installation charges	Prevailing charges as on the date of this Order as ceilings
(16.b.ii) Monthly Rental	Rs. 125 per month
(16.b.iii) Security Deposit	Ceiling of twelve months' rental charged to the extension user
(16.b.iv) Call Charge	Rs. 1.20 per metered call
(16.b.v) Free Calls (or uncharged calls)	Nil
(16.b.vi) Other Matters Relevant to Tariffs	Forbearance
	Note: Alternative tariff packages may be offered by franchisees For explanation of "alternative tariff packages", see Explanatory Notes at the end of this schedule.

(17) Subscriber Owned Group PBX, PABX, EPABX (for Office Buildings, Hotels, and Other Parties)	
(17.a)Registration and Installation charges	Prevailing charges as on the date of this Order as ceilings
(17.b) Monthly Rental Per Junction Line:	
(17.b.i) For outgoing and Both-Ways junction lines	Ceiling of Rs. 620 per month
(17.b.ii) For incoming junction lines	Ceiling of Rs. 620 per month less a minimum rebate of Rs. 50 per month
(17.c) Call Charge	Rs. 1.20 per metered call
(17.d) Free Calls (or uncharged calls)	Nil
(17.e) Other Matters Relevant to Tariffs	Forbearance
1	

(18) Service Provider Owned Group PBX, PABX, EPABX (for Office Buildings, Hotels, and Other Parties)	
(18.a) Registration and Installation charges for junctions	Prevailing charges as on the date of this Order as ceilings
(18.b) Monthly Rental Per Junction Line	Ceiling of Rs. 620 per month
(18.b.i) For outgoing and Both-Ways junction lines	Ceiling of Rs. 620 per month less a minimum rebate of Rs. 50 per month
(18.b.ii) For incoming junction lines	Rs. 1.20 per metered call
(18.c) Call Charge	Nil
(18.d) Free Calls (or uncharged calls)	Forbearance
(18.e) Other Matters Relevant to Tariffs	Forbearance

(19) PCOs/VPTs (19.a) Coin Collection Boxes (CCBs)	
(19.a.i) Tariff in rural areas	Re. 1.00 per metered call
(19.a.ii) Tariff in urban areas	Re. 1.00 per metered call
(19.b) Tariff for local call from PCOs/VPTs (other than from STD/ISD PCOs/VPTs)	
(19.b.i) in rural areas	Ceiling of Re. 1.00 per metered call
(19.b.ii) in urban areas	Ceiling of Rs. 1.20 per metered call
(19.c) Tariff for local and STD/ISD calls from STD/ISD PCOs/VPTs	
(19.c.i) in rural	Ceiling of Rs. 1.20 per metered call
	plus
	Ceiling of Rs. 2 for each STD/ISD call (irrespective of duration)
(19.c.ii) in urban	Ceiling of Rs. 1.20 per metered call
	plus
	Ceiling of Rs. 2 for each STD/ISD call (irrespective of duration)
(19.d) Long distance public telephone with flat rate	Forbearance

(20) Fascimile	Forbearance
(21) All Other Matters Relevant to Tariffs, including billing cycle, and special and supplementary services not elsewhere specified	Forbearance
<b>EXPLANATORY</b>	
NOTES:	
(a) Low User	A subscriber making not more than 500 metered calls per month of a
Subscriber	billing cycle.
Bubberiou	
(b) General User	A subscriber other than low user subscribers or commercial user
Subscriber	subscribers. The procedures for migration of subscribers from one
Subscriber	category to another (i.e. low user subscribers to general user subscribers,
	, — •
	and vice-versa) on the basis of the extent of usage will be notified before
	30 September, 1999, as this issue becomes relevant only with effect from 1
	April, 2000.
(c) Commercial	The rules for classifying subscribers as commercial user subscribers will
User Subscriber	be laid down by the Authority after due consultation process. In the
	interim commercial user subscribers are those who opt for the rental
	category prescribed for "Commercial user subscribers". The classification
	as commercial user subscriber shall be effective from the commencement
	of the next billing cycle after the date of option.
(A) D	Cohomban and the language Providence (CAL)   1.1.1.1.1
(d) Rural	Subscribers residing in rural areas. For the purpose of this schedule, the
subscribers	definition of rural area shall be the same as used in conducting the Census
	of India.
(e) Urban	Subscribers residing in urban areas. For the surness of this schedule, the
1 ` '	Subscribers residing in urban areas. For the purpose of this schedule, the
subscribers	definition of urban area shall be the same as used in conducting the Census
	of India.
(f) Standard tariff	A standard tariff package provides basic services at the tariffs specified in
1	the schedule, and includes the specified number of free calls. Different
package(s)	· •
1	rentals prescribed for the three categories of subscribers in (a) to (c) above
	imply that three different standard tariff packages are specified in this
	schedule.
1	

## (g) Alternative tariff packages

Tariff and free call allowance offered to subscribers by service providers, in addition to those offered in the standard tariff packages. In the "alternative tariff packages", items for which tariffs are specified in terms of a ceiling will continue to be subject to the specified ceiling. Items for which a specific amount of tariff is shown in this schedule (e.g. rentals and call charges) may have any alternative tariff in the "alternative tariff package". Similarly, an alternative free call allowance may be provided in an "alternative tariff package"

#### (h) Mandatory provision of standard packages

Subscribers must have the option of getting basic services (other than ISDN) at tariffs and free call allowance specified in this schedule. In addition, the service provider may offer alternative tariff packages to the subscribers. The subscriber shall be free to choose among various tariff and free call offers available.

## (i) Exchange system capacity

The sum of the capacities of all exchanges in a local area, except that for the purpose of offering tariffs applicable to rural subscribers (including rentals) the relevant exchange system capacity to be reckoned is the one as existed prior to 15<sup>th</sup> August 1998, i.e. before the local call area became coterminus with the short distance charging area (SDCA) for purpose of local calls. Any augmentation of the exchange capacity after the date of implementation of this Order shall automatically be taken into account for re-classification for the purposes of tariffs.

#### (j) Short Distance Charging Area (SDCA)

Short Distance Charging Area (SDCA) is the area which, with few exceptions, coincide with revenue tehsil/taluk. The local area is coterminus with an SDCA for the purpose of tariffs.

#### (k) Charging Centres

Charging centres are classified as "Long Distance Charging Centre" (LDCC) and "Short Distance Charging Centre" (SDCC).

#### (I) Long Distance Charging Centre (LDCC)

Long Distance Charging Centre is a particular Trunk Exchange in a long distance charging area as presently defined for the purpose of charging for trunk calls. Headquarters of a Secondary Switching Area are generally LDCCs.

## (m) Short Distance Charging Centre (SDCC)

Short Distance Charging Centre is a particular exchange in short distance charging area as presently defined for the purpose of charging trunk calls. Headquarters of Short Distance Charging Areas are generally SDCCs.

#### (n) Secondary Switching Area (SSA)

Secondary Switching Area (SSA) is a territory, whose boundaries, generally but not necessarily, are co-terminus with those of a revenue District and in which normally one Secondary Trunk Automatic Exchange is located.

## Schedule II Cellular Mobile Telecom Service (CMTS)

ITEM	TARIFF
(1) Date of implementation	01 April, 1999*
(2) Deposit	Prevailing charges as specified in the present licence as ceiling
(3) Installation charges	Prevailing charges as specified in the present licence as ceiling
(4) Categorisation of hours in a calendar day	Standard Hours and Concessional Hours <sup>K</sup>
(5) Duration of Standard Hours and Concessional Hours	Standard Hours shall not exceed eleven hours in a calendar day, except as provided otherwise All other hours shall be Concessional Hours
(6) Timing of Standard Hours and Concessional Hours	Forbearance
(7) Pulse rate for calls	20 seconds

<sup>\*</sup> This tariff will be applicable from 01 April, 1999 to 31 July, 1999. The tariff applicable when the Calling Party Pays (CPP) regime becomes effective from 01 August, 1999 shall be notified separately.

<sup>&</sup>lt;sup>k</sup> Standard Hours and Concessional Hours correspond to the concept of Peak Hours' and Off-peak Hours respectively mentioned in Schedule I for Basic Services (other than ISDN).

ITEM	TARIFF
(8) Rental	Rs. 600 per month
(9) Airtime charges	
(9.a) Standard Hours	Rs. 6 per minute
(9.b) Concessional Hours	Forbearance, Provided that airtime during Sundays and three National Holidays (26 <sup>th</sup> January, 15 <sup>th</sup> August, and 2 <sup>nd</sup> October) shall be priced at Concessional rates
Tariff for different category of calls	January, 15 August, and 2 October) shall be priced at Concessional rates
(10) Calls from PSTN to Mobile	The called party to pay airtime
(11) Calls from Mobile to PSTN	Tariff to comprise:  i) Airtime; plus  ii) PSTN charges for local or long distance as applicable from time to time to the fixed network
(12) Calls from  Mobile to Mobile  within Metro Licensee Service  Areas	Both called and calling party to pay airtime
(13) Calls from  Mobile to Mobile  not included in item (12) above	Tariff to comprise airtime plus a supplementary long distance charge based on distance The Service Provider shall make the calling party aware of the quantum of the supplementary charge to be paid by the party, by making appropriate technical arrangements

t

ITEM	TARIFF
(14) Additional Items	-
(14.a) Roaming	Forbearance
(14.b) Other Supplementary Services	Forbearance
(14.c) Value Added Services	Forbearance
(14.d) All other matters relevant to Tariff, including billing cycle	Forbearance
Explanatory Notes	
a) Standard Tariff Package	The Standard Package provides Cellular services at the tariffs specified in the schedule
b) Alternative Tariff Packages	Tariff offered to subscribers in addition to that offered in the Standard Package
	In these <u>Alternative Tariff Packages</u> , items for which tariffs are specified as ceilings cannot be exceeded. Items for which a particular amount is specified in the schedule viz. rental and airtime charge may have a different tariff in the <u>Alternative Tariff Package</u>
c) Mandatory provision of standard packages	Subscribers must have the option of getting Cellular services at tariffs specified in this schedule. In addition, the service provider may offer alternative tariff packages to the subscribers. The subscriber shall be free to choose among various tariff packages available

## Schedule III Radio Paging Services

ITEM	TARIFF
(1) Date of implementation	01 April, 1999
(2) Deposit	Prevailing charge as specified in the present licence as ceiling
(3) Registration Fee	Prevailing charge as specified in the present licence as ceiling
(4) Rental	
(4.a) Alphanumeric Service	Rs. 300 per month as ceiling
(4.b) Numeric Service	Rs. 175 per month as ceiling
(5) All other matters relevant to tariff, including supplementary services, yalue added services, billing cycle	Forbearance

<u>Note</u>: The Authority will review the tariff and other conditions specified in this schedule once the detailed study on viability assessment of Radio Paging Services Providers that is currently in progress is complete. If the results of the study warrant, the tariffs will be changed.

#### SCHEDULE IY LEASED CIRCUITS

ITEM	<u>TARIFF</u>
(1) Date of Implementation	01 April, 1999
(2) Coverage	(a) All tariffs specified as ceilings  (b) It is mandatory for leased circuits to be provided through utilization of
	spare capacity when such capacity is available and when not available, on rent and guarantee terms  (a) The tariff for lessed sirewite shall be calculated either.
	(c) The tariff for leased circuits shall be calculated either
	(i) As a combination of tariff given under "Ready Reckoner Tariff" and tariffs given under "Other additional costs, as applicable";
<u>,                                     </u>	<u>Or</u> ,
	(ii) On rent and guarantee terms
(3) Ready Reckoner Tariff for leased circuits of speed;	
(3.a) 64 Kbps	As specified in Annex 1 to this schedule
(3,b) 2 Mbps	As specified in Annex 2 to this schedule
(3.c) Below 64 Kbps	Forbearance

(3.d) N	Times	64
Kbps		

Ceiling tariffs for capacity ranging from 128 Kbps to 960 Kbps shall be determined by multiplying the ceiling tariff for leased circuits of 64 Kbps by the coefficients specified below:

Capacity (Kbps)	<u>Coefficient</u>
960	7.6
768	6.4
512	4.8
384	4.0
320	3.6
256	3.1
192	2.5
128	1.8

#### (3.e) N Times 2 Mbps

Ceiling tariffs for N Times 2 Mbps leased circuits shall be N times the ceiling tariff for leased circuit of 2 Mbps, except that in calculating the ceiling tariffs:

- (i) N = 16 for 34 Mbps, and
- (i) N = 64 for 140 Mbps:

#### (4) Other Additional Costs, As Applicable

If these additional items are charged, they must be specified separately and individually in the bill

### (4.a) Local leads or end links

Tariff for local lead (or end links) to be charged as

- (i) Charge for leasing these local leads, or
- (ii) If such leasing is not possible then
  - (1) On rent and guarantee basis, or alternatively
  - (2) On contribution basis

#### (4.b) Payment for right of way / way leave charges

The service provider may also charge for the amount paid, if any

# (5) Tariff for leased circuits provided on rent and guarantee terms

- (a) To be based solely upon costs
- (b) Rent and guarantee tariffs under this schedule to apply to prospective leased circuits

(6) Tariffs for circuits leased for short duration	,
(6.a) For a period up to 3 months	Double the pro rata rental as specified under the category "Ready Reckoner Tariff"
(6.b) For a period exceeding three months but less than one year	Full year rental as specified under the category "Ready Reckoner Tariff"
(6.c) Charge for local leads, or end links	Costs incurred in addition to the existing local leads and long distance medium, including additional costs incurred for any special constructions, may be added to the short duration rentals specified under items (a) and (b) above
(7) Tariff when capacity addition is required to provide leased circuits	Parties providing and renting circuits to share costs based on bilateral negotiations
(8) Other Matters Relevant to Leased Circuits Tariffs	Forbearance

(Annex 1 to Schedule IV)
READY-RECKONER CEILING TARIFF FOR 64 Kbps LEASED CIRCUITS BASED ON 140 Mbps SYSTEM

Distance(km)	TOTAL(Rs.)	Distance(km)	TOTAL(Rs.)	]
5	24,558	205	55,091	
10	25,632	210	<b>55,77</b> 0	
15	26,707	215	56,449	
20	27,781	220	57,129	
25	28,856	225	57,808	
30	29,930	230	58,487	
35	31,005	235	59,167	
40	32,079	240	59,846	
45	33,154	245	60,525	
50	34,319	250	61,295	
55	34,442	255	61,974	
60	35,121	260	62,653	
65	35,800	265	63,332	
70	36,480	270	64,012	
75	37,159	275	64,691	
80	37,838	280	65,370	
85	38,518	285	66,050	
90	39,197	290	66,729	
95	39,876	295	67,408	
100	40,646	300	68,178	
105	41,325	305	68,857	
110	42,004	310	69,536	
115	42,683	315	70,215	
120	43,363	320	70,895	
125	44,042	325	71,574	
130	44,721	330	72,253	
135	45,401	335	72,933	
140	46,080	340	<b>7</b> 3,612	
145	46,759	345	74,291	
150	47,529	350	61,475	
155	48,208	355	75,740	
160	48,887	360	76,419	
165	49,566	365	77,098	
170	50,246	370	<b>77</b> ,778	
175	50,925	275	78,457	
180	51,604	380	79,136	
185	52,284	385	79,816	
190	52,963	390	80,495	
195	53,642	395	81,174	
200	54,412	400	81,944	

Distance(km) TOTAL(Rs.) 405 82,623 410 83,302 415 83,981 420 84,661 425 85,340 430 86,019 435 86,699 440 87,378 445 88,057 450 88,827 455 89,506 460 90,185 465 90,864 470 91,544 475 92,223 480 92,902 485 93,582 490 94,261 495 94,940 500 95,710

Beyond 500 kms Rs.96000 fixed irrespective of distance

(Annex 2 to Schedule IV)
READY-RECKONER CEILING TARIFF FOR 2 Mbps LEASED CIRCUITS BASED ON 140 Mbps SYSTEM

Distance(km)	TOTAL(Rs.)	Distance(km)	TOTAL(Rs.)	Distance(km)	TOTAL(Rs.)
5	55,820	205	971,810	405	1,797,763
10	88,056	210	992,189	410	1,818,141
15	120,291	215	1,012,567	415	1,838,520
20	152,527	220	1,032,946	420	1,858,899
25	184,763	225	1,053,325	425	1,879,278
30	216,999	230	1,073,704	430	1,899,657
35	249,235	235	1,094,083	435	1,920,035
40	281,471	240	1,114.461	440	1,940,414
45	313,706	245	1,134,840	445	1.960,793
50	348,642	250	1,157,919	450	1,983,872
55	352,345	255	1,178,298	455	2,004,251
60	372,724	260	1,198,677	460	2,024,630
65	393,103	265	1,219,056	465	2,045,008
70	413,482	270	1,239,434	<b>47</b> 0	2,065,387
75	433,860	275	1,259,813	475	2,085,766
80	454,239	280	1,280,192	480	2,106,145
85	474,618	285	1,300,571	485	2,126,524
90	494,997	290	1,320,950	490	2,146,902
95	515,376	295	1,341,328	495	2,167,281
100	538,454	300	1,364,407	500	2,190,360
105	558,833	305	1,384,786	Beyond 500 km	s Rs.22 Lakhs
110	579,212	310	1,405,165	fixed irrespective of distance	
115	599,591	315	1,425,544		
120	619,970	320	1,445,923		
125	640,349	325	1,466,301		
130	660,727	330	1,486,680		
135	681,106	335	1,507,059		
140	701,485	340	1,527,438		
145	721,864	345	1,547,817		
150	744,943	350	1,163,319		
155	765,321	355	1,591,274		
160	785,700	360	1,611,653		
165	806,079	365	1,632,032	•	
170	826,458	<b>37</b> 0	1,652,411		
175	846,837	275	1,672,790		
180	867,216	380	1,693,168		
185	887,594	385	1,713,547		
190	907,973	390	1,733,926		
195	928,352	395	1,754,305		
200	951,431	400	1,777,384		

#### Schedule V ISDN Services

ITEM	TARIFF
(1) Date of implementation	01 April, 1999
(2) Initial Deposit and Registration Deposit	Aggregate of all deposits (excluding security deposit for equipment) cannot exceed one year's rental  The registration deposit should be combined with the initial deposit for the purpose of comparing with the maximum limit on deposits -
(3) Installation and Testing Charges	Installation and testing charges are one time charges
(3.a) Wiring charges upto Network Terminal (NT) for Primary Rate Access (PRA)	Rs. 4,000 as ceiling
(3.b) Wiring charges upto NT1 for Basic Rate Access (BRA)	Rs. 600 as ceiling
(3.c) Subscriber Interface Bus	Rs. 500 as ceiling
(3,d) For ISDN Terminals	
(3.d.i) Ordinary ISDN Phone (3.d.ii) ISDN PC Card (3.d.iii) ISDN Feature Phone (3.d.iv) Terminal Adopter (3.d.v) ISDN PBX per port (3.d.vi) G4 Fax Terminal (3.d.vii) Videophone	Rs. 275 as ceiling Rs. 400 as ceiling Rs. 550 as ceiling Rs. 475 as ceiling Rs. 800 as ceiling Rs. 6,000 as ceiling Rs. 1,350 as ceiling
(4) Monthly Rental for ISDN Equipment (optional)	The rates for monthly rental for individual ISDN equipment are applicable only if the equipment is hired from the service provider
(4.a) Ordinary ISDN Phone (4.b) ISDN PC Card (4.c) ISDN Feature Phone (4.d) Terminal Adopter (4.e) ISDN PBX per port (4.f) G4 Fax Terminal (4.g) Videophone	Rs. 550 as ceiling Rs. 800 as ceiling Rs. 1,100 as ceiling Rs. 950 as ceiling Rs. 1,600 as ceiling Rs. 12,000 as ceiling Rs. 2,700 as ceiling

(5) Monthly Rental for Access	
(5.a) For PRA	A ceiling of Rs. 5,000 per month upto 3 kms and Rs. 2,000 for each additional km or part thereof
(5.b) For BRA	Rs. 1,000 as ceiling
(6) Usage Charges	
For every B channel	Rates as applicable to PSTN as ceilings There shall be no minimum usage charge
	Any change in the PSTN tariff will automatically imply a corresponding change in the usage rate applicable for every B channel
(7) Rental for supplementary Services  (7.a) Direct Dialing in (7.b) Calling Line Identification Presentation (CLIP) (7.c) Line Hunting (7.d) Closed User Group (CUG) (7.e) Advice of Charge (7.f) User to User Signalling  (8) Minimum period of hire for temporary ISDN connection	NIL NIL NIL NIL NIL One month
connection (9.a) For PRA	A ceiling of Rs. 10,000 per month upto 3 kms and Rs. 4,000 for each additional km or part as thereof
(9.b) For BRA	Rs. 2,000 per month as ceiling
(10) Surrender before provision	Actual expenses incurred are chargeable
(11) Security Deposit for equipment hired from the Basic Service Provider	The security deposit cannot exceed the equipment's prevailing market price
(12) All other matters relevant to tariff, including billing cycle	Forbearance

#### Schedule VI Internet

ITEM		TARIFF
(1) Date of implementation	01 April, 1999	
(2) Tariff for all Internet Services other than Internet Leased Circuits (Port Charges)	Forbearance	
(3) Charge for Internet	Speed	Tariff as Ceiling (Rs. Lakhs per annum)
Leased Circuits (Port Charges)	2.4 Kbps	0 7
	9.6 Kbps	2 .5
	64 Kbps	5
	128 Kbps	7.6
	256 Kbps	10.5
	512 Kbps	15.1
	l Mbps	25.1
	2 Mbps	41.8
(4) All other matters relevant to Internet Tariff, including billing cycle	Forbearance	

## Schedule VII Value Added Services

ITEM	TARIEF				
(1) Date of implementation	01 April, 1999				
(2) Value Added Services	These services include inter-alia,  i) Electronic Mail  ii) Voice Mail  iii) Closed Users Group Domestic 64 Kbps Data Network via INSAT Satellite System  iv) Videotex Service  v) Video Conferencing				
(3) All matters relevant to tariff, including billing cycle	Forbearance				

## Schedule VIII Telex and Telegraph Services

ITEM	TARIFF
(1) Date of implementation	01 April, 1999
(2) All matters relevant to tariff	Forbearance

## Schedule IX Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPCS)

ITEM	TARIFF
(1) Date of implementation	01 April, 1999
(2) All matters relevant to Tariff, including billing cycle	Forbearance

#### ANNEX A

#### **EXPLANATORY MEMORANDUM**

#### A. INTRODUCTION

- This Order is the culmination of a process, both extensive as well as intensive, which involved two Consultation Papers (one on concepts, principles and methodology, and the other containing tariff proposals for various telecom services), written & oral comments on these papers and Open House Meetings in different parts of the country. The Authority consulted with all stakeholders in the sector, including service providers, consumers, potential investors, Ministry of Communications, and Members of Parliament. On some of the issues involved, other Telecom Regulatory Bodies and international experts were also consulted. In arriving at the decisions contained in this Order, the Authority gave serious consideration to all comments, including those contained in the Report of the Lok Sabha's Standing Committee on Communications (hereinafter "Standing Committee") that addressed the Authority's tariff proposals.
- 2. The purpose of this Memorandum is to lend clarity and transparency to this Order and give reasons for decisions taken with regard to tariffs. The Authority wishes to emphasize that this Order is only a first step in the process of tariff reform which is essential to prepare for competition and for introduction of new services. Without such tariff reform, telecom development, in particular for basic services, is not sustainable. The revised tariffs will not only reduce the vulnerability of the incumbent basic service provider (DOT) to competition, but will also provide adequate resources for the DOT to achieve its network expansion. These tariffs will also sustain the viability of the new entrants in different service areas.
- 3. Through this Order, the Authority also wants to send a signal to investors in this sector about the direction of telecom pricing reform, the main elements of which will be:
  - tariffs will be further re-balanced towards costs while emphasizing the social objective of encouraging low users of telecom to get connected and use the system more intensively; and,
  - service providers, and through them customers, will be provided enhanced flexibility for pricing and giving alternative tariff packages to customers.
- 4. Universal Service Obligations (USO) will be dealt with separately. The Authority is working on estimating the costs of USO, and ways in which the same could be met. A Consultation Paper on this issue will be released later this year.

- The various comments and consultations held by the Authority clearly reflected that differing, and sometimes conflicting, objectives were emphasized by different stakeholders. For example, several customer groups felt that the surplus of the Department of Telecommunications (hereinafter "DOT") was inordinately high at about Rs. 7,000 crores in 1997-98, and should be scaled down so as to avert any need for a price increase. In contrast, the DOT, and even the Standing Committee, were not in favour of reduction in this surplus on the grounds that it was needed for expansion of the telecom network. The Authority has examined the various concerns, including mutually conflicting ones, and has come out with what, in its view, is a balanced tariff package which lays the foundation for achieving the main objectives of consumer protection on the one hand, and, network expansion and viability of the industry, on the other.
- 6. The Authority has addressed the concerns of subscribers, including those raised specifically with regard to rural subscribers. The aim has been to reduce the burden of adjustment on low users of basic telecom in comparison to the proposals contained in the Authority's Consultation Paper of 9 September, 1998 (Consultation Paper No. 98/3, hereinafter "Second Consultation Paper"). Moreover, the Authority has emphasized the provision of shared access, including through franchisee EPABX, which will imply rentals lower than those specified for Direct Exchange Lines (DELs) in most cases. Further, flexibility has been provided to the service provider to offer any alternative rental, call charge, and/or free call allowance in addition to those specified by the Authority. Such flexibility will be beneficial to both subscribers and service providers.
- 7 The tariff re-balancing exercise also has to be seen in the context that.
  - Tariffs have not increased since early 1993, while consumer incomes and prices have risen substantially since then;
  - Affordability implies not just a consideration of tariffs for rentals and local calls but also long distance calls;
  - Tariffs for long distance calls will decrease for three reasons (i.e. extension of the local area to become co-terminus with SDCA as a result of the DOT's Order implemented on 15 August, 1998, the treatment of calls to adjacent SDCAs as equivalent to local calls under that Order, and the reduction under this Order of STD calls to distances "above 20 and up to 50 kms" so that these calls are charged at the rate for local calls),
  - The tariff decrease for long distance calls would benefit in particular rural subscribers because a larger portion of their calls are long distance calls;
  - The reduction of long distance call charge will also benefit those making calls from STD PCOs/VPTs. These are mainly the less well to do users of telecom. It is noteworthy that about 30 per cent of revenues from STD calls are contributed by STD PCOs/VPTs.
- 8. The Authority believes that the tariffs are fair also to the service providers, and will ensure their viability. It is true that the DOT surpluses are significant but the

Authority's opinion is that at the present stage of India's telecom development, it is necessary for the DOT to have substantial surpluses for expanding the network and to meet other social obligations.

- 9. The present exercise was based on information which was not adequate to make detailed estimates of some elements. The process, based on better data inputs, will have to be refined in the future, in particular to determine cost based access or interconnection charges. Such charges need to be decided for a more complete treatment of interconnection, and will be a crucial input also to prepare for any liberalization of the long distance sector.
- 10. The Authority has begun a process to determine these charges, including an exercise to achieve separation of accounts for service providers to obtain more detailed information on the cost base, and achieve greater transparency of operations, especially with regard to cross-subsidization.
- There is a major disagreement between the Authority and the DOT on the revenue implications of the tariffs for basic services (excluding ISDN) specified in this Order. The DOT is of the opinion that price decreases in domestic long distance and international calls will not give rise to any increase in volume of these calls, while the Authority expects there to be a substantial volume response to such price decreases. More details on this matter are provided later in this Memorandum
- 12. The Authority will monitor and assess the situation regarding revenues after the implementation of the new tariff regime. In particular, the Authority will follow the situation for basic services, and compare the actual revenues with its own projections of the revenue implications for the DOT. If the actual scenario at the end of first year turns out to be significantly different from the one envisaged by the Authority, the situation will be reviewed and necessary corrective measures taken.
- 13. Section B of this Memorandum addresses certain general aspects which apply to more than one category of service. This is followed by Section C which addresses the specific items covered in various Schedules of this Order. It begins with a discussion of the Schedule on basic services (excluding ISDN), followed by cellular mobile telecom services, radio paging services, leased circuits, ISDN services, internet, value added services, telex and telegraph services, and Global Mobile Personal Communication by Satellite.

#### B. <u>GENERAL ISSUES</u>

14. A number of issues addressed in the Order pertain to more than one service, e.g definition of tariff, reporting requirement, transparency and customer protection, deposits, registration and installation charge, flexibility granted to the service

provider in fixing tariffs, and peak and off-peak hours. These are addressed in this scenario.

#### Coverage of the term "tariff"

15. It may be recalled that the term "tariff" is defined in the Order and includes charges as well as related conditions and free call allowance.

#### Different types of tariff specifications

- 16. Broadly, there are three types of tariffs specified in the Order:
  - An amount or level is specified for certain tariffs (for example, rentals, call charges and free call allowance);
  - A tariff ceiling for some others, such as deposits or registration charges,
  - Tariff forbearance for others, i.e. at present, the service provider has the freedom to apply any tariff.

#### Flexibility of Tariffs, Standard Tariff Package and Alternative Tariff Packages

- 17. It is mandatory that options offered to a subscriber include a tariff package that is specified in the schedules, such tariff package(s) are defined as "standard tariff package(s)". In addition, a service provider will be free to offer alternative tariff packages in which:
  - Any alternative tariff is allowed for those items for which the Authority has specified tariffs as amounts or levels;
  - With regard to items for which tariffs are specified as ceilings, tariffs in the alternative package are also constrained by the specified ceilings;
  - Service providers are free to offer any tariff for items subject to forbearance;
  - Subscribers shall have the freedom to choose among the available tariff packages, including the standard tariff package
- 18. Forbearance has generally been applied to tariffs for:
  - Value added services, and other services with competitive markets;
  - New or emerging services; and,
  - Services which require to be studied further.

#### Reporting Requirement and Intervention by the Authority

- 19. Tariff flexibility provided to service providers is subject to two types of safeguards in the Order:
  - the requirement that all tariffs (including in the alternative tariff packages or those subject to forbearance), and any subsequent changes in them, are notified to the Authority five working days prior to implementation;
  - the Authority's right to intervene and alter any tariff at any time, either suo moto or on the basis of a reference to it from any affected party.

#### Transparency for the Customer

20. The Order also provides that subscribers (including potential subscribers) are provided information on tariffs (including terms and conditions) through

publication of these tariffs in a specified format(s). These publications should also include a comparison of the standard and alternative tariff packages.

In this regard, another significant condition specified in the Order is that service providers shall not discriminate between subscribers of the same class.

#### Registration Charge, Installation Charge, and Deposits

- 22. It is important that the conditions of access to the network do not constrain subscribers from getting connected to the network, in particular those providing relatively low revenues. To address the possibility of segmentation of the market in this manner, the prevailing charges for registration and installation have been specified as ceilings.
- 23. A similar concern has led the Authority to specify that deposits must not exceed twelve months' rentals, as applicable. In the Second Consultation Paper, the Authority had recommended that interest be paid on these deposits. This Order has not done so for two reasons. One, for a large proportion of subscribers, i.e. those making 1,000 metered calls bi-monthly and which account for above 70 per cent of the total, the specified rental is much lower than that proposed in the Consultation Paper. Hence, there is already a considerable reduction in rentals compared to the proposed rentals for these subscribers. Secondly, payment of interests will impose substantial financial burden on the service providers. An alternative way of providing financial return on deposits is to lower the price of access or use for the subscriber. Such a policy has been adopted in the Order.
- 24. There are certain exceptions to the policy enunciated above:
  - tariff forbearance has been specified regarding installation charge and deposit for fixed line telephony using wireless in local loop technology. For this technology, the installation charge could involve a higher cost than for other technologies, and hence flexibility for the service provider. For deposits, the flexibility is to help offer quick connections to those subscribers who wish to get linked quickly, but such flexibility is provided in effect for only one year;
  - tariff forbearance has been specified for deposits for STD/ISD calls. These calls are likely to provide high revenues for service providers and they would therefore not fix too high an amount for such deposits. In any event, the deposits are also subject to reporting requirements and the possibility of review by the Authority.
- 25. The Authority recognizes that the above-mentioned safeguards could be diluted by tariffs specified for items for which tariff forbearance has been specified. However, the two safeguards, including the reporting requirement, will be used to address any such situation.

#### Peak hours/Off-peak hours

- 26. The Authority has specified tariffs only for peak hours and not off-peak hours. Thus, it is necessary also to clarify the duration and timing of peak and off-peak hours.
- 27. In the Second Consultation Paper, for basic and cellular mobile services, the Authority had proposed peak hours for 8 hours during a calendar day, leaving the service providers free to decide the timings thereof. During consultations, basic service providers sought at least 11 hours as peak hours for domestic long distance calls (i.e. the present situation), and pointed out that at present the duration of peak hours for international calls was 17 hours. Cellular mobile service providers asked for 12 hours as the duration of peak hours.
- 28. Based on these consultations and to foster higher usage, a total of 11 hours per calendar day has been specified as peak hours for domestic long distance and international calls, and for cellular mobile service.
- 29. In the case of domestic long distance, an exception is made for the first distance slab, i.e. 0 to 50 kms., for which the call charge is same as for local calls. Service providers have the option of not giving any off-peak hours for this distance slab, similar to the situation for local calls.
- 30. Further, the service provider is given flexibility to decide which hours of the day will be treated as off-peak hours. Any such decision on the timings for peak hours shall apply to all the distance slabs other than 0 to 50 kms.
- 31. For international calls also, the service provider has been provided with the flexibility of choosing the timings of peak hours. In addition, the service provider may have separate timings for peak hours for each of the three country categories mentioned in the Schedule.
- 32. For domestic long distance (except distance slab 0 to 50 kms.) and international calls, and for cellular mobile service, off-peak tariffs have to be provided for the entire calendar day on Sundays, and on three national holidays, i.e. 26<sup>th</sup> January, 15<sup>th</sup> August, and 2<sup>nd</sup> October.
- 33. Tariffs for off-peak hours have to be less than the corresponding tariffs for peak hours. The exact level of such tariffs has been left to the service providers to decide.

#### C. <u>ISSUES SPECIFIC TO SERVICE SECTORS</u>

#### (1) Certain General Issues Relating to Basic Services (Excluding ISDN)

In addition to the general issues mentioned above, certain matters were raised regarding basic services (excluding ISDN) with a focus wider than any specific tariff item. These were: whether there is a need to re-balance tariffs for basic services, affordability of the revised tariffs, and revenue implications for basic service provider.

#### (a). Whether there is a need to re-balance tariffs

- Re-balancing of tariffs involves reducing tariffs which are above costs while increasing those below costs. Thus, re-balancing implies a reduction in the extent of cross-subsidization within the basic services sector. Such a rationalization is required as a condition precedent to conversion of a single operator system into a multi-operator one. This was recognized, *inter-alia*, even in the initial phase of the Authority's consultations on telecom tariffs. The views expressed in these consultations showed a consensus in favour of re-balancing tariffs for basic services.
- Subsequently, when specific proposals on re-balancing were made by the Authority in its Second Consultation Paper, there were some who opposed any re-balancing at present. Several comments were in favour of re-balanced tariffs provided improvements were made in the quality of service. In this regard it is worth noting that the Authority has commenced its consultation process on quality of service parameters, and will in due time specify quality parameters and the process for ensuring that they are implemented.
- 37 Those opposing re-balancing of tariffs for basic services did so mainly on four grounds.
  - If tariff re-balancing is required to address the situation of competition, it should not be carried out because for some years there is unlikely to be any competition in basic services,
  - The DOT was earning huge surplus and this should be passed on in the form of lower tariffs for all services, instead of re-balancing tariffs which involves an increase in certain tariffs.
  - The reduction in domestic long distance and international call charges adversely affects revenue earnings.
  - Re-balancing tariffs involves an increase in rentals, which makes it more expensive for subscribers to join the network. This would in turn adversely affect teledensity and growth of telecommunications in India.
- The Authority has considered the pros and cons of undertaking tariff rebalancing now. It came to the conclusion that tariff re-balancing cannot be achieved in one step, and further that the first step in this regard cannot be

postponed if the policy of introducing private service providers has to succeed. In fact, the Authority believes that this should have been undertaken even before introducing competition in this sector. The growth and development of this sector will not be sustainable without this reform (see below).

#### Presence of competition

- According to the IXth Plan, the private sector is expected to provide more than 13 per cent of the DELs by 2001-2002. By 2006-2007, this share is expected to be 30 per cent. Even if the estimate of 13 per cent is an optimistic one, private sector share of the DELs will not be insignificant, as shown below, with regard to competitive pressure on the incumbent's revenues and surplus.
- 40. The downwards pressure on revenues and surplus of the incumbent service provider will be stronger when the long distance segment of basic services is liberalized. In that situation, the long distance service provider will be exclusively focusing on those subscribers providing relatively high revenues and surplus. To address that situation and to sustain the viability of the established basic service providers after liberalization of the long distance segment, it will be necessary to further re-balance tariffs.
- 41. Substantial competition for the incumbent's market share is also envisaged in the draft Telecom Policy 1999, which indicates that competition to basic service providers will arise not only from other basic service providers but also from those providing other services (including, for instance, internet service providers).

#### Competition and possibility of maintaining high prices

42. It is not possible to have healthy competition in any market and sustain prices which are substantially above costs, such as India's tariffs for long distance and international calls. The practical consequence of such pricing regime will be to draw the attention of the competitor towards weaning away subscribers making such high priced calls, and hence to "cream skim" the market. Such a likelihood is particularly high when a very small subscriber base accounts for a large share of call revenues. This is the situation in India, where 2.7 per cent of suscribers account for 46 per cent of the call revenue, and 5.2 per cent subscribers account for about 56 per cent of call revenue (see Table 1). The contribution of these subscribers to surplus is likely to be even larger. This shows that the incumbent is highly vulnerable to loss of these subscribers, and loss of these high revenue subscribers to competitors will seriously affect network expansion.

Table 1. Share of subscribers making total number of calls, 1996-97

Number of bi- monthly metered calls →	0	1 to 150	151 to 500	501 to 1,000	1,001 to 2,000	2,001 to 5,000	5,001 to 10,000	Above 10,000	TOTAL
(a) Share of total subscribers making calls bi-monthly (%)	4.2	12.6	34.9	21.3	14	7.9	2.5	2.7	100
(b) Share of total metered calls by the subscriber categories given in row (a) above (%)	0	0.7	7.4	10	11.6	13.4	9.8	46.1	100

Source: DOT

Note: This is based on data from large cities According to the DOT, the shares are similar for a larger sample of subscribers.

- 43. Addressing the potential loss of revenue and surplus base due to competition requires reducing the charges for long distance and international calls. In any event, if prices are flexible, competition for this "creamy layer" of subscribers will involve a reduction in these tariffs. If the only tariff change is a reduction in these tariffs, it will imply a loss of revenue and surplus base, mitigated to some extent by the increase in volume due to the price decline. Making up for the revenue loss requires that certain other tariffs have to increase, i.e. those tariffs which are below costs or are not high enough to attract competition from other operators. This is the process of tariff re-balancing.
- 44. The need for tariff re-balancing arises also for another reason, namely, the ongoing decline in the accounting rates applied to international calls. With reduction in these rates, and the consequent fall in international call charges, pressures will generate for making a compensating increase in local call charge and/or rentals.
- Two important considerations provide limits to any tariff re-balancing exercise, namely, affordability of the revised tariffs, and the need to ensure that the revenue base is not reduced so much that the development plans for the sector are jeopardized. Both these limitations, addressed in greater detail below, influenced the Authority's decision in specifying tariffs in this Order. For example, even after the full implementation of the new tariffs, the ratios of long distance and international calls to local calls for India will remain very high in comparison to

those prevailing in certain countries where substantial tariff re-balancing has already taken place (see Table 2 below).

Table 2. Ratio of upper end of charges for domestic long distance calls and international calls to local calls

Ratio of:	India	India	UK	Denmark	South Africa	Sweden
	Present	New				
Charge for highest domestic long distance call to charge for three minute local call	90 (150, with five minute local call)	52	10	14	13, proposed to be decreased to 4.5	15
Charge for highest international call charge to charge for three minute local call	180 (300, with five minute local call)	101	20	36	NA	30

Source: Tables AII.4 and AII.25 of the Second Consultation Paper, and discussions with the Telecom Regulator for South Africa.

#### (b). Affordability of Tariffs

- 46. Specified tariffs have been so devised as to mitigate the effect of adjustment, in particular for low callers, and to continue giving an impetus to increased teledensity. In addition, the Authority would encourage greater promotion of shared access to the network (including through franchisee EPABX), greater promotion of the PCO network, and improving the quality of service available to subscribers.
- 47. The Authority is of the considered opinion that the specified tariffs will not have any adverse effect on affordability. A number of factors relevant in this context have been mentioned earlier. In addition, since 1993, incomes have risen, and a reduction in long distance call charge increases affordability, particularly for rural subscribers and those using STD PCOs/VPTs. Furthermore, call charges under this Order will remain unchanged (for local calls) or will decline (for STD/ISD) during the next three years, while incomes will continue increasing. For more than 70 per cent of the subscribers, i.e. those at present making up to 1,000 calls bi-monthly, rentals will remain unchanged for the next three years. Affordability will therefore improve for these subscribers during the next three years.
- While it is clear from the above that affordability has increased for those using STD PCOs/VPTs, for others an assessment of affordability requires a consideration of the impact on the bills of subscribers, in comparison to their incomes. However, certain complications are introduced in any such comparison

because of the extension of local call area and due to this Order specifying that local call charge will apply to STD calls up to a distance of 50 kms. These changes imply that with an average call holding time less than three minutes, a metered call after implementation of this Order will in all likelihood be equivalent to more than one metered call under the present tariffs. For example, previously one call of just less than three minutes for the distance range 36 to 50 kms. counted as five local calls. With the revised tariffs, such a call will be equivalent to only one local call.

#### Estimates of the Bills Due to the New Tariffs

- 49. Any comparison of the present bills and those arising due to the new tariffs must also bear in mind the possibility of reducing expenditures for low users through the option of shared access. In addition, the tariff policy under this Order provides for a possibility of different tariff packages that can be used by the service provider to address particular needs of certain low users. The Authority has also kept in view the provision of high quality PCO services.
- 50. The Tables below give certain illustrative monthly charge for two subscriber categories, i.e., those in rural areas currently paying the lowest rentals, and those in metro areas.

Table 3. Monthly Charges For Rural Subscriber At Present Paying Bi-Monthly Rental of Rs, 100

No. Of Metered	Equivalent to	Present	Monthly Charge	Difference in
Calls Bi-Monthly	Number of Metered	Monthly	With New	Monthly Charge
	Calls Per Day (First	Charge	Tariffs	
	column divided by			
	60)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
120	2.00	50	70	20
150	2.50	50	70	20
200	3.33	50	90	40
250	4.17	50	110	60
300	5.00	65	130	65
350	5.83	80	150	70
400	6.67	95	170	75
450	7.50	110	190	80
500	8.33	130	210	80
600	10.00	180	250	70
700	11.67	230	290	60
800	13.33	280	330	50
900	15.00	330	370	40
1000	16.67	380	410	30
2000	33.33	1,005	1,010	5
3000	50.00	1,705	1,610	- 95
4000	66.67	2,405	2,210	- 195
5000	83.33	3,105	2,810	- 295

Note: Impact of new tariffs on subscriber's monthly charge is calculated under the assumption that no long distance calls are being made. With such calls, the bill under

new tariffs will be lower than shown in the Table. For general subscribers, i.e. those making more than 1,000 metered calls bi- monthly, compared to the estimates in the Table, monthly bills will be Rs. 25 more in second year and Rs. 50 more in the third year of implementation. The charge above does not include service tax.

Table 4. Monthly Charges For Metro Subscribers

No. Of Metered Calls Bi-Monthly	Equivalent to Number of Metered Calls Per Day (First column divided by 60)	Present Monthly Charge	Monthly Charge With New Tariffs	Difference in Monthly Charge
120	2.00	(Rs.)	(Rs.)	(Rs)
150	2.50	190	265	75
200	3.33	210	290	80
250	4.17	230	315	85
300	5.00	250	340	90
400	6.67	290	390	100
450	7.50	310	415	105
500	8.33	330	440	110
600	10.00	380	490	110
700	11.67	430	540	110
800	13.33	480	590	110
900	15.00	530	640	110
1000	16.67	580	690	110
2000	33.33	1,205	1,290	85
3000	50.00	1,905	1,890	- 15
4000	66.67	2,605	2,490	- 115
5000	83.33	3,305	3,090	- 215

Note: Impact of new tariffs on subscriber's monthly charge is calculated under the assumption that no long distance calls are being made. With such calls, the bill under new tariffs will be lower than shown in the Table. For general subscribers, i.e. those making more than 1,000 metered calls bi-monthly, compared to the estimates in the Table, monthly bills will be Rs. 30 more in second year and Rs 60 more in the third year of implementation. The charge above does not include service tax.

- As expected in a tariff re-balancing exercise with high long distance and international call charges and low rentals and local call charges, subscribers making fewer number of metered calls experience an increase in bills and subscribers making larger number of calls, reduction in their bills.
- The above estimates of monthly bills due to new tariffs can be considered together with the estimates of the proportion of households which can afford specific levels of monthly expenditure on telecom. These are given in the next section, where the data and analysis suggests that, for example, 42 per cent of rural households will likely be in a position to afford making up to 300 calls bimonthly (or 150 calls monthly). And these calls are in effect larger in number than the equivalent number of calls in the previous situation because of the

extension in local call area and reduction in long distance call charges. Similarly, in the metro area, 37 per cent of the households are likely to be able to afford a telephone, and about 17 per cent likely to be able to afford up to 400 calls bi-monthly (or 200 calls monthly). Since incomes will keep increasing during the next three years but tariffs for these households will remain unchanged, a larger proportion will be able to afford these number of calls. This suggests that with a present teledensity of 2 per hundred in India, there is likely to be adequate demand for basic services under the new tariff regime.

#### Income Levels of Households

- 53. Affordability of telecom tariffs depends on income levels, the proportion of income normally spent on telecom (i.e. income "available" for spending on telecom), and the amount of monthly charges in comparison with the income "available" for spending on telecom.
- 54. The National Council for Applied Economic Research (NCAER) has conducted a survey which, *inter-alia*, covers changes in Indian rural and urban household incomes over time. This survey brings out that there has been a substantial increase in household incomes over time, both for urban and rural households. The survey also gives information on the proportion of total households with different income levels.

Table 5. Average Annual Growth of the Household Membership of Different Income Categories, 1992-93 to 1995-96

Category of Monthly Income at 1995-96 prices	Average Annual Growth Rate of Urban Households (%)	Average Annual Growth Rate of Rural Households (%)
Up to Rs. 2,083 per month	- 7,03 %	- 3.03 %
From Rs. 2,083 to Rs. 4,166 per month	+ 5.46 %	+ 10.22 %
From Rs. 4,166 to Rs. 6,416 per month	+ 11.96 %	+ 3.11 %
From Rs. 6.416 to Rs 8.833 per month	+ 11.90 %	+ 12.25 %
Above Rs. 8,833 per month	+ 18.22 %	+ 15.68 %

Source: From Table 3.3 of I. Natarajan, 1998, <u>India Market Demographics Report, 1998</u>, NCAER, New Delhi.

55. The income levels in the NCAER analysis are in terms of 1995-96 prices. To obtain a more accurate current picture with regard to affordability of tariffs, these levels need to be adjusted by a factor showing an increase in nominal income for 1998-99 or 1999-2000. We consider here a factor of about 25 per cent (an underestimate) to get the equivalent income levels in terms of 1998-99 prices.

Table 6. Proportion of Households in Urban and Rural Areas in Different
Income Groups, 1998-99

income Groups, 1770-77		
Monthly income levels (Rs., estimated 1998-99 prices)	Proportion of urban households in the income levels (%)	Proportion of rural households in the income level (%)
Up to Rs. 2,600 per month	27.9 %	57 2 %
From Rs. 2,600 to Rs. 5,200 per month	34.9 %	29.0 %
From Rs. 5,200 to Rs. 8,000 per month	20 3 %	86%
From Rs. 8,000 to Rs. 11,000 per month	9.6 %	3.1%
Above Rs. 11,000 per month	7.3 %	2 0 %

Source: Based on Table 3.2 of I. Natarajan, 1998, <u>India Market Demographics Report</u>, 1998, NCAER, New Delhi.

56. The income levels for different household categories in the Table above are estimated for 1998-99 prices, but the share of households for these income levels are those for the year 1995-96. Since incomes have been increasing over time, the actual share of households in higher income slabs will be more than the shares depicted in the Table. This underestimation of the share of households in higher income groups would increase if we consider the income levels in terms of 1999-2000 prices, i.e. in terms of the prices in the first year of implementation of the new tariffs.

#### Affordable Monthly Bills Calculated on the Basis of Share of Income Spent on Telecom

To get a better idea about affordability, income levels have to be combined with the proportion of income spent on telecom. Specific information on this aspect is not available for India. The International Telecommunications Union has estimated that on average households spend 5 per cent of their incomes on telecom in developing countries (see for example, page 36 of ITU, "World Telecommunication Development Report 1998"). This provides us with a basis to calculate the amount of monthly expenditure on telecom by the income categories given above. Alternatively, five per cent of the monthly income levels in the Table above shows the amount of monthly bills that households with the above income levels are likely to find affordable (see Table below for this estimate). However, since income levels are increasing, the estimates of households with capacity to pay specified levels of monthly telecom bills are likely to be underestimates of the situation in 1999-2000.

Table 7. Estimated distribution of households with capacity to pay various levels of monthly telecom bills

Monthly Telecom Billss (Rs., 1999-2000 estimates)		Share of rural households with estimated capacity to pay the monthly bill (%)
Up to Rs. 130 per month	27.9 %	57.2 %
From Rs. 130 to Rs. 260 per month	34.9 %	29 0 %
From Rs. 260 to Rs. 400 per month	20.3 %	8.6 %
From Rs. 400 to Rs. 550 per month	9.6 %	3 1%
Above Rs. 550 per month	7.3 %	2.0 %

58. At present, total teledensity in India is estimated at 2 per hundred, while that of the rural areas is about 0.4 per hundred. Taking average household size into consideration, the above estimates and the bills arising from the new tariffs suggests that there is likely to be more than adequate demand for the telephone service provided at present and planned for the near future.

#### (c). Revenue implications of the specified tariffs

- With regard to revenue implications, there were two dominant views expressed in various comments. One, expressed by service operators, most importantly the DOT, was that there will be a decline in revenues due to the tariffs that were proposed by the Authority. The other view, expressed mainly by consumers, was that there should be a decrease in revenues of the DOT because it had a high surplus and some of it should be passed on to the subscribers. In contrast, the DOT argued that in effect there is no surplus because all its funds are re-invested to extend the network.
- 60. The Authority is of the view that one must distinguish between a surplus and its use. Thus, the DOT has a particular surplus, which it then utilizes for specified expenses. The Authority recognizes that the DOT has to play a major role in the development of India's telecom network, and it should have sufficient resources for that purpose. According to the Authority's estimates of the effect of new tariffs, resources available with the DOT will be sufficient to finance, without resort to excessive market borrowing, their expansion programmes which are envisaged in the Perspective Plan for the years 1997-98 to 2006-2007 (see below for details).

61. Before considering the effect of new tariffs on DOT's revenues, it is necessary to consider the estimates of DOT anticipated revenues if prevailing tariffs were to continue for the next three years. These amounts are estimated as follows, using assumptions similar to those underlying the DOT's calculations provided to the TRAI.

Table 8. Projected Revenues for DOT Under Prevailing Tariffs (i.e. Current Tariffs Being Maintained Also for Next Three Years)

Year →	1999-2000	2000-2001	2001-2002
Projected Revenues			
(Rs. Crore)→	23,181 23	27,119 17	31,463 35

Comparison of DOT's and TRAI's estimates of revenue implications of the new tariffs

The DOT has provided the Authority with its estimate of the revenue implications of the new tariffs for the next three years. These estimates are based on the premise that the decrease in tariffs for domestic long distance and international calls will not result in any increase in the volume of these calls. Such an assumption tantamounts to suggesting that the Indian subscribers is price insensitive, even when the extent of tariff decline is substantial. Though there is no direct evidence of the price response of Indian subscribers, there is some anecdotal evidence which suggests that the volume response to price decline will be substantial. In fact, even the DOT in its presentation before the Standing Committee had acknowledged that there may be a volume increase of 10 to 25 per cent due to the decline in tariffs proposed by the Authority. In specific, the Report of the Standing Committee states at paragraph 16 that

"The Committee desired to know the basis for this optimism. In reply representative of the DOT stated in evidence that Demand cannot rise hundred per cent. Tariffs have been reduced by 50 per cent. In order to stay at the same level of revenues, demand must rise by hundred percent or more which is not possible. Demand may rise only about 10 to 25 percent" (emphasis added)

63. The Authority is of the view that volume of STD/ISD calls is likely to increase by at least 10 to 25 per cent, if not more, when tariff reductions for these calls come into effect. Therefore, though the Authority's estimates of revenue implications given below include the scenario of no volume change, the relevant estimates to be considered are those with 10 per cent increase in volume of long distance and international calls in the first year of tariff reform, and 25 per cent volume increase in subsequent years.

Table 9. DOT's and TRAI's Calculations of the Revenue Implications for DQT

	DOT's	TRAI's	TRAI's estimate	TRAI's estimate	
	estimate of	estimate with	with 10 per cent	with 25 per cent	
	revenue	no change in	increase in	increase in	
	response to	volume of	volume of STD	volume of STD	
	new tariffs	traffic in	and ISD traffic in	and ISD traffic	
		response to	response to	in response to	
	(Rs. Crore)	tariff decline	decline in their	decline in their	
		for STD and	tariffs	tariffs	
		ISD calls	(Rs. Crore)	(Rs. Crore)	
		(Rs. Crore)			
Increase in					
revenue from					
rentals					
1999-2000	1,275 813	1,432.40	1,432.40		
2000-2001	1,827 93	1,911.25	1,911.25	1,911.25	
2001-2002	2,355 30	2,491 13	2,491 13	2,491.13	
Revenue change	, _				
for local call				]	
calculated on the					
basis of change of	1				
overall average		I			
price			<u> </u>		
1999-2000	- 253.82	- 264 63	- 264.63		
2000-2001	- 296 96	- 309 60	- 309 60	- 309.60	
2001-2002	- 344 51	- 359 18	- 359 18	- 359.18	
Additional					
revenue from					
calls that exceed	ļ		}		
more than three				1	
minute pulse					
(10.9 % of total			}		
local calls)	ļ · ·	<u> </u>	<u> </u>		
1999-2000	574.31	600 18	600 18	702.16	
2000-2001	671 90	702.16	702 16	702.16	
2001-2002	779,50	814 60	814.60	814 60	
Additional	:				
revenue from	i.				
reduced free call	!				
allowance	ļ				
1999-2000	375.55	362.81	362.81		
2000-2001	439.01	427.37	427.37	427.37	
2001-2002	512 08	500.36	500 36	500 36	

Revenue change				
for domestic long				
distance				
1999-2000	-2,050.14	-2,265.07	-1,444.56	
2000-2001	-4,038.08	-4,193.25	-3,387 73	-2,179 05
2001-2002	-5,820.40	-5,939 44	-5.112.31	-3,871 12
Revenue change				
for international				
calls				-a
1999-2000	5 - 646 95	-683 11	-453.11	
2000-2001	-1,247 66	-1.270 83	-1,048 80	-714.83
2001-2002	-1,975.88	-1,983.52	-1,776.52	-1,465 52
TOTAL OF				
<u>ABQVE</u>				
1999-2000	- 725 24	- 817 42	233.09	
2000-2001	-2,643,85	-2,732.90	-1,705,42	- 162 70
2001-2002	-4,493 91	-4,476 05	-3,441 92	-1.889.73
TOTAL OF				
<u>DOT'S</u>				
<b>ESTIMATE</b>				
<u>INCLUDING</u>		į		
LEASED LINES				
REVENUE			_	
1999-2000	-1,075 24	NA	NA	NA
2000-2001	-3,067.69	NA	NA	NA
2001-2002	-5,006.75	NA	NA	NA

## Notes

- (i) NA = Not Applicable for reasons given below;
- (ii) DOT's estimates of rentals do not include any "commercial user subscribers", while TRAI's estimates include them. The share of commercial users subscribers does not affect the estimates in the third year, i.e. in year 2001-2002. For the other two years, if there were no business subscribers, the revenues would decrease, respectively by Rs. 157.51 crores in 1999-2000, and Rs. 92.12 crores in 2000-2001.
- (iii) For domestic long distance calls, DOT's estimate does not explicitly include any revenue implication of altering the last off-peak pulse rate from one-fourth to one-third. The TRAI estimate includes it on the basis that during discussions with DOT, it had been mutually agreed that such a change would be taking place
- 64. The Table above shows that without considering leased line revenues, the estimates provided by the DOT correspond closely to the aggregate effect calculated by the Authority under the assumption that a price decline for long distance and international calls will have no impact on volume of calls. Such an assumption is, however, not correct and revenue implications have to be seen on the basis of some estimate of volume response. As explained above, we do this for a range of 10 per cent for the first year, and 25 per cent for the next two years.

- The Authority does not share the DOT's perception of revenue loss for leased lines. It is the view of the Authority that the significant price decline for leased lines will give rise to a greatly enhanced demand for this service, which will more than compensate for the price reduction. At any rate, any alleged revenue loss from leased lines cannot be sought to be made good from increased tariffs for basic services.
- This conclusion is further strengthened by the fact that the Authority's estimates above are likely to show a lower positive effect on revenues than is likely to be the position because
  - With an increase in the local call area and rise in the use of internet, the share of local calls in total metered calls will increase. Both the higher share of local calls, and the increase in calls of more than 3 minute duration due to internet use, will imply lower revenue loss than calculated in the Table above. The off peak rates might not be half and one-third as at present but higher; The Authority expects a greater surge in telephone use than that considered above. This will be due to greater flexibility provided to service providers and greater expansion of PCOs for the public which does not have access to DELs.

The revenue estimates are calculated on the basis of constant revenues per DEL However, there is now a tendency towards a reduction in revenues per DEL because, *inter-alia*, the additional DELs are being used less intensively than average. Factoring this aspect in the calculations would imply a lower estimate of the revenue loss than is shown in the Table above:

- A major point that is missed in the estimates of revenue impact is that rebalancing of tariffs would result in the DOT losing lower amounts of revenues when they lose their high paying subscribers to competitors
- The discussion above suggests that.
  - In the first year of new tariffs, there is likely to be a surplus for the service provider:
  - In the second year, there might be a surplus or a small deficit;
  - In the third year, the reduction in DOT revenues might be about 3 to 5 per cent.

## Adequacy Of the DOT Revenues With New Tariffs

- 68. If the requirement of revenue for any investment is lower than otherwise estimated, this is equivalent to an increase in revenue available for that expenditure.
- The reason for DOT's concern that its revenues should not decrease significantly is that it needs these revenues (and surpluses) to meet the plan targets for expanding the network. In this context, it is noteworthy that an amount of Rs 49,362 on a per DEL basis was estimated as revenue requirement for the ten year Perspective Plan (see, for example, paragraph 13 of the Report of the Standing Committee). Later, for the IXth Plan, this amount was Rs. 45,000. A closer

consideration of the data shows Rs. 43,000 as the per DEL revenue requirement to meet the plan outlay during the five year period up to 2001-2002. In contrast to these estimates, the actual annual capital expenditure per new DEL added by DOT/MTNL is given in the Table below

Table 10. DOT/MTNL's annual capital expenditure per new DEL added

Year →	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
Amount						
(Rs.				}		
Thousand)						
<b>→</b>	46 2	46.7	45.4	38.5	37.6	32.8

Source DOT, Annual Report 1997-98.

- The actual annual capital expenditure per additional DEL was as low as about Rs. 70. 33,000 in 1996-97. This is drastically below the figure of Rs. 43,000 mentioned above, which implies a large saving of costs (and hence of revenues required) even if we consider the annual capital expenditure per additional DEL for the year 1995-96. Hence, if we take Rs. 38,000 instead of Rs. 43,000 as the revenue required on a per DEL basis, and combine this reduction in investment requirement for the proposed number of additional DELs to be installed by the DOT during each of the next three years, we obtain a reduction in revenue requirements for DOT ranging between Rs. 1,850 crore to Rs. 2,250 crore. Adjusting the revenue implications given above by these amounts shows that in the first year there is excess revenue even if volume does not change in response to price decline for STD/ISD, in the second year there is excess revenue if volume response is 10 per cent, and in the third year such excess revenue arises with a volume response of 25 per cent. The excess revenue would be even higher if the revenue requirements were taken as Rs 33,000, i.e. the amount of actual capital expenditure per additional DEL in 1996-97
- 71. The Authority considers the scenarios with lower revenue requirements as very plausible, and is therefore of the opinion that the DOT will have adequate resources to fund its expansion plans after the new tariffs are implemented. And this would be so after the DOT has met all its investment requirements in rural areas, even under operational cost conditions that are likely to be less advantageous than those for the private sector. The Authority has noted that the revenue requirements to cover the expansions of larger network, which constitute a significant share of the total, will be steadily going down.

## Revenue implications for other basic service providers

72. The Association of Basic Service Operators (ABTO) had provided certain estimates for cost-based tariffs, they had calculated a cost based tariff of Rs. 2.38 to Rs. 2.97 per call. However, with these estimates, the cost based average tariffs for long distance and international calls would be much lower than those estimated in the Second Consultation Paper. The Authority is of the view that the

ABTO's estimate gives an over-estimate of the cost based charge for local calls. Even otherwise, in effect, the ABTO submission shows a larger extent of tariff rebalancing than is embodied in the tariffs in this Order, or in the proposals contained in the Second Consultation Paper. The Authority is of the opinion that the private sector will continue to be viable under the new tariff regime

## A general review by the Authority after one year

- 73. The Authority has decided that it will monitor the situation in regard to revenues and traffic and, if necessary, intervene provided the actual situation differs substantially from the expectations assumed in this exercise.
- (2) Items Addressed in Various Schedules
- I. Items Addressed in Schedule I: Basic Services (Other than ISDN)

## Rural/Urban Subscribers, and Low User Subscribers and Others

- 74. The Second Consultation Paper had distinguished between rural and urban subscribers with respect to rentals but not for call charges or free calls. The Order extends the distinction to include also call charges for those subscribers making up to 1,000 metered calls bi-monthly. In addition, the prevailing registration and installation charges as ceilings ensure that these conditions of the present rural package continue to apply. Further, a higher free call allowance is provided for rural subscribers than for urban subscribers. This is mainly to smoothen the extent of adjustment required for rural subscribers, and to provide them with relatively higher concessions for access to and use of the telecom services
- 75. The objective of reducing the adjustment burden for subscribers in general is one of the reasons for the Authority creating the category of "low user subscribers", and providing them with both a lower rental and call charge. The coverage of "low user subscribers", i.e. those making up to 1,000 calls bi-monthly, is an attempt to address another objective that was emphasized by many during the consultations, i.e. separation of the group of residential subscribers and business subscribers
- The Authority had consulted on (and had expressed a need to establish) a category for business subscribers. The normal methodology would be to charge a higher rental but a lower call charge for such subscribers in comparison to residential subscribers. With the Order giving flexibility to the service provider to offer alternative tariff packages, the service provider is free to provide any business tariff package with higher rentals and lower call charges. If service providers so desire, they are free to provide the existing tariffs as an alternative package to low end subscribers.
- 77. In addition to the flexibility mentioned above, the Authority has decided to provide for a tariff package for business subscribers under the category "Commercial users subscribers". The rules for classifying subscribers as commercial user subscribers will be laid down by the Authority after a

consultation process to consider the various issues involved. In the interim, commercial subscribers will be those who opt for the rental category specified for this category

- 78. "General user subscribers" is another category specified by the Authority. This category is at present distinct from of that of commercial user subscribers only in the first two years of implementation, i.e during April 1999 to March 2001. Further, in the first year of implementation it coincides with the category "low users subscribers" subscribers, so that there is easier adjustment to the specified rental increases for these subscribers
- Since the subscriber categories "low user subscriber" and "general user subscriber" are defined in terms of number of metered calls, it is possible that a particular subscriber might be part of more than one category during any year. However, this problem does not arise in the first year of implementation because, as mentioned above, these two categories are in effect combined during that period. The procedures for addressing this problem will be decided later this year so that the issue can be adequately dealt with when it becomes relevant after 31 March, 2000

## Rentals

- Though the rentals proposed in the Second Consultation paper were not cost based they were commonly perceived to be as such. In its proposals, the Authority had rejected cost based estimates of rentals on the ground that they were very high. Instead, rentals were proposed in general by increasing the levels prevailing in 1993 to account for the inflation rate and some of the real income increase since then. The consequent rentals proposed by the Authority were substantially below the cost based rentals, mainly with the objective of making them affordable.
- The issue of affordability of rentals has already been discussed in above. This aspect was widely emphasized during the Authority's consultations, and rental was one of the issues emphasized in this regard. The Authority therefore has devised a category of "low user subscribers" with lower rentals for those with relatively lower bills. The increase in rentals for this category of subscribers ranges between 30 to 40 per cent for most subscribers. These rentals have been increased after 1993, and they will remain unchanged for the three year period 1 April, 1999 to 31 March, 2002. About 70 per cent of subscribers will not have any increase in rentals after the first year because they will be low users.
- 82. Since the constraint of affordability is not as binding for business subscribers, rentals for commercial user subscribers have been fixed at the levels proposed in the Second Consultation Paper. For others, i.e general user subscribers, a transition to the proposed rental has been provided. In year 1999-2000, rentals for general users are the same as for low users. They will increase in the second and third year towards the levels which were proposed as rentals in the Second

Consultation Paper. It should be noted that general subscribers are those making more than 1,000 metered calls bi-monthly and are among the upper 30 per cent of the subscribers in terms of their bills. These subscribers have a greater capacity to bear the increase in rentals. For example, with the above-mentioned statistic that on average five per cent of income is spent on telecom, income levels for general user subscribers in metro areas would be above Rs. 13,800 per month, and in rural areas above Rs. 8,200 per month

83. With regards to the cost basis for rentals, one comment was that the basis considered in the Second Consultation Paper for costs was an over-estimate. It was stated that the relevant capital base to be considered for costs was that for the local loop, and not the whole local network as considered in the Second Consultation Paper. The Authority is continuing to look into which network elements should be taken into account to determine the cost basis for rentals. With a lower capital cost base, there is also a need to take account of a portion of the operating costs in the relevant cost base for rentals. That too is a matter for further consideration by the Authority, and will also be a part of the analysis regarding cost based access charges. It is worth recalling that the rentals specified (or earlier proposed) by the Authority were much less than the amounts derived on its estimate of the relevant cost base.

## Rentals for PBX, PABX and EPABX

- 84. Three categories have been considered for PBX, PABX and EPABX. Rentals for both-ways and outgoing junctions taken by franchisees of Group PBX, PABX or EPAX has been specified to be ceilings equal to the rentals for commercial user subscribers. A minimum reduction of Rs 50 per month has been specified for incoming junctions. For extensions taken by users, rental of Rs 125 monthly has been prescribed, thus providing a possibility to have cheaper access than for the higher rental categories for DELs. The schedule also specifies that in addition to service providers, franchisees will be allowed to give alternative tariff packages to extension users.
- 85. Rentals for both-ways and outgoing junctions for Subscriber Owned, and Service Provider Owned, Group PBX, PABX and EPABX have been specified as ceilings equal to the highest cost based rentals calculated in the Second Consultation Paper. A minimum reduction of Rs. 50 per month has been specified for incoming junctions. For Service Provider owned PBX, PABX and EPABX exchanges, the Authority has forborne with regard to rentals and installation charges for those exchanges. In the Authority's view, the present tariffs for these two items are high, and further study and consultation are needed to decide on revised tariffs for them. This will be done later this year.

## Pulse Rate and Call Charge for Local Calls

The Second Consultation Paper had proposed a ceiling tariff of Rs 1.30 per metered call. This was based on the information available earlier that the share of

local calls in total metered calls was close to 25 per cent and the holding time for local calls was 2.5 minutes. Further information received from the DOT during the consultation process showed that the share of local calls in total is closer to 30 per cent, and the holding time is less than 3 minutes and may not be less than 2.5 minutes.

- 87. The Second Consultation Paper's proposal of 3 minute pulse for local calls is now specified in the schedule as the pulse rate for local calls
- 88. Further, as mentioned in the Second Consultation Paper, the Authority intends to introduce a pulse rate of 60 seconds for local calls after two years, together with the corresponding reductions in pulse rates for long distance calls and the call charge per pulse.
- On the basis of the operational costs allocated to local calls in the Second Consultation Paper and 30 per cent as the share of local calls in total, the cost of a three minute local call (without margin) is as follows
  - Rs. 0 86 to Rs 0 93 if average holding time of local calls is 3 minutes;
  - Rs 0.92 to Re 1.00 if average holding time for local calls is 2.8 minutes;
  - Rs 1.03 to Rs 1.12 if average holding time of local calls is 2.5 minutes
- The Authority has specified three different charges per metered call
  - For the first 500 metered calls per month in a billing cycle, Rs 0 80 per metered call for rural subscribers;
  - For the first 500 metered calls per month in a billing cycle, Re 1 00 per metered call for urban subscribers,
  - For more than 500 metered calls per month in a billing cycle, Rs | 1 20 per metered call for both rural and urban subscribers
- The call charge for the first 500 metered calls per month in a billing cycle for rural subscribers is less than the lowest estimated cost based charge without any margin. The corresponding call charge for urban subscribers (again without margin or with a small margin) is equivalent to that estimated with average call holding time of 2.8 minutes. With a call holding time of 2.5 minutes, this tariff would be below cost
- For calls in addition to the first 500 metered calls per month in a billing cycle, a margin of 20 per cent has been provided above the upper limit of the cost based charge with holding time of 2.8 minutes. This also provides a margin on the upper limit of cost cased charge (Rs. 1.12) estimated for average holding time of 2.5 minutes.

## Call charge for PBX, PABX, EPABX, and PCOs/VPTs

93. A call charge of Rs. 1.20 has also been specified for calls from PBX, PABX, EPABX and STD PCOs/VPTs.

- 94. The Second Consultation Paper had suggested a lower call charge for rural PCOs in comparison to urban PCOs. The comments on this issue suggested the Authority not to have dis-similar call charges for rural and urban STD PCOs, because otherwise there will be increasing instances of tariff bypass through call forwarding from rural PCOs. The Authority has therefore specified the same tariff for PCOs in both urban and rural areas, i.e. Rs. 1.20 per metered call. In the case of STD/ISD calls from PCOs, an additional charge of Rs. 2 per call (irrespective of duration) is specified as service charge collected by the PCO operator, similar to the prevailing situation.
- 95. In contrast to the situation for STD/ISD calls, the Authority has specified different tariffs for local calls from rural and urban PCOs/VPTs. The tariff from rural areas will continue to be Re. 1 per metered call, with the pulse duration being 3 minutes. For urban areas, Rs. 1.20 per metered call is specified for a pulse rate of three minutes.
- 96. Together with a reduction of local call charge from the proposed Rs. 1.30 to Rs 1.20, the Authority has reduced the charge for coin collection boxes (CCBs) from the proposed Rs. 2 per three minute call to Re: 1 per three minute call. This is in line with the lower call charge for urban subscribers, and the constraint of the coin unit to be used for CCBs.
- 97. A number of other issues were raised during the consultation process with regard to PCOs. These include, for example, commissions, additional lines for PCOs/VPTs, quality of service, license fee, and allotment of PCOs/VPTs The Authority will deal with these issues separately.

## Domestic long distance call charge

- 98. In the Second Consultation Paper, there was a link between the proposed rentals and long distance and international call charges. The difference between cost based rentals and the proposed rentals was added to the cost base for calculating these charges. Using this methodology, the lower rentals now specified for low user subscribers imply an increase in long distance and international charges. Thus, the final levels specified for these tariffs are now slightly more than those proposed earlier for most distance categories. In addition, the transition to these levels has been made more gradual in the first year of implementation to address the revenue implications that might arise on account of lower rental increases. This latter change addresses the suggestions by service providers for a slower implementation of tariff declines for domestic long distance and international calls.
- 99. Service providers had strongly argued for retaining the distance slab of "Above 1,000 kms." The Authority has at present decided to maintain this slab because it makes it possible to achieve a smoother implementation of the reduced tariffs for long distance. Retaining this distance slab implies a separate distance slab of

- "Above 500 to 1,000 kms." with a tariff lower than the tariff ceiling that was proposed for the combined distance slab of "Above 500 kms."
- 100. There was also a suggestion to retain the distance slab of "36 to 50 kms". The Authority has decided not to alter its initial proposal of having the first distance slab of 0 to 50 kms., and of applying to this slab an STD tariff same as for a local call. This STD tariff policy brings the distance based tariffs more in line with the tariffs arising after the extension of the local area to become co-terminus with the SDCA. In other words, it makes the application of the Order extending the local area to SDCA more consistent with a distance based charging principle.
- 101. The Authority will closely monitor the developments with regard to domestic long distance and international calls. The information will provide a basis for any further policy responses of the Authority in this context, including the tariffs and interconnection charges that should apply for preparing for any liberalization in the long distance segment of the market.

## International call charge

102. For reasons similar to those mentioned for domestic long distance calls, tariffs for international call charges have also been increased slightly, and their pace of implementation has been made slower than that proposed earlier for the first year. As in the case of the proposal in the Second Consultation Paper, tariffs for calls to SAARC and other neighbouring countries are the same as those for the highest distance slab in the case of domestic long distance calls.

## Charge for manual trunk calls (domestic)

- 103. Comments received by the Authority argued for a fixed charge (e.g. Rs. 5), plus an additional charge calculated for units of three minutes each. The Authority has considered three different categories of trunk calls:
  - ordinary booked calls;
  - other booked calls with special features such as demand calls, lightning calls, person to person calls, etc
- 104. The first category of calls is treated analogous to subscriber trunk dialed calls, with the difference that they should be charged some additional amount because of the use of an operator to assist in making the calls. The additional amount specified for these calls is in two parts. One part is a fixed charge of Rs 5 per call. The other gives a minimum duration and charge for a call. For the latter, the Authority has specified that the charge be the same as for a subscriber trunk dialed call, but the call be charged in units of one minute. Thus, the minimum charge will be Rs. 5 plus the STD charge for a one minute call. For calls more than one minute duration, the time period for charging will be calculated in discrete units of one minute each
- The prevailing booked trunk call tariffs are lower than the tariff for a three minute STD call for certain prevailing call charges. With a decline in tariffs for STD

calls, there should be a decline also in booked trunk call charges. This would also encourage the use of such calls by the large number of subscribers which have not taken STD facilities on their DELs. The Authority has reduced the minimum duration for charging booked trunk calls from three minutes to one minute not only to reduce the minimum call charge but also to give greater flexibility to the users in making these calls

- For other booked calls, such as demand calls, lightning calls, etc, the Authority has forborne with regard to tariffs.
- 107. The service providers will have to maintain a Table of charges for trunk calls. Users, including potential users, will have the right to see this Table when required by them.

## Charge for operator assisted international calls

- The basis for tariffs specified for operator assisted international calls is the same as for domestic calls, i.e. Rs. 5 plus the ISD call charge as appropriate, with the ISD charge being levied for discrete units of one minute each.
- The Authority has forborne with respect to the other types of international calls dialed using operator assistance, such as demand calls, lightening calls, etc.
- 110. The service providers will have to maintain a Table of charges for operator assisted international calls. Users, including potential users, will have the right to see this table when required by them.

#### Free call allowance

- The Second Consultation Paper had proposed a free call allowance of 120 metered calls bi-monthly, or 60 calls monthly. This was done by providing double the average number of metered calls made per day by subscribers making up to 150 calls bi-monthly.
- There was a strong body of opinion that the number of free calls should not be reduced, in particular for rural subscribers. However, with the extension of the local area to coincide with the SDCA, and a reduction in long distance call charges, each metered call after the new tariff is equivalent to more than one metered call prior to these tariffs. This would be particularly true of the rural area where a larger portion of total calls are long distance calls. Thus for example, a call just below three minutes duration to the relevant distance of 36 to 50 kms, would have counted as five metered calls earlier, it is equivalent to only one call after implementation of the new tariffs. Moreover, the overall impact of any reduction in free calls has to be seen in terms of affordability, an issue which has already been addressed earlier.
- Thus, for urban subscribers, the Authority has maintained its proposal on free calls, and has specified a free call allowance of 60 metered calls per month of the

billing cycle. For rural subscribers, in view of the larger share of long distance calls in total, and that the present free call allowance is much larger (250 metered calls bi-monthly), the Authority has decided to provide 75 metered calls per month of the billing cycle.

114. For all subscribers linked to PBX, PABX and EPABX, the Authority has not given any free call allowance. It must be borne in mind, however, that for these as well as for subscribers to DELs, alternative packages can be devised by service providers to give different combinations of rentals, call charges and free calls

## Billing cycle, fascimile, and other matters relevant for tariffs not specifically addressed in the Schedule

115. For all these matters, the Authority has decided for forbearance. The reason for forbearing with regard to billing period is that different service providers and subscribers may desire billing periods different from the present bi-monthly period used by the DOT. All these matters, however, will be subject to the reporting requirement and the Authority will intervene if there is any necessity for doing so

## II. <u>Items Addressed in Schedule II; Cellular Mobile Telecom Service (CMTS)</u>

## **Introduction**

- The existing tariff regime for cellular services, which is uniform across circle and metro operations, specifies prices in terms of ceilings. A conspicuous feature of the cellular market at present is the relatively low access charge (i.e. monthly rental) and a comparatively high usage charge. The maximum price that operators may charge for access is set at Rs 156 per month. For the three time categories, peak, standard and off-peak specified in the licence conditions, maximum prices for usage are set at Rs 16.80/8 40/4.20 per minute respectively
- 117. Empirical evidence on the cellular market suggests that the low monthly rental of Rs. 156 has allowed "easy" access to the cellular service, while the relatively high usage charge does not promote its usage. The price package thus obtainable attracts several subscribers who do not spend a large amount on the cellular service.
- 118. To a certain extent, operators have been able to circumvent the low access charge by way of *tariff plans* that charge a higher fixed fee, generally in addition to the monthly rental. It is likely that subscribers to these tariff plans will be those who in any case are the moderate to high users of the service. Thus the ceiling of Rs.156 could, and according to many operators and commentators does, result in a group of subscribers who are a "net cost" to the operator
- 119. At any given time, each operator generally has more than one tariff plan on offer.

  A careful examination of various tariff plans reveals that free airtime comes

- "bundled" with membership fee, and the amount of free airtime varies positively with the membership fee of the plan.
- 120. For calls originating from the cellular network and terminating on the fixed one, the subscriber, in addition to the air time charge, pays call charges as applicable to PSTN for local, STD or ISD. For mobile to mobile calls within the same cellular service area, only airtime charges are levied. Within the existing tariff structure, calls terminating on the cellular network have to be paid for and are subject to the same price ceilings as outgoing calls.
- 121 At present, the security deposit is Rs. 3000 and the installation charges Rs. 1200.

## Tariff Proposals

- 122. Against this backdrop, the Authority issued tariff proposals for CMTS in the Second Consultation Paper on Telecom Pricing. Among the salient features of the proposals were increases in the monthly ceiling of rental from Rs. 156 to Rs. 600 and a reduction in the highest airtime usage charge from Rs. 16.80 to Rs. 6 per minute.
- 123. The Second Consultation Paper showed that cost based tariff for circles taking into account circle licence fee would result in unacceptably high tariff levels. As a result, circle data was left out and the proposals were based on data of only the metros. The cost basis for deriving the tariff for rental included capital expenses and 50% of the licence fee. The cost basis for deriving airtime charges included operating expenses and 50% of the licence fee. Thus rental and airtime prices included a 50:50 split of the licence fee into capital and operating expenses.
- 124. A move toward the Calling Party Pays (CPP) regime in line with international practice was also proposed. In the proposals, tariff packages were allowed, provided that prices offered as part of a tariff package could not exceed the specified ceilings. In addition, a 45-day reporting requirement was proposed for tariff changes that the CMTS operator desired to introduce in the market.

#### Summary of the main comments

- Of the comments made on the proposals for cellular, an overwhelming majority was from service providers and the Cellular Operators Association of India (hereinafter COAI). Subscribers and Consumer Associations responded mainly to the proposals for Basic Services. The response can be broadly summarised as follows:
  - 125 1 Extension of the tariff arrived on the basis of metro data to circles not justified

The approach of extending the metro data derived tariffs to circles is questionable since there are large differences in the cost structure between circles and metros

Any decision regarding circle tariff must also take into account the high licence fees payable, which crucially affects the viability of the service providers.

# 125.2 Proposals that increase the degree of regulation and limit the flexibility of the CMTS operator

The 45-day reporting requirement for all tariff changes was perceived as being restrictive. The service providers submitted that tariff changes could be filed with the Authority within 3 days of introduction. Besides, it was stated that service providers be allowed the freedom to offer alternative tariff packages, provided that the package proposed by the Authority was always available to the subscriber.

## 125.3 Issues relating to the implementation of the CPP regime

Apart from the technical difficulty, service providers felt that implementing the CPP regime along with the attendant tariffs would result in a revenue loss to the service providers in the short term.

## 125.4 Revenue implications of certain proposals

Since the prime source of revenue for cellular operators is airtime, service providers submitted that the highest rate for airtime use of Rs. 6 per minute is low and would decrease revenues.

126. The Authority has given serious consideration to all the views expressed by service providers with regard to the proposed regime for CMTS. In addition, consumer interest has been kept in focus while deciding the tariffs for cellular services. The prices for certain category of calls viz. mobile to mobile long distance calls, which were not made explicit in the proposals, have also been addressed

## Differential Tariff Regime

- 127. As has been mentioned above, circle data were left out and the proposals based on data of only the metros. This was initially disputed by certain parties, who preferred the existing regime to continue in the circles until further review of the economics of circle cellulars. The COAl and the Industry have since had time to evaluate TRAI's tariff proposals in detail and they too now support the implementation of these tariffs for metros as well as circles
- 128. Although a differential tariff regime for metros and circles can be theoretically conceived, the Authority, at present, favours a uniform tariff regime across the Industry.

#### Deposits and Installation charges

129. The prevailing charges as specified in the licence shall be the ceiling for Deposits and Installation charges. With regard to STD and ISD deposits, the Authority has decided to forbear (refer to the section on general issues for more details).

## **Standard Hours and Concessional Hours**

- 130. In the second Consultation paper, the Authority had proposed a classification between peak and off-peak hours, with peak hours being subject to a ceiling of eight hours in a calendar day It has now been decided to adopt a different nomenclature for categorisation of hours for CMTS. Instead of peak and off-peak hours, the categorisation for tariff setting purpose shall be Standard and Concessional hours respectively. Moreover, to allow the CMTS operator more flexibility in pricing, the Authority has also decided to increase the number of Standard hours (which correspond to peak hours in the Second Consultation Paper) from eight to eleven.
- 131. The CMTS operator shall also have flexibility in determining the <u>timing of standard and concessional hours</u> provided that standard hours do not exceed eleven in a calendar day. Airtime during the entire calendar day on Sundays and three national holidays, i.e. 26<sup>th</sup> January, 15<sup>th</sup> August and 2<sup>nd</sup> October shall be priced at concessional tariffs. Tariffs for concessional hours have to be less than the corresponding tariffs for standard hours. The exact level has been left free for the service provider to decide.

#### Pulse Rate for Calls

132. In the tariff paper, TRAI proposed that calls be charged on the basis of a "flag down" of 30 seconds and subsequently at intervals of 10 seconds. In their comments the operators had suggested a uniform billing interval of 60 seconds. This proposal is restrictive, especially when considered in the context of the average call holding time, which is considerably less than 120 seconds. The Authority has decided that the charging pulse for airtime will be at a uniform interval of 20 seconds in consumer interest.

#### Rental and Airtime Charges

133. In the second Consultation paper, the Authority had proposed a ceiling for monthly rental and "peak" (redefined as Standard in this Order) airtime tariff of Rs. 600 and Rs. 6 per minute respectively. Flexibility to exceed either of these ceiling amounts in alternative price packages was absent in TRAI's tariff proposals. In response to the Industry's suggestion, the Authority has agreed that flexibility in offering alternative price packages is a desirable condition for service providers as well as subscribers. As a result, such flexibility shall

be available to the CMTS operator (refer to the section on general issues for more details)

Such flexibility in pricing, however, cannot meaningfully coexist with price ceilings. Hence, the Authority has decided that the tariffs of Rs. 600 for monthly rental and Rs. 6 per minute for standard airtime shall be part of the standard package (see below for details) always available to the subscriber. Certain conditions shall apply to the alternative price packages that are offered by the operator. These conditions are elaborated in the section on general issues.

## Free Airtime

135 The Authority has decided that no free airtime will be available as part of the standard package

## Calls from PSTN to Mobile

136. Until CPP is introduced, the called party shall pay airtime charges.

## Calls from Mobile to PSTN

- 137. The Authority has decided that the tariff for such calls shall comprise two elements:
  - i) Airtime charges; plus
  - ii) PSTN charges for local or long distance as applicable from time to time to the fixed network.

#### Calls from Mobile to Mobile

- 138 The TRAI directive of August 19, 1998 allows for direct inter-connectivity between cellular networks operating within the same region. The issue of direct inter-connectivity of cellular networks operating in different regions is being examined separately under the domestic long distance liberalisation initiative.
- 139. It has now been decided that the price for mobile to mobile calls will consist of
  - Airtime charges: plus
  - A supplementary long distance charge based on distance.

This shall apply in the case of all mobile to mobile calls **except** for those that fall within the Metro Licensee Service Area. For these calls, only airtime shall be charged. In addition, the service provider shall make the calling party aware of the quantum of supplementary charge, if any, to be paid by making appropriate technical arrangements. This is necessary because the called party may be at a different location, thus altering the charges to be paid by the calling party. This will ensure that there are "no surprises" when the party receives the bill

## Roaming, Pre-paid cards and other VAS

- 140. The Authority has agreed to forbear the additional charge levied for roaming, except for the general reporting requirement. This condition shall also apply to pre-paid cards, other supplementary services, value added services within the cellular service and to the periodicity of the billing cycle.
- 141. The Authority is contemplating a detailed assessment of pre-paid card services as applicable to cellular mobile. If necessary, the tariff conditions for pre-paid cards decided in this Order shall be changed.

## Standard Tariff Package

142. The Standard Tariff Package shall always be available to the subscriber at the tariffs specified in Schedule II for CMTS.

## Alternative Tariff Packages

In the alternative tariff packages, items for which tariffs are specified as ceilings in Schedule II for CMTS cannot be exceeded. Items for which a particular amount is specified viz. rental and airtime may have a different price in the Alternative Tariff Package, subject to the general reporting requirement.

#### <u>CPP</u>

- 144. The response to the proposed introduction of the Calling Party Pays (CPP) regime has been favourable. The DoT has indicated that it will take some time to make the technical adjustments required to implement the CPP system. The proposed date for implementation of CPP is fixed for August 1999
- 145. Until CPP is introduced, the existing regime in which the subscriber pays for incoming calls to cellular shall prevail. The price for these calls shall be the same as for outgoing calls i.e. Rs. 6 per minute at the standard rate.

## Revenue sharing from Long Distance

During the open house discussions, opinions sharply differed with regard to sharing of revenues from long distance and international calls originated by the cellular network. While the cellular operators favour sharing of these revenues, not surprisingly the basic operators are opposed to it. The Authority has decided that, for the present, the existing non-sharing arrangement between the basic and cellular networks shall continue for domestic long distance and international calls. Since this is an interconnection issue, the Authority will take a decision with regard to revenue sharing under Interconnection Regulations to be issued separately.

## Review of Cellular Mobile Tariffs

In view of the circumstances surrounding the cellular industry at present, the Authority will review and modify notified tariffs, should that become necessary as a result of policy changes.

## III. Items Addressed in Schedule III; Radio Paging Services

## Introduction

- 148. Radio Paging Services are available in two variants, the Alphanumeric Service and the Numeric Service. The existing tariff for access i.e. monthly rental to the service is specified as a price ceiling. For the Alphanumeric Service, this ceiling is Rs. 250 per month, while the corresponding figure for the Numeric Service is Rs. 150 There is no extra charge for operator assisted calls
- A deposit of Rs. 2000 is levied at the time of provision of the service. The registration fee of Rs 500 is adjusted against the deposit. There is no installation charge
- In the Second Consultation Paper on Telecom Pricing, the Authority had proposed to revise the tariff ceiling for the Alphanumeric Service to Rs 300 per month and that for the Numeric Service to Rs 175 per month. In addition, the Authority had proposed to introduce revenue sharing between the Paging and Basic Service Providers (and Cellular service providers). For every call made to the Paging Control Terminal (PCT), Rs. 0.20 was proposed to be passed on to the Radio Paging Operator. This was sought to be achieved by adding a surcharge of Rs 0.20 to each call made to the PCT by PSTN (or cellular mobile)

## Summary of the responses

- Of the comments received on the proposals for Radio Paging Services, the majority were made by the Paging service providers and the Basic service providers including the DoT. The DoT stated that since metering of local calls cannot be separated in the present system, implementation of the revenue sharing formula proposed by the Authority was not possible at this time. Two options were suggested by the DoT in this regard.
  - Either the existing non-revenue sharing arrangement should continue or
  - Fan call made to the PCT be charged at twice the local call rate with the amount for one call passed on to the Radio Paging Operator
- The latter proposition was opposed by the Radio Paging Service Providers, who wanted an increased revenue share of the prevailing local call charge

The Authority has seriously considered all the comments made and decided as under.

## **Deposits and Registration Fee**

153. The prevailing charges as specified in the licence shall be the ceiling for Deposits and Registration Fees.

## Rental

154. As in the current pricing structure, the rentals for Alphanumeric and Numeric services shall be different. The ceiling rate for Alphanumeric service shall be Rs. 300 per month while the corresponding rental for the Numeric service shall be Rs. 175. These are the same as proposed in the Second Consultation Paper where an elaboration of the basis is available.

## Revenue Sharing

- 155. For the present, the existing non-sharing arrangement shall continue.
- 156. In the absence of revenue sharing, the Authority had derived cost based monthly price ceilings of Rs. 325 for the Alphanumeric Service and Rs. 195 for the Numeric Service. Although revenue sharing is ruled out for the present, the Authority has decided to retain the lower estimates of monthly rental that were derived on the assumption of revenue sharing. This has been done for two reasons:
  - i) The notified tariffs are considerably higher than the prevailing prices; and
  - ii) The Authority will shortly review the tariffs for the Radio Paging Industry (see para 158)

## Other Matters

157. With respect to all other matters relevant to tariff including supplementary services, value added services within the Paging Service and the periodicity of the billing cycle, there will be forbearance, subject to the reporting requirement.

## Review of Paging Tariff

The Authority released on 21<sup>st</sup> December, 1998, a detailed assessment of the viability of the Radio Paging Industry in cities that addresses, inter-alia, the issue of quantum of licence fee payable by operators from the fourth year on. Public consultations on this issue are underway. Once this process is complete, the Authority will review the tariff for Radio Paging Services decided in this Order and make changes, if necessary.

## IV. Items Addressed in Schedule IV: Leased Circuits

## Summary of the basis for proposed tariffs in the Second Consultation Paper

- 159. In the Second Consultation Paper, proposed tariffs for leased circuits were estimated on cost basis for 64 Kbps and 2 Mbps leased circuits, mainly with reference to equipment of 140 Mbps. For the first 50 kms., costs were calculated for cables laid in bituminous soil, and after that for soft soil. Since the cost of laying cables in soft soil is less than that in bituminous soil, the tariff for 50 kms. was kept constant for about 25 more kms., i.e. the distance at which the cost of laying cables in soft soil became equal to that for bituminous soil Beyond that distance, soft soil costs formed the basis of leased circuit tariffs.
- 160. On the basis that the catchment area for leased circuits in the shorter distance was 500 kms., costs for beyond 500 kms. were calculated on the basis of equipment with higher capacity, i.e. STM4 system. Such equipment implies substantially lower unit costs than those derived from equipment of 140 Mbps. Given the large reduction in unit cost for such high capacity equipment, cost based price for leased circuits for even 1,500 kms with this capacity are lower than the cost based tariff for 500 kms using 140 Mbps; 1,500 kms. was suggested in certain comments as the distance that should be treated as cap for leased circuit tariffs. Thus, the Second Consultation Paper had proposed tariffs applicable for 500 kms. with capacity 140 Mbps as the upper limit of leased circuit tariffs.
- 161. In view of the ongoing decrease in costs of leased circuits, all tariffs for leased circuits were proposed as ceilings.
- Tariff ceilings calculated for 64 Kbps and 2 Mbps leased circuits, together with the coefficients suggested by Recommendation D.8 of the International Telecommunications Union for pricing N Times 64 Kbps leased circuits, were used to propose certain tariff ceilings in the Second Consultation Paper for N Times 64 Kbps leased circuits. Other tariffs were considered together in a basket, and a weighted average reduction of 50 per cent was proposed for the tariffs for this basket. Apart from these tariff ceilings, it was proposed that costs for end-links or local leads could be charged in addition, as could some other cost elements such as the payment for use of National Highways land

## Summary of the main comments

During consultations, there were some queries regarding the validity of certain cost items. Except in one case, these doubts were addressed through clarifications made by the Authority during detailed discussions with those raising these queries, which showed that the estimates used in the Second Consultation Paper

had taken account of points raised by these parties. For the one exceptional case, very high cost estimates had been provided to the Authority and the initial discussions could not be taken further because no clarification was provided to the Authority when the basis for these higher costs was questioned. Some other submissions to the Authority have shown that the cost estimates used in the Second Consultation Paper reflect the prevailing situation.

- 164. A number of other important points mentioned by prospective providers of leased circuits include:
  - the relatively low tariffs for leased circuits will result in by-pass of long distance traffic,
  - after 50 kms., tariffs should not be kept constant for a distance of about 25 kms. Instead, the cost of laying cables in soft soil should be added from 50 kms. itself so that the tariffs keep increasing beyond 50 kms and are not unchanged for any distance;
  - a higher profit margin, such as 40 per cent, should be provided to cover adequately for different technologies in use and to give an incentive for providing leased circuits,
  - tariff ceilings for certain N Times Kbps capacities are more than those for 2 Mbps, which implies that the customer will take an over capacity of 2 Mbps rather than N Times 64 Kbps,
  - the conditions under which leased circuits are provided should become more user friendly.
- 165. The Authority is of the view that service providers should devise methods to monitor the use of leased circuits so that by-pass does not take place.
- The point regarding costs of soft soil being added at 50 kms. itself was made on 166. the basis that soft soil costs do not include any element of the costs of laying cable in bituminous soil. That is not correct; even for soft soil, the cost components include cable laid in a certain proportion of bituminous soil which takes account of the concern raised in this context. However, for maintaining continuity of tariff increases till the distance of 500 kms., and to give some additional profit margin to encourage the provider of leased circuits, the additional costs for laying cable in soft soil is added from 50 kms. onwards. This is equivalent to a situation where for the first 50 kms. the cable is considered as being laid in bituminous soil and subsequently in soft soil. An important point in this regard is that since even for soft soil the Authority's cost estimates include a component of laying the cable in bituminous soil, the Authority has taken an over-estimate of the actual cost incurred by taking the higher cost of laying a cable in bituminous soil for the first 50 kms. This is particularly because the terrain under which cables are laid normally involves less than 50 kms. of bituminous soil. This in effect implies an additional profit element being given to the providers of leased circuits.
- 167. Regarding the demand for a higher profit margin, in addition to the points mentioned above, it should be noted that the cost based tariffs include various

elements which raise profits above the explicit profit margin of 10 per cent considered in the calculations. For instance, the annual recurring expenditure is taken about 2 to 3 per cent higher than the average, an interest rate of 15 per cent is taken fully on total expenditure while in reality the amount subject to interest would be decreasing over time, and expenses for maintenance are considered in costing while these are already incorporated for basic service providers in the cost based tariffs calculated for local, long distance and international calls.

- 168. Further, a large portion of the total cost base for leased circuits is accounted for by cable costs and the cost incurred in laying those cables. This is so in particular for distances beyond 5 kms. and the share of these cost elements in total keeps increasing with distance. Though depreciation has been applied to the total cost base, depreciation does not apply to some of these cost elements (e.g., labour cost). For some other cost items (e.g., cables), as stated in the Second Consultation Paper, the depreciation rate taken into account is higher than that likely to be actually applicable. In effect, both these aspects imply a higher profit margin than explicitly considered. In view of these features, and that the costs of installing leased lines is continuing to decline, the Authority has decided that there is adequate profit margin in the cost based tariffs proposed for leased circuits. In fact, as mentioned in the Second Consultation Paper, the Authority will review leased circuit tariffs again after one year in order to take account of the decline in costs during that period.
- 169. Furthermore, the Authority is of the opinion that the reduced leased circuit tariffs will give rise to a very strong demand for them, resulting in a surge in revenues from leased circuits and in a strong impetus for related economic activity. Such opinion was very strongly expressed also by several commentators.
- 170. For tariffs of N Times 64 Kbps leased circuits, the Authority recognizes the apparent anomaly in their tariffs and that for 2 Mbps circuit. However, the Authority is of the view that it is better to encourage customers to lease capacity of 2 Mbps or more, in order to consider a greater use of the capacity available. Further, tariffs are ceilings and lower tariffs can be provided for N Times 64 Kbps capacities.
- 171. The present Order is only a first step in addressing tariff issues for leased circuits. The Authority is next going to address in detail the conditions under which leased circuits are provided and will in due time give its decision on this matter.

## Tariffs ceilings for 64 Kbps and 2 Mbps leased circuits

172. In view of the above, the Authority has specified virtually the same tariff ceilings for 64 Kbps and 2 Mbps leased circuits as were proposed in the Second Consultation Paper. These tariff ceilings are provided in ready reckoners annexed to Schedule IV. As mentioned above, the provider of leased circuits may add to

these tariff ceilings a cost based charge for local leads and any other additional cost element such as way leave charges.

- 173 The tariff ceilings in the ready reckoner are provided for distances of 5 kms. For distances lying in between the distances specified in the ready reckoner, tariff shall be charged on a *pro rata* basis, taking for this purpose the tariff ceilings for the two distances of the ready reckoner between which the relevant distance lies.
- It should be noted that tariff ceilings for certain other capacities of leased circuits has been specified in terms of the ready reckoner tariff ceilings for 64 Kbps and 2 Mbps leased circuits. These derived tariff ceilings are therefore in the nature of ready reckoner prices. Hence, to these tariff ceilings also, the provider of leased circuits may add a component to account for the charge for local leads and for payments made such as way leave charges.
- Similar to the specification for the charging for leased circuits, the Authority has specified for local lead tariffs that the first option for charging for local leads should be to provide them on lease. If this is not possible, then tariffs could be either on rent and guarantee terms, or on the basis of a mutual agreement between the parties concerned about the extent of contribution to costs that will be made by the party leasing the circuits

## Tariff ceilings for capacities below 64 Kbps

176. The Authority has decided to forbear with regard to tariffs for these leased circuits

#### Tariffs for capacities N Times 64 Mbps

177 The Authority has decided to use coefficients in Recommendation D.8 of the International Telecommunications Union for these capacities—The tariff ceilings for these capacities are determined by multiplying these coefficients with the tariff ceiling for 64 Kbps leased circuits.

## Tariffs for capacities above 2 Mbps

178. Specific requests were made to the authority to decide tariff ceilings for leased circuits for capacities above 2 Mbps. Calculations made for this purpose showed that the tariff ceilings for N Times 2 Mbps capacities should be N Times the ceiling tariff for 2 Mbps, with the exception that N should be 16 for 34 Mbps, and 64 for 140 Mbps. These tariff ceilings reflect the fact that equipment costs are a small portion of the total leased circuit costs, in particular for distances above 10 kms. Most of the costs arise due to cables and laying of those cables, and these costs for N Times 2 Mbps capacity are about N Times the relevant costs for 2 Mbps

## Mandatory provision of leased circuits

The Authority has specified that leased circuits must be provided using excess capacity, or when such capacity is not available then on rent and guarantee basis.

#### Rent and guarantee basis

180. The Authority has specified that rent and guarantee terms should be based upon costs. The Authority proposes to review at a later date various other aspects of rent and guarantee terms in greater detail.

## Application of tariffs specified in Schedule IV in relation to prevailing tariffs

181. Rent and guarantee tariffs will apply only to leased circuits taken from the date of implementation of these tariffs. However, for other prevailing tariffs, tariffs specified by the Authority will replace them from the date of implementation *Pro rata* corrections must be made to any advance payments that might have been made for leased circuits on the basis of the prevailing tariffs.

## Tariffs for temporary connections

For temporary connections, twice the ready reckoner tariffs have been specified on a *pro rata* basis for a period up to three months. For circuits leased for more than three months, the annual ready reckoner tariff is specified as the ceiling tariff. In addition, the costs for local leads, if applicable, and any other relevant additional costs that might be incurred, will be part of the total tariff.

## <u>Tariffs when additional capacity</u> has to be provided for meeting demand for leased tariffs

183. It is possible that extra capacity might not be available for leased circuits, and the party demanding leased circuit might not want the total capacity that is established on rent and guarantee basis. Instead, the demand might be only for a portion of the additional capacity that might be installed, and the provider of leased circuits will then have to assess its own use of the extra capacity. In such a situation, the Authority has specified that the tariffs be decided through bilateral negotiations among the parties concerned.

## V. Items Addressed in Schedule V: Integrated Services Digital Network (ISDN)

#### <u>Introduction</u>

184. The Authority views ISDN services as a crucial input in promoting efficiency of business Pursuant to this objective, the Authority had proposed cost based tariff ceilings for ISDN services in the Second Consultation Paper These tariff ceilings

were derived on the basis of available information; where information on costs was not available, existing rates charged by the DoT were proposed as the ceilings.

- 185. ISDN is available in two types of interface referred to as Basic Rate Access (BRA) and Primary Rate Access (PRA). The difference between BRA and PRA is in the number of B channels that each can support. BRA divides the phone line into three digital channels. 2B channels and 1D channel. PRA in India is configured to 30 B+D. Each of these channels can be used simultaneously so several communication tasks can be performed at the same time.
- ISDN is a relatively new service, introduced for the first time in India in 1996. At present, usage is very low. Since the service is relatively new, and the market is developing, the tariffs will be reviewed once a detailed consultative process on the subject is complete.

## **Tariff Proposals**

In the Second Consultation Paper, the tariff proposals were based on cost wherever possible. The prices thus derived were proposed as ceilings. As a departure from DoT's prevalent pricing regime, the Authority had proposed that a minimum charge for usage of ISDN services should <u>not</u> exist. Another significant departure proposed was an increase in the rate per pulse when using ISDN media to Rs. 1.50 as opposed to Rs. 1.30 per pulse for Basic services. This was proposed on the basis that significant usage of the ISDN facility will be for internet services and the user should therefore be charged a premium for enhanced speed and quality as a result of using ISDN.

## Response to the Tariff Proposals

188. Only the DoT responded to the proposals for ISDN defined in the Second Consultation Paper. The DoT agreed with all the proposals.

## Initial Deposit and Registration Deposit

The Authority has decided that the aggregate of all deposits (excluding security deposit for ISDN equipment) shall not exceed one year's rental. The registration deposit shall be combined with the initial deposit for the purpose of comparing with the maximum limit on deposits.

## Installation and Testing Charges

These shall be one time charges and the Authority has decided to retain the price ceilings outlined in the Second Consultation Paper

## Monthly Rental for ISDN Equipment

191. These rates shall be applicable only when the equipment is hired from a service provider. These shall not apply in case the subscriber procures the equipment from an alternative source.

#### Monthly rental for Access

The Authority has decided to retain the price ceilings outlined in the Second Consultation Paper. For the PRA service the rental is linked to distance, while for the BRA, the monthly rental is independent of distance.

#### **Usage Charges**

- In their response to the Radio Paging Tariff proposals, the DoT mentioned that a higher charge for calls from PSTN to PCT could not be implemented, as it is not possible at present to separate the metering for local calls. Although no comment was received with regard to the higher rate proposed for using ISDN media, the Authority has decided that, for the present, the ceiling rate for usage for every B channel shall be the same as applicable to PSTN. Any change in the PSTN tariff will imply a corresponding change in the ceiling rate applicable for every B channel.
- In addition, it has been decided, as proposed in the Consultation Paper, that there shall be no minimum usage charge for either the BRA service or the PRA service.

#### Rental for Supplementary Services

195 With a view to foster growth of ISDN services, the Authority has decided that there shall be no charge for these services, as is now prevalent

## Rental for Temporary Connection and Minimum Period of Hire

The Authority has decided that the minimum period of hire shall be one month for BRA and PRA and the rental for a temporary connection shall be twice the regular connection for the particular service

#### Surrender before provision

197. The Authority has decided that in this case actual expenses incurred shall be levied.

## Security Deposit for Equipment Hired from the Basic Service Provider

198. The Authority has decided that security deposits for equipment shall not exceed their prevailing market price.

#### **Other Matters**

199. With regard to all other matters relevant to tariff for ISDN services the Authority has decided, for the present, to forbear.

## VI. Items Addressed in Schedule VI: Internet

## Introduction

- 200. The Second Consultation Paper emphasised that Internet tariff should encourage the supply, use and expansion of Internet services, and promote innovation in these services. The Internet sector in India is likely to have several competing Internet service providers (ISP's), with both large as well as small private sector ISP's. The large ISP's who possess their own network or Internet backbone are referred to as the major providers
- 201. For Internet leased circuits (port charges), the second consultation paper had proposed cost based tariffs. This was done with a view to improving the viability of the private sector ISP's and enhance competition
- For tariff regarding Internet TCP/IP dial up, the Authority had proposed two alternatives
  - No price restriction on any ISP, including DoT and VSNL
  - Fix tariffs for all major operators, including DoT and VSNL

#### **Comments and Responses**

- 203. Of the comments made on the proposals for Internet, a majority were from current and prospective private sector ISP's. Accordingly, the comments related to the price and quality of inputs for the private sector ISP's.
- 204. The comments can be summarised as under
  - Alternative media viz VSAT may also be made available at competitive prices
  - Although charges have been reduced, these are still higher compared to international prices
  - The hosts should guarantee the quality of service, in terms of availability and uptime as well as end to end bandwidth

- There should be a separate numbering plan for Internet access as in the case of Radio Paging and Cellular mobile
- PSTN lines for Internet should be made available on demand
- There should be PSTN connectivity through ISDN, E1 and higher capacity lines with exchange of choice
- 205. The issue of availability and uptime of the leased circuits is being addressed by the Authority separately under quality of service. Likewise the recommendation with regard to a specific numbering plan for Internet is being looked at separately by the Authority.
- 206. With regard to the reduction in price of alternate media like VSAT, the Authority has decided to forbear with regard to VSAT tariff (refer to the explanatory memorandum for VSAT for more details). Accordingly, these prices will be determined by the market. Special concessions for ISP's who use VSAT cannot be justified within the framework of the Authority's decision to forbear with regard to VSAT tariff.
- 207. On-demand availability of PSTN and connectivity through higher capacity lines for ISP's are issues that go beyond the scope of tariff determination. The Authority is of the opinion that such issues should be settled between the parties involved within the framework of the tariffs specified in this Order.
- As regards the issue of input prices being still higher than international norms, the Authority believes that a significant reduction has resulted from this Order and that the issue will be addressed in the next review of this Order in respect of Leased Circuits (Port charges) which may take place in about a years time.

## Tariff for all Internet Services other than Internet Leased Circuits (Port Charges)

- 209. The Authority has decided to forbear with regard to these tariffs, subject to the reporting requirement. This decision is based on the premise that competition already exists in the provision of these services, and such competition is likely to increase in the future. Indications to that effect are already evident in the market.
- Although the Order does not specify concessionary schemes of the kind that are available at present, the Authority encourages ISPs to offer concessionary schemes to academic and research institutions and the media.

## Charge for Internet Leased Circuits (Port Charges)

211. In view of the need to provide a boost to Internet services and also based on the discussion above, the Authority has decided to retain the prices that were

proposed on the basis of the lowest cost in the Second Consultation Paper. These prices shall be in the form of ceilings.

212. With regard to all other matters relevant to Internet Tariff the Authority has decided to forbear.

## VII. Items Addressed in Schedule VII: Value Added Services

#### Introduction

The DoT has defined Value Added Services as "enhanced services which add value to the existing basic tele-services and bearer services". This is in conformity with International Telecommunications Union's (ITU) definition of Value Added Services.

In India, these services include, inter-alia,

- i) Electronic Mail
- ii) Voice Mail
- iii) Closed Users Group Domestic 64 Kbps Data Network via Insat Satellite System
- iv) Videotex Service and
- v) Video Conferencing

## **Tariff Proposals**

214. In the Second Consultation Paper, the Authority had proposed to forbear with regard to the tariff for these services subject to the general reporting requirement. This was based on the *very nature* of Value Added Services as also the fact that there was likely to be considerable competition in the supply of these services.

## Summary of the main comments

- 215. Most Value Added Service providers did not comment on the tariff proposals. The Authority regards this as support for the proposed regime for Value Added Services
- There were, however, detailed comments made by VSAT service providers and a few by the Mobile Trunked Radio Operators Association (MTROA) During consultations, VSAT service providers mentioned that there were several constraints affecting the growth and viability of their business. A number of points mentioned by VSAT service providers, inter-alia, include.
  - the relatively low tariffs for leased circuits will seriously affect the viability of the Industry
  - High transponder charges and additional licence fee for 64 Kbps VSAT links also have an adverse impact on viability

- Non-availability of transponders and non-provision of space segment transponders in frequency bands other than extended C-Band affect the Industry
- PSTN connectivity, presently not allowed, be permitted
- 217. The last point was also raised by MTROA. In addition, MTROA also recommended that a floor price be imposed on CMTS operators for offering the Closed User Group (CUG) facility. This point was made on the basis that the CMTS operators are cross subsidising the CUG service and thus, these prices were predatory in nature. Additional points relating to the high licence fees payable to WPC and the restrictive nature of the 45-day reporting requirement were also mentioned.
- 218. The Authority is of the opinion that reduced leased circuit tariffs will result in a very strong demand for them, resulting in a fillip to related economic activity. Such opinion was also expressed by several commentators, including by several Value Added Service providers. In view of this, the Authority does not support the contention that leased circuit tariffs should be raised to support the VSAT technology. Likewise, the Authority does not agree with the imposition of a price floor for the CUG service offered by the cellular operators.
- 219. Many of the other comments raised viz. lack of PSTN connectivity and high WPC charges relate to licence conditions for that particular service and therefore cannot be addressed by the Authority at present. On the point of the very high transponder charges levied on the VSAT service providers, the Authority has agreed to make a recommendation to the appropriate authority for review.

# <u>Tariffs for Value Added Services and all Services not Specified Elsewhere for example Intelligent Network (IN) Services</u>

220. The Authority has decided to forbear, subject to the reporting requirement.

## VIII. Items Addressed in Schedule VIII: Telex and Telegraph Services

## Tariff for Telex and Telegraph Services

221. In the Second Consultation Paper, no tariffs were specified with regard to Telex and Telegraph Services. The Authority has decided to forbear with regard to such services, subject to the reporting requirement.

## IX. Items Addressed in Schedule IX: Global Mobile Personal Communication by Satellite (GMPCS)

## **Tariff**

- 222. The tariff for GMPCS was not addressed in the Second Consultation Paper. Subsequent to the publication of the Second Consultation Paper, Iridium India Telecom Limited (IITL), who provide GMPCS services in India, approached the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) for approval of provisional tariff for GMPCS Commercial Services in India.
- 223. The Authority is currently looking at the terms and conditions of the GMPCS licence.
- 224. The Authority has noted the fact that GMPCS services are in their nascent stage of development and that their utilisation for the present would be restricted to certain high end users. Keeping this in view, as also the need to provide flexibility in pricing at this stage, the Authority has decided to forbear with regard to tariff for GMPCS for the present, subject to the general reporting requirement.